

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1191/2024

**IN THE MATTER OF:**

NARENDRA KUMAR GOSWAMI

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA IN COMPLIANCE OF THE ORDER PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL DATED 30.09.2024	
2.	THE COPY OF THE JOINT COMMITTEE REPORT IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE R1.	


**THROUGH COUNSEL**



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.  
EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

DATE: 24/12/2024

PLACE: Mathura



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1191/2024

IN THE MATTER OF:

NARENDRA KUMAR GOSWAMI

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)



AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE,  
MATHURA IN COMPLIANCE OF THE ORDER PASSED BY THE  
HON'BLE TRIBUNAL DATED 30.09.2024

*NOTARIAL STAMP*  
*श्री 70*  
*श्री 70*

I, SHALLENDRA KOMAR SINGH aged about 59 years, S/o Shri Jitendra Singh, posted as District Magistrate, Mathura, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:



1. That I, Shalendra Kr. Singh, District Magistrate, Mathura, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That the present matter pertains to the illegal felling of 454 trees at Dalmia Farms and nearby area, located on Chhatikara-Vrindavan Road, Mathura, Uttar Pradesh, within the Taj Trapezium Zone. The aforesaid alleged action is in violation of the Indian Forest Act, 1927 (Amended 2000), Taj Trapezium Zone (TTZ) Guidelines, order of Hon'ble Supreme Court, in M.C. Mehta vs. Union of India (WP No. 13381/1984), placing restrictions on activities affecting environmental balance, including tree

1891  
24/12/24  
4

cutting, within the TTZ and Violation of Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, which mandates strict protection of trees, especially in ecologically sensitive areas such as Vrindavan.

3. That the Hon'ble Tribunal issued directions in the present matter dated 30.09.2024. The directions issued by the Hon'ble Tribunal are as stated below:

*"...5. Having regard to the seriousness of allegations made in the OA we deem it proper to form a Joint Committee comprising of (1)the Representative of the Central Pollution Control Board (CPCB), (2)Regional Office, MoEF & CC, Lucknow, (3)Principal Chief Conservator of Forests, Lucknow, (4)District Magistrate, Mathura and (5)Director, Forest Survey of India. District Magistrate, Mathura will act as a nodal agency.*

*6. Joint Committee will carry out the spot inspection, ascertain the number of trees that have been illegally cut in the area concerned and also the persons responsible for the same. In this exercise, the Director, of Forest Survey of India will also provide satellite images to ascertain the extent of the illegal felling of trees. The Joint Committee will complete the aforesaid exercise within a period of two months and submit the report before the Tribunal immediately thereafter..."*



184  
24/12/24

4. That in compliance of the order passed by the Hon'ble Tribunal, a meeting was convened by Nodal agency of the committee DM, Mathura on 08.11.2024 vide his letter dated 28.10.2024.

4

The copy of the Joint Committee Report is annexed herewith and marked as ANNEXURE R1.

5. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the joint committee met on 08.11.2024 in collectorate, Mathura to get appraised about the case. A presentation was made before the committee stating the facts about the event and the action taken by the authorities. Then the committee proceeded for the spot inspection. Since Mr Pranay Mishra, AIGF, RO, MOEF&CC could not visit the spot on 08.11.2024, he visited the spot on 18.11.2024.
6. That Details as presented before and ascertained by the committee are as follows:

- a) On the night of 18.09.2024/19.09.2024, illegal felling of large number of trees was done on a private land parcel i.e Dalamiya baag and nearby it, located on Vrindavan-Chhatikara road, (Location Google earth image annexure no. 1A) District- Mathura which caused heavy damage to environment and also led to destruction of habitat. Total 454 trees were felled on the location which falls in Taz Trapezium Zone (TTZ) area (Drone Photos attached as annexure no. 02). Hon'ble Supreme court vide its order dated 08.05.2015 in I. A. No. 527 in W.P. 13381/1984 has prohibited any tree felling in TTZ area without prior permission of Hon'ble Supreme court (annexure no. 1 B).

- b) As mentioned in F.I.R. (No. 0413/2024), this act was executed in planned and deliberate manner after knocking

*[Handwritten signature]*

high tension electricity line. The illegal act was executed by large number of people (Approx. more than 100 persons) with the help of many JCBs/Poclaim machines, power Saw machines etc. within short span of time taking advantage of rains and darkness due to interrupted electricity supply.

7. That in light of the facts and details of the event, the following action was taken:

- a) a. As soon as information was received, Forest officers including the then divisional director, SF, Mathura/Agra inspected the area on 19.09.2024. In the evening of 19.09.2024, an F.I.R. (No. 0413/2024) was lodged against 06 named and other unnamed individuals in relevant sections of Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976 and Indian Forest Act, 1927 and for violation of orders of Hon'ble Supreme court in Police Station, Joint by forest department based on the counting done till that time(298 trees, it was mentioned in F.I.R. that count was still going on and complete count will be intimated at the earliest). Later on, the count was completed by late night as 454 trees and SHO, Thana Joint was intimated. The fact was included in the police investigation and court proceedings. Subsequently relevant section of wild life protection act 1972 were also included. Later on, relevant Sections of BNS and Damage to Public Property Act have also been added during investigation. (Annexure no.02A, 02B, 02 C)



1841  
24/12/24

Q

b) Departmental cases (H2 cases) of Forest Department were also issued in Matura range for felling of trees and thus violating order of Hon'ble Supreme court and provisions of U.P. Tree Protection Act (Range case no. 10/Mathura/2024-25) and provisions of Indian Forest Act (Range case no.11/Mathura/2024-25) on 19.09.2024. For destroying Wildlife and Habitat, Range case 12/Mathura/2024-25 dated 20.09.2024 was issued against the same accused as that in F.I.R. (Annexure no. 03 A, 03 B, 03 C).

c) A 5-member team was constituted by forest department to collect intelligence, which collected intelligence through CCTV cameras and other sources and a report was sent to police identifying few persons as suspected accused. Consequently, through police investigation, 42 persons have been arrested and 03 JCBs and one Thar jeep have been seized by police (As per report dated 07.11.2024 of SP, city). Police has been requested to hand over seized vehicles so that proceedings for confiscation of the same can be initiated under sec 52 (A) of Indian Forest act. After getting the possession of the seized vehicles, confiscation proceeding has been initiated under section 52 (A) of Indian Forest Act, 1927.(Annexure no. 04 A, 04 B, 04 C, 04 D, 04 E).

d) The timber of trees fallen in Protected Forest has been seized and put in nearby forest department campus viz. Mayur Sarankshan Kendra, Vrindavan. Rest of the fallen



1891

24/12/24

4

trees are on the Spot. Teams are deployed for their safety and information boards have been erected at the place.

- e) MVDA has been requested to take harshest punitive action against the accused including declaring the spot (land parcel) as green area and seal the area and not to approve any map for construction. Chairperson TTZA/ Commissioner, Agra has instructed MVDA not to allow any construction on the spot. (Annexure no. 05 A, 05 B)
- f) DM, Mathura has instructed RO, PCB to take harshest punitive action under Environment Protection Act, 1986. Further action in this behalf will be taken by RO, PCB. (Annexure no. 06 A, 06 B)
- g) The spot was inspected on 19.09.2024 itself by the then divisional director, Social Forestry, Mathura/ Agra. Later on, inspections were carried out by divisional director, SF, Mathura, APCCF, Agra zone, CF, Agra circle and forest department enquiry committee and instructions were issued for harshest action.
- h) Police has been requested to take harshest action according to duties and authority enshrined under sec 50 of wildlife protection act, 1972, sec 66, 66 (A) of Indian Forest act, 1927 and sec 13, 16 of Tree Protection act, 1976. All stakeholder department officials as described in sec 13 of U.P. Tree Protection Act, 1976 have been instructed to



1891  
24/12/24

carry out their duty to prevent illegal tree felling on private land.(Annexure no. 07A, 07 B)

- i) Chairperson, TTZA has instructed for plantation of 10 times saplings vis-a-vis fallen trees at the cost of accused on the same or nearby spots. Accordingly, DM, Mathura has instructed the owners of the land parcel to plant 10 times saplings and report compliance. (Annexure no. 05 B, 08)
- j) Mathura Vrindavan Nagar Nigam has lodged an F.I.R. (0428/2024) for damaging its property/Lights. Electricity department has also lodged an F.I.R (0415/2024) for damaging its electricity line. Further action is being taken by police. (Annexure no. 09 A, 9 B)
- k) Mathura Vrindavan Development Authority has lodged an F.I.R. (0417/2024) for damaging its property/Green belt Protection Grill. Further action is being taken by police. (Annexure no. 10)
- l) Police has arrested 42 Persons and seized 03 JCBs and one Thar Jeep. Further investigation and action is going on. (Annexure no. 04 B)
- m) Effective advocacy is being done by the department in Hon'ble ACJM and Hon'ble DJ courts. Consequently, bail has been rejected of the 42 accused by Hon'ble ACJM court. In Criminal Misc. WP no. 19146/20224 filed in



1871  
24/12/24

Q

Hon'ble High court of Allahabad regarding F.I.R. no. 0413/2024, the respondents have been restrained from arresting the petitioners (Mr. Narayan Prasad Dalmiya and 07 others) vide its order dated 24.10.2024 till next date of hearing or filing of submission of police report u/s 173(2) Cr.P.C., whichever is earlier subject to cooperation in ongoing investigation. (Annexure no. 11A, 11B)

8. That a spot inspection was conducted by the committee on 08.11.2024 (Google earth image attached as annexure no. 01 A). Shri Pranay Mishra, AIGF inspected the site on 18.11.2024. The report of FSI, Dehradun including satellite imagery, their analysis and complete enumeration of fallen trees is annexed as annexure no. 12.

9. That on the basis of the evidences and activities such as documents of the case and the investigation, spot inspection by the Committee on 08.11.2024, and the FSI satellite imagery, the analysis made by the Committee are:

a) As per mandate, the joint committee did spot inspection (photos of inspection of committee attached as Annexure no. 13), and scrutinized the documents produced as above to ascertain the extent of tree felling and persons responsible for the same. Analysis report of FSI is also attached as annexure no. 12.

b) Spot inspection and FSI report indicated that tree felling has happened in the area to the extent of 454 trees. 422 trees have been fallen in private area and 32 trees have



18-11

24/11/24  
RKM

*[Handwritten signature]*

been fallen in Protected Forest area (Enumeration list attached as annexure 1 in FSI report). Heavy machinery has been used to fell the trees as evident from analysis in FSI report.

c) conclusion of the FSI report contains following observations:-

- a. Pre-event satellite imagery dated 26 June 2022 shows erect trees. Post-event satellite imagery dated 28 October 2024 shows toppled trees. Thus, felling of trees originally standing on the site is established.
- b. Tracks marks of heavy equipment is observed in post- event satellite imagery dated 28.10.2024 near the felled trees.
- c. During the site visit, it was found that 454 trees have been felled, including biodiversity- supporting species such as peepal, jamun, ber, neem, and amrood. Enumeration list of felled trees is presents in Annexure-1 (of the FSI Report).
- d. Felling of tress was found both on private, and in protected forest land.



104,  
24/12/24

- d) 42 persons responsible for tree felling have been arrested and further investigation is going on. Hon'ble ACJM has rejected the bail application of all the accused. Later on, 31 of the accused were granted bail by Hon'ble District Judge Court. Due punitive actions have been taken by various agencies under various acts applicable and further investigation is going on.

Q

10. That on the basis of spot inspection, satellite imagery and analysis of the documents/ evidences referred above, the present report of Joint Committee is humbly submitted before the Hon'ble Tribunal.

11. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

*[Signature]*  
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Mathura on this 24 day of December, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

1841 /  
341 /



Deponent Identified  
C.V. Vamsi  
(SATISH CHANDRASHEKHAR)  
24/12/2024

*[Signature]*  
DEPONENT

*[Handwritten notes and signatures]*  
The contents of the affidavit of *[Name]* are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.  
341 / 3134  
1841 /

## Report of the Joint Committee

### (A) Background

Hon'ble National Green Tribunal has issued order dated 30.09.2024 in OA no. 1191/2024 (Narendra Kumar Goswami Vs State of Uttar Pradesh & Others) filed by the petitioner Mr Narendra Kumar Goswami. The effective part of the order is as under-

"...5. Having regard to the seriousness of allegations made in the OA we deem it proper to form a Joint Committee comprising of (1) the Representative of the Central Pollution Control Board (CPCB), (2)Regional Office, MoEF & CC, Lucknow, (3)Principal Chief Conservator of Forests, Lucknow, (4)District Magistrate, Mathura and (5)Director, Forest Survey of India. District Magistrate, Mathura will act as a nodal agency.

6. Joint Committee will carry out the spot inspection, ascertain the number of trees that have been illegally cut in the area concerned and also the persons responsible for the same. In this exercise, the Director, of Forest Survey of India will also provide satellite images to ascertain the extent of the illegal felling of trees. The Joint Committee will complete the aforesaid exercise within a period of two months and submit the report before the Tribunal immediately thereafter.

7. List on 22.01.2025..."

For compliance of the order, a meeting was convened by Nodal agency of the committee DM, Mathura on 08.11.2024 vide his letter no. 1852/33-1 dated 28.10.2024. Following members participated in the meeting:-

1. Mr. Ankur Tiwari, Scientist-E/ in charge, Project Office, Agra  
: Representative of CPCB/ Member
2. Dr Anil Kumar Patel, CF, Agra Circle, Agra  
: Representative of PCCF/Member
3. Mr Pranay Mishra, AIGF (Central)  
: Representative of RO, MoEF&CC/Member (Through VC)
4. Mr Nagaraja SV, Assistant Director  
:Representative of Director, FSI/Member
5. Mr Shailendra Kumar Singh: DM, Mathura/Member (Nodal)

1

Also, various officers of the district viz. SSP, Mathura, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Mathura-Vrindavan, VC, MVDA, Divisional Director, Social Forestry division, Executive Engineer, Hydal (Rural), RO PCB, SDM, Mathura etc. were present to assist the committee.

**(B) Proceedings of the committee**

As stated above, the joint committee met on 08.11.2024 in collectorate, Mathura to get appraised about the case. A presentation was made before the committee stating the facts about the event and the action taken by the authorities. Then the committee proceeded for the spot inspection. Since Mr Pranay Mishra, AIGF, RO, MOEF&CC could not visit the spot On 08.11.2024, he visited the spot on 18.11.2024. Details as presented before and ascertained by the committee are as follows:-

**(I) Detail of the Event:**

- a. In the night of 18.09.2024/19.09.2024, illegal felling of large number of trees was done on a private land parcel i.e Dalamiya baag and nearby it, located on Vrindavan-Chhatikara road, (Location Google earth image annexure no. 1 A) District- Mathura which caused heavy damage to environment and also led to destruction of habitat. Total 454 trees were felled on the location which falls in Taz Trapezium Zone (TTZ) area (Drone Photos attached as annexure no. 02). Hon'ble Supreme court vide its order dated 08.05.2015 in I. A. no. 527 in W.P. 13381/1984 has prohibited any tree felling in TTZ area without prior permission of Hon'ble Supreme court (annexure no. 1 B).
- b. As mentioned in F.I.R. (No. 0413/2024), this act was executed in planned and deliberate manner after knocking high tension electricity line. The illegal act was executed by large number of people (Approx. more than 100 persons) with the help of many JCBs/Poelain machines, power Saw machines etc. within short span of time taking advantage of rains and darkness due to interrupted electricity supply.

**(II) Action taken**

- a. As soon as information was received, Forest officers including the then divisional director, SF, Mathura/Agra inspected the area on 19.09.2024. In the evening of 19.09.2024, an F.I.R. (No.

*[Handwritten signature]*

0413/2024) was lodged against 06 named and other unnamed individuals in relevant sections of Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976 and Indian Forest Act, 1927 and for violation of orders of Hon'ble Supreme court in Police Station, Joint by forest department based on the counting done till that time(298 trees, It was mentioned in F.I.R. that count was still going on and complete count will be intimated at the earliest). Later on, the count was completed by late night as 454 trees and SHO, Thana Joint was intimated. The fact was included in the police investigation and court proceedings. Subsequently relevant section of wild life protection act 1972 were also included. Later on, relevant Sections of BNS (BhartiyaNyaySmhita) and Damage to Public Property Act have also been added during investigation. (Annexure no. 02 A, 02 B, 02 C)

- b. Departmental cases (H2 cases) of Forest Department were also issued in Matura range for felling of trees and thus violating order of Hon'ble Supreme court and provisions of U.P. Tree Protection Act (Range case no. 10/Mathura/2024-25) and provisions of Indian Forest Act (Range case no. 11/Mathura/2024-25) on 19.09.2024. For destroying Wildlife and Habitat, Range case 12/Mathura/2024-25 dated 20.09.2024 was issued against the same accused as that in F.I.R. (Annexure no. 03 A, 03 B, 03 C)
- c. A 5 member team was constituted by forest department to collect intelligence which collected intelligence through CCTV cameras and other sources and a report was sent to police identifying few persons as suspected accused. Consequently and through police investigation, 42 persons have been arrested and 03 JCBs and one Thar jeep have been seized by police (As per report dated 07.11.2024 of SP, city). Police has been requested to hand over seized vehicles so that proceedings for confiscation of the same can be initiated under sec 52 (A) of Indian Forest act. After getting the possession of the seized vehicles, confiscation proceeding has been initiated under section 52 (A) of Indian Forest Act, 1927.(Annexure no. 04 A, 04 B, 04 C, 04 D, 04 E)
- d. The timber of trees fallen in Protected Forest has been seized and put in nearby forest department campus viz. Mayur

Sarankshan Kendra, Vrindavan. Rest of the fallen trees are on the spot. Teams are deployed for their safety and information boards have been erected at the place.

- e. MVDA has been requested to take harshest punitive action against the accused including declaring the spot (land parcel) as green area and seal the area and not to approve any map for construction. Chairperson TTZA/ Commissioner, Agra has instructed MVDA not to allow any construction on the spot. (Annexure no. 05 A, 05 B)
- f. DM, Mathura has instructed RO, PCB to take harshest punitive action under Environment Protection Act, 1986. Further action in this behalf will be taken by RO, PCB. (Annexure no. 06 A, 06 B)
- g. The spot was inspected on 19.09.2024 itself by the then divisional director, Social Forestry, Mathura/ Agra. Later on, inspections were carried out by divisional director, SF, Mathura, APCCF, Agra zone, CF, Agra circle and forest department enquiry committee and instructions were issued for harshest action.
- h. Police has been requested to take harshest action according to duties and authority enshrined under sec 50 of wildlife protection act, 1972, sec 66, 66 (A) of Indian Forest act, 1927 and sec 13, 16 of Tree Protection act, 1976. All stakeholder department officials as described in sec 13 of U.P. Tree Protection Act, 1976 have been instructed to carry out their duty to prevent illegal tree felling on private land. (Annexure no. 07A, 07 B)
- i. Chairperson, TTZA has instructed for plantation of 10 times saplings vis-a-vis fallen trees at the cost of accused on the same or nearby spots. Accordingly, DM, Mathura has instructed the owners of the land parcel to plant 10 times saplings and report compliance. (Annexure no. 05 B, 08)
- j. Mathura Vrindavan Nagar Nigam has lodged an F.I.R. (0428/2024) for damaging its property/Lights. Electricity department has also lodged an F.I.R (0415/2024) for damaging its electricity line. Further action is being taken by police. (Annexure no. 09 A, 9 B)
- k. Mathura Vrindavan Development Authority has lodged an F.I.R. (0417/2024) for damaging its property/Green belt Protection Grill. Further action is being taken by police. (Annexure no. 10)



- I. Police has arrested 42 persons and seized 03 JCBs and one Thar jeep. Further investigation and action is going on. (Annexure no. 04 B)
- m. Effective advocacy is being done by the department in Hon'ble ACJM and Hon'ble DJ courts. Consequently, bail has been rejected of the 42 accused by Hon'ble ACJM court. In Criminal Misc. WP no. 19146/20224 filed in Hon'ble High court of Allahabad regarding F.I.R. no. 0413/2024, the respondents have been restrained from arresting the petitioners (Mr. Narayan Prasad Dalmiya and 07 others) vide its order dated 24.10.2024 till next date of hearing or filing of submission of police report u/s 173(2) Cr.P.C., whichever is earlier subject to cooperation in ongoing investigation. (Annexure no. 11A, 11B)

(III) Spot inspection

- a. Spot inspection was done by the committee on 08.11.2024 (Google earth image attached as annexure no. 01 A). Shri Pranay Mishra, AIGF inspected the site on 18.11.2024 as he could not attend meeting physically on 08.11.2024.
- b. The report of FSI, Dehradun including satellite imagery, their analysis and complete enumeration of fallen trees is annexed as annexure no. 12.

(C) Analysis:

The committee analysed the incidence based on following evidences and activities:

- a. Documents of the case and updated status of investigation as enumerated in the report above
  - b. Spot inspection of the committee on date 08.11.2024.
  - c. FSI also analysed the incidence through satellite imagery.
- (i) As per mandate, the joint committee did spot inspection (Photos of inspection of committee attached as Annexure no. 13), and scrutinized the documents produced as above to ascertain the extent of tree felling and persons responsible for the same. Analysis report of FSI is also attached as annexure no. 12.



- (ii) Spot inspection and FSI report indicated that tree felling has happened in the area to the extent of 454 trees. 422 trees have been fallen in private area and 32 trees have been fallen in Protected Forest area (Enumeration list attached as annexure 1 in FSI report). Heavy machinery has been used to fell the trees as evident from analysis in FSI report.
- (iii) The conclusion of the FSI report contains following observations:-
- a. Pre-event satellite imagery dated 26 June 2022 shows erect trees. Post-event satellite imagery dated 28 October 2024 shows toppled trees. Thus, felling of trees originally standing on the site is established.
  - b. Track marks of heavy equipment are observed in post-event satellite imagery dated 28 October 2024 near the felled trees.
  - c. During the site visit, it was found that 454 trees have been felled, including biodiversity-supporting species such as peepal, jamun, ber, neem, and amrood. Enumeration list of felled trees is presented in Annexure-1. (of the FSI Report)
  - d. Felling of trees was found both on private land, and in protected forest land.
- (iv) 42 persons responsible for tree felling have been arrested and further investigation is going on. Hon'ble ACJM court has rejected the bail application of all accused. Later on, 31 of the accused were granted bail by Hon'ble District Judge court. Due punitive actions have been taken by various agencies under various acts applicable and further investigation is going on.

#### (D) Conclusion


Hence, on the basis of spot inspection, satellite imagery and analysis of the documents/evidences referred above, the conclusion of the joint committee is as follows:-

- ii) The illegal tree felling to the extent of 454 trees (422 trees in Private area of Dalamiya Baag and 32 trees in nearby Roadside strip/P.F) is established.
- iii) 42 persons responsible for illegal felling have been arrested and their bail application has been rejected. Later on, 31 of the accused were granted bail by Hon'ble District Judge court. The investigation in the matter is going on and further action will be taken as per investigation.

4


- iv) Due punitive actions have been taken by various agencies under various acts applicable including issuing Forest offence cases/ H2 cases by forest department and lodging of F.I.R.s by forest department, MVDA, Electricity department and Nagar Nigam. Further investigation is going on.
- v) Such large scale felling may adversely affect the quality of air in vicinity.
- vi) The criminal act of illegal felling appears to be deliberate. The motive of the crime seems economic gain by using the land for construction of colony hence further harsh punitive measures causing financial loss to accused may lower the risk of repetition of such crime. The spot is located in highly religious place of Vrindavan visited by millions of pilgrims. Declaration of the spot as Green area/ Belt may be an effective deterrent against such crimes.

Enclosures: As referred in the report

  
Ankur Tiwari, Scientist-  
E/ in charge, Project  
Office, Agra  
(Representative of CPCB)  
/ Member

  
Dr Anil Kumar Patel, CF,  
Agra (Representative of  
PCCF)  
/Member

  
Pranay Mishra, AIGF  
(Central)  
(Representative of RO,  
MoEF&CC)/Member

  
Shailendra Kumar Singh,  
District Magistrate,  
Mathura / Member  
(Nodal)


Photographs of the site in question on 19.09.2024



89



90











95



96



ANNEXURE- 1 A



ITEM NO.301

COURT NO.2

SECTION PIL

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

I.A. No. 460,470,478-481,486,487,517-518,527,528-530,532,533-534

in

Writ Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984

M.C. MEHTA

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA &amp; ORS.

Respondent(s)

(for directions, permission to file rejoinder affidavit and exemption from filing O.T. and seeking permission for cutting/felling of trees and office report)

Date: 08/05/2015 These matters were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE T.S. THAKUR

HON'BLE MR. JUSTICE C. NAGAPPAN

For Petitioner(s) Mr. M.C.Mehta, petitioner-in-person

For Respondent(s)  
(C.E.C.)

Mr. Annam D. N. Rao,Adv.

Mr. Sudipto Sircar,Adv.

Ms. Vaishali R.,Adv.

Mr. Annam Venkatesh,Adv.

Ms. Neelam Jain,Adv.

(C.P.C.B)

Mr. Vijay Panjwani,Adv.

Ms. Madhur Panjwani,Adv.

Ms. Madhvi Diwan,Adv.

Ms. Sunita Sharma,Adv.

Mr. W.A. Qadri,Adv.

Mr. D.S. Mahara,Adv.

(MOEF)

Mr. Maninder Singh,ASG

Ms. Kiran Bhardwaj,Adv.

Mr. R. Balasubramanian,Adv.

Mr. S.A. Haseeb,Adv.

Mrs. Vimla Sinha,Adv.

Mr. S.N. Terdal,Adv.

(CBI) Mr. Rajiv Nanda, Adv.  
Mr. Sanjiv Das, Adv.  
Mr. Wasim Qadri, Adv.  
Mr. Shailnder Saini, Adv.  
Mr. B.V. Balaramdas, Adv.  
Mr. Pranav Kumar, Adv.

St. of U.P. Mr. Vijay Bahadur Singh, A.G., U.P.  
Mr. Gaurav Bhatia, AAG, U.P.  
Mr. Ravi Prakash Mehrotra, Adv.  
Mr. Abhishek Chaudhary, Adv.  
Mr. Gaurav Srivastava, Adv.

(U.P.P.C.B) Mr. Pradeep Misra, Adv.  
Mr. T. Mahipal, Adv.  
Mr. Surat Singh, Adv.

Mr. M.C. Dhingra, Adv.  
Mr. Piyush Kant Roy, Adv.

Mr. S. Wasim A. Qadri, Adv.  
Mr. Zaid Ali, Adv.  
Mr. Saurabh Chopra, Adv.

Mr. L.R. Singh, Adv.

Mr. S. Guru Krishna Kumar, Sr. Adv.  
Mr. M.P. Shorawala, Adv.  
Ms. Shruti Sen, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

I.A. No. 460:

An additional affidavit has been filed by the Conservator of Forests, Agra, State of U.P. pursuant to our order dated 9.03.2015. The affidavit explains the position in regard to the three queries that we had formulated in the said order. We have been taken through the contents of the affidavit by the learned Advocate General for the State of U.P. who submits that the State has no matter belatedly, taken effective steps for

identifying a total extent of 860.82 hectares of land for purposes of compensatory afforestation. This land has been according to the learned Advocate General identified in six districts namely Agra, Mathura, Firozabad, Hathrath, Kasganj and Aligarh in the State of U.P.. He has by reference to Annexure A 4 of the affidavit submitted that not only does the State plan to use the land identified in the said districts for compensatory afforestation but even to provide for its fencing and watering of the area to prevent plant mortality. It is submitted that the State Government has for the present set part a sum of Rs. 20,00,00,000/- (Rupees Twenty Crores only) for the purpose of compensatory afforestation plan which will spread over a period of two years i.e. 2015-2016 and 2016-2017. He urged that by the end of 31.08.2015 the State Government is committed to plant a minimum of 6 lakhs saplings in the area identified in Annexure 4 of the affidavit.

On behalf of the respondents it was submitted by Mr. A.D.N.Rao, learned counsel appearing for the CEC that further progress on the proposed afforestation projects set out in the affidavit in the documents enclosed therewith should be properly monitored and that a direction could be issued to the Chief Secretary, State of U.P. to submit quarterly progress reports. It was further submitted that the Regional Office, MOEF Lucknow could also be directed to associate with and monitor the progress made in the implementation of the proposed project.

Mr. Mehta, petitioner in person submitted that the identification of the land set out in Annexure A-4 itself is a matter that needs to be verified as there is nothing apart from the particulars given in the said Annexure to suggest that the land mentioned therein is actually available with the State Government for purposes of plantation.

We do not for the present see any reason to disbelieve the affidavit filed on behalf of the State Government that it has a comprehensive plan for carrying out the afforestation work in the districts mentioned earlier. We also see no reason to disbelieve the statement made at the Bar by learned Advocate General that by the end of August, 2015 at least 6 lakhs saplings shall be planted in the districts identified for the purpose. This would include proper identification of the area for such afforestation and irrigation and watering arrangements for the trees to prevent mortality. Even so we see no reason why the Secretary to Government of U.P., Department of Forest should not be asked to submit a progress report every three months as to the progress achieved in the implementation of the afforestation program set out in the affidavit. In addition we direct the Additional/Principal Chief Conservator Forest (Central), Regional Office, MoEF, CC, Lucknow shall be free to associate himself with the process of afforestation and monitor the steps taken and to submit a report as to the progress made to this Court every quarter.

We may also at this stage mention that according to the road

map provided by the State Government in the affidavit, the Government proposes to encourage public participation in the on-going afforestation project. Learned Advocate General was not averse to associating school children from schools in the vicinity of the areas identified for afforestation and other governmental and non-governmental organisations operating in that area. He was also not averse to associating at some level the State Legal Services Authorities for the purpose of encouraging afforestation work and also to keep an eye on the progress made in that direction. We hope and trust that the State Government will take suitable steps in that direction and also submit an affidavit by the next date as to the measures adopted to encourage participation of the local residents of the area including school children with the on-going afforestation effort.

Post for further directions on 14.09.2015.

I.A. No. 528-530:

Heard.

Application for impleadment is allowed.

CEC has recommended grant of permission for cutting of 517 trees in connection with the expansion of 50-independent parachute Brigade, Government of India, Ministry of Defence. The permission could be subject to the following conditions:

I. Compensatory planting of 5320 plants will be undertaken

II. A detailed scheme for Compensatory Planting will be prepared and filed before this

Hon'ble Court within four weeks and which will inter alia include the details of the area where planting will be done, species that will be planted, the period of planting, details for maintenance works including provision for watering, watch and ward and casuality replacement and monitoring mechanism

III. The U.P.Forest Department will provide necessary technical inputs to the Applicant in preparing and implementing the scheme.

Having heard learned counsel for the parties, we are inclined to permit felling of 517 trees subject to the conditions stipulated by the CEC and extracted hereinabove. Needless to say that the applicant shall plant 10 times the number of trees within the precincts/campus area of the project in question. Needful shall be done by the next date of hearing and a report submitted to this Court by Mr. S.W.A.Qadri, Adv. on affidavit.

IA 527

Heard.

CEC has recommended grant of permission for felling of 444 tress in connection with modernisation of COD Agra. The recommendation is however subject to certain conditions which read as under:

1) for 2,194 trees earlier felled compensatory planting of ten time i.e.21,940 plants and penal compensatory plant of 20 times i.e. 43,880 plants will be undertaken by the Applicant.

II) for 444 trees sought to be felled compensatory planting of ten times i.e. 4440 plants will be

undertaken by the Applicant.

III) A detailed scheme for compensatory planting and Penal compensatory planting will be prepared and filed before this Hon'ble Court and which will inter alia include details of the area identified for plant within the TTZ, species that will be planted, period of planting, provision for maintenance including for watering, watch and ward and casualty replacement and monitoring mechanism. In case adequate area for the compensatory planting and penal compensatory planting is not found to be available within COD, Agra then in that case the Applicant may undertake plantation in other identified areas within TTZ.

iv) the felling of 444 trees will be undertaken only after the compensatory planting and penal compensatory planting for 2,194 trees felled earlier is undertaken;

(v) The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central) Regional Office, MEF, Lucknow will be responsible to monitor the implementation of the compensatory planting and penal compensatory planting scheme. The U.P. Forest Department will provide necessary technical input to the Applicant, COD Agra in preparing and implementing the scheme;

VI) the Chairman, TTZ Authority (Divisional Commissioner, Agra is the ex-official Chairman) will taken effective steps to ensure that no felling of trees within the areas falling in TTZ takes place without first obtaining permission of this Hon'ble Court.

We accordingly allow the application subject to the above conditions being complied with. Mr. R.Balasubramanian, Adv. submits that the afforestation campaign for planting of 60,000

tress towards compensatory afforestation shall be undertaken in right earnest. Mr. R.Balasubramanian shall ensure that a report regarding compliance with this condition is submitted by him within a period of six weeks from today.

I.A. No. 533:

CEC to examine the prayer made in this application and make its recommendations within two months.

(Shashi Sareen)  
Court Master

(Veena Khera)  
Court Master

**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)**  
**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

**FIRST INFORMATION REPORT**

**(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

**1. District/Unit (जिला/इकाई):** मथुरा

**P.S. (थाना):** जैत

**Year (वर्ष):** 2024

**FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):** 0413

**Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय):** 19/09/2024 21:31

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय वन अधिनियम, 1927	29
2	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	41
4	भारतीय वन अधिनियम, 1927	42
5	भारतीय वन अधिनियम, 1927	51

**3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

**1. Day** गुरुवार  
(दिन):

**Date From** 19/09/2024  
(दिनांक से ):

**Date To** 19/09/2024  
(दिनांक तक ):

**Time Period** पहर 3  
(समय अवधि):

**Time From** 08:00 बजे  
(समय से ):

**Time To** 08:00  
(समय तक): बजे

**(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):**

**Date** 19/09/2024 **Time (समय):** 21:12 बजे  
(दिनांक):

**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

**Entry No.** 047 **Date & Time** 19/09/2024 21:12 बजे  
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

**4. Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

**5. Place of Occurrence (घटनास्थल):**

**Direction and distance from P.S.** **Beat No.**  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 2 किमी (बीट सं.):  
(b) **Address** खसरा संख्या 107/242/43, आदि छटीकरा  
(पता):

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then**  
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

**Name of P.S.** **District(State)**  
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

**6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ):**

(a) Name (नाम): श्री अतुल तिवारी

(b) Father's Name (पिता का नाम) : मुरलीमनोहर तिवारी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष ): 1985

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान ):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा ,रेंज ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा ,रेंज ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8081570309

**7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

**Accused More Than** (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)**  
**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मालिक मैसर्स डालमिया एण्ड संस			1. 10/4 लालालाजपतराय सरानी , आनंदापुर,कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग,पश्चिम बंगाल,भारत
2	नारायण प्रसाद डालमिया		पिता का नाम : रघुनन्दन	1. 10/4 लालालाजपत राय सरानी ,कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग, पश्चिम बंगाल,भारत
3	श्रीचन्द्र कुमार धानुका		पिता का नाम : शंकरलाल धानुका	1. 10/4 लालालाजपत राय सरानी ,कोलकाता ,कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग,पश्चिम बंगाल,भारत
4	श्रीमती अरूणा धानुका			1. 14 लोडन स्ट्रीट कोलकाता , कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग, पश्चिम बंगाल,भारत
5	मृगांक धानुका		पिता का नाम : चन्द्र कुमार धानुका	1. 14 लोडन स्ट्रीट कोलकाता , कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग, पश्चिम बंगाल,भारत
6	गुरू कृपा तपोवन कालौनी का मालिक			1. वृन्दावन ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत
7	अन्य मालिक व विल्डर			1. अज्ञात ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत
8	जेसीवी का मालिक			1. अज्ञात ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत
9	पोकलिन का मालिक			1. अज्ञात ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत
10	श्रमिक			1. अज्ञात ,जैत,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत

**8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

**9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो ):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य ):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा मे थानाअध्यक्ष थाना जैत जिला मथुरा महोदय आज दिनांक 19/9/2024 को दिन मे प्रातः 8 बजे मुखबरी से सूचना प्राप्त हुई कि छटीकरा वृन्दावन मार्ग पर डालमिया नामक परिसर गाटा सं0 107 व 242 व 243 व 244 व 246 व 243 व 248 व 249 व 253 व 254 व 255,256 मे लगभग 300 हरे खडे नीम बबूल ,पीपल व अन्य प्रजाति के पेडो को माफिया एव विल्डरो के द्वारा जे.सी.वी मशीन पावर शा ,पोक्लिन मशीन व सैकडो मजदूरो को लेकर काट दिया गया है, सूचना मिलते ही मैने क्षेत्रीय कर्मचारी वनरक्षक भारत सिंह एव वन दरोगा तरूण सिंह को मौके पर पहुंचने और कार्यवाही करने का निर्देश दिया, सूचना मिलने के समय मै जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ वन विश्राम भवन पर निरीक्षण के समय वार्ता कर रहा था मैने उनसे विदा लेकर रेंज मे समस्त कर्मचारी को साथ लेकर तुरन्त मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच की मौके पर कार्मिक से स्थानीय लोगो से जानकारी लेने पर मालूम हुआ यह जमीन डालमिया एण्ड सं0 के नाम है ,भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित कम्प्यूटरकृत खतौनी की प्रति संलग्न है और स्थानीय विल्डरो ने इस भूमि पर प्लाटिंग आदि की योजना बना ली है ,मौके पर एक व्यक्ति ने इस भूमि का विल्डिंग प्लान उलब्ध कराया है जिसका नाम गुरू कृपा तपोवन अंकित है। एव जिसका विल्डिंग प्लान श्री सरवेश्वर कन्सट्रक्शन 13 वृजविलास मार्केट निकट थाना वरेली की मोहर लगी है ,वन कार्मिक की सहायता से अवैध रूप से काटे गये एवं गिराये गये पेडो की प्रजाति वार गिनती कराई गयी गिनती के अनुसार 263 पेड डालमियां नामक परिसर भूमि मे एव 35 पेड छटीकरा वृन्दावन मार्ग की बांयी पटरी के सरक्षित भूमि पर काटे गये है ,मौके पर कुछ स्थल पर पानी भरा हुआ है एव झाडिया है जिस वजह से कुछ ठूठ को देखा नहीं जा सका है जिनकी गणना शीघ्र करके अवगत कराया जायेगा अवैध काटे गये वृक्षो की अद्यतन गणना सूची का विस्तृत विवरण संलग्न है अतः अनुरोध है कि डालमिया परिसर के भूमि के मालिक, 1. मैसर्स डालमिया एण्ड संस 10/4 लालालाजपत राय सरानी कलकत्ता 2. नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी उपरोक्त 3. श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5. मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त 5.गुरूकृपा तपोवन कालौनी बनाकर बेचने की कार्यवाही मे लिप्त मालिक, विल्डरो, पार्टनरो ,जे0सीवी ,पावर शां। पोक्लिन मशीन के ड्राइवर ,मालिक एव श्रमिको के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 2000 की धारा 29/33/41/42/51 एव माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे प्रचलित रिट पिटीशन सं0 13381/1984 मे आईए संख्या 527 मे दिनांक 8/5/20215

मे दिये गये आदेश का उल्लंघन है एव वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही करने की कृपा करे मौके पर उक्त भूमि के मालिको से सम्बन्धित नकल खतौनी ,भूमि के कालौनी करण गुरूकृपा तपोवन मे लिप्त बिल्डरो ,भूमाफियो के नाम आदि मालूम किये जा रहे है, जो तुरन्त ही अवगत कराये जायेगे अतः आपसे अनुरोध है आप अपने स्तर से उक्त व्यक्तियो का पता लगाये एव आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की जांच करे जिससे की इस अपराध मे लिप्त व्यक्तियो से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो, मौके पर अधिकतर पेडो के ठूठ एव कटान की लडकी पडी है ,शंका है कि रात्रि के अंधेरे मे इन पेडो की लकडी को हटाने एव ठूठ गायव करने का बल पूर्वक कुतसित प्रयास किया जा सकता है ,अतः मौके पर पेडो की सुरक्षा एव ठूठो को न हटाने के लिए पुलिस बल लगाने की कृपा करे क्योकि इन माफियो द्वारा वन कर्मियो पर षडयन्त्रकारी आक्रमण एव मारपीट का सदेह है अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण मे प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करे प्रार्थी एसडी अग्रेजी अपठित अतुल तिवारी s/o मुरली मनोहर तिवारी क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा रेंज m0b-8081570309 नोट मै हे0का0 1560 आदेशकुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित की गयी है

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया ):
- (2) **Directed (Name of I.O.)** NARESH KUMAR **Rank** SI (Sub-Inspector)  
(जांच अधिकारी का नाम): BHATI **(पद):**

**No.** 972292856 **to take up the Investigation**  
( सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए ):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

District

(ज़िला):

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,  
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS JAIT

Rank I (Inspector)

No. 9454403955

**Attachment to item 7 of First Information Report**

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:**

( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :

(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट )	Height (cms.) (कट (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह )
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

3	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

4	महिला					
---	-------	--	--	--	--	--

5	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

6	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

7	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

8	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

9	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

10	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान )	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव )	Tattoo (गूदे हुए का )	
14	15	16	17	18	19	20



सेवा में,

थानाध्यक्ष,  
जैत थाना, जिला-मथुरा ।

विषय :- एफ0आई0आर संख्या-0413 दिनांक 19.09.2024

महोदय,

उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित 298 वृक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखे जाने तक हुई गणना के अनुसार दर्शाए गए थे । चूंकि गणना समाप्त होने से पूर्व सांयकाल प्रारम्भ हो गया था, जिसमें कुछ छोटे वृक्ष जो बड़े वृक्षों के नीचे दब गये थे एवं कुछ वृक्षों के टूँट परिसर में दलदल एवं जल भराव होने से दृष्टिगत नहीं हो रहे थे । उन सभी को उप प्रभागीय वनाधिकारी, सादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कुछ घण्टों पश्चात मौके पर वास्तविक गणना कर पूर्व में की गई प्रारम्भिक गणना में शामिल करते हुए 454 वृक्ष पाए गए । मौके पर पातित किए गए वृक्षों की फर्द बरामदगी संलग्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व एफ0आई0आर के समय संलग्न की गई पातित वृक्षों की सूची के स्थान पर अब कुल वृक्षों की अद्यतन सूची इस आशय से संलग्न है कि प्रकरण में तदानुसार आख्या सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

दिनांक 21/9/24

भवदीय,

*put h*

(अतुल तिवारी)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
मथुरा रेंज, मथुरा ।  
मोबाइल नम्बर-8081570309



*प्राप्त*


प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को छटीकरा वृन्दावन मार्ग बैष्णो देवी मंदिर के सामने प्राईवेट परिसर तथा उसके निकट संरक्षित वन भूमि में हुये अवैध कटान के सम्बन्ध थाना जैत पर पंजीकृत कराये गये अभियोगो की प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्र0नि0 थाना जैत से थाना जैत पर पंजीकृत अभियोगो की प्रगति आख्या प्राप्त की गयी जो मूल रूप से संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

पत्रांक: एसटीसी-एसएसपी-05/2024  
दिनांक: अक्टूबर, 11, 2024

  
(डा0 अरविन्द कुमार)  
पुलिस अधीक्षक नगर  
मथुरा।

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर,

जनपद मथुरा ।

विषय:-थाना जैत, जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 413/2024 धारा 29/33/41/42/51 भा0वन0 अधिनियम व 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा 189(2)324(5) 223 बी.एन.एस बनाम शिवशंकर अग्रवाल आदि थाना जैत मथुरा के संबंध में प्रगति आख्या । महोदय,

सादर अनुरोध है कि थाना जैत पर दिनांक 19.09.2024 को वादी श्री अतुल तिवारी पुत्र मुरली मनोहर तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जनपद मथुरा द्वारा दिनांक 18/19-09-2024 की रात्रि मे छटीकरा वृन्दावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म के गाटा सं0 107 व 242 व 243 व 244 व 246 व 243 व 248 व 249 व 253 व 254 व 255,256 थाना जैत, जनपद मथुरा के अन्दर लगभग 454 हरे पेड़ काट देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 413/2024 धारा 29/33/41/42/51 भा0वन0 अधिनियम बनाम 1.मैसर्स डालमिया एण्ड संस 10/4 लालालाजपत राय सरानी कलकत्ता 2.नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी उपरोक्त 3.श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5.मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त 6.गुरू कृपा तपोवन का मालिक शिवशंकर अग्रवाल पुत्र श्री रेवती प्रसाद अग्रवाल निवासी म0नं0 68 मयूर विहार धौली प्याऊ थाना कोतवाली जनपद मथुरा 7.अन्य मालिक व बिल्डर निवासी अज्ञात 8.जे.सी.बी का मालिक नाम पता अज्ञात 9.पोकलेन का मालिक नाम पता अज्ञात 10.श्रमिको नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की जा रही है । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त विवेचना के क्रम मे साक्ष्यो के आधार पर दिनांक 22.09.2024 को अभियुक्त गुरू कृपा तपोवन के मालिक शिव शंकर अग्रवाल पुत्र रेवती प्रसाद अग्रवाल निवासी मकान नं0 68 मयूर विहार धौली प्याऊ थाना कोतवाली मथुरा का नाम प्रकाश मे आया तथा वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधि0 की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त शिवशंकर अग्रवाल उपरोक्त को दिनांक 24.09.2024 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गहनता से पूछताछ पर बताया कि मेरे द्वारा डालमिया फार्म मे गुरू कृपा तपोवन नाम से कालौनी विकसित करनी थी, उस जमीन पर पेड खडे होने की वजह से कालौनी बनाने का काम शुरु नही हो पा रहा था इसी वजह से आरोपी शिवशंकर द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित किया गया । अभियुक्त शिवशंकर अग्रवाल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसके पश्चात दौराने विवेचना दिनांक 24.09.2024 को अभियुक्त जेसीवी ठेकेदार ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र वीरी सिंह निवासी कुंज कालोनी देवीपुरा थाना हाईवे जनपद मथुरा व जेसीवी आपरेटर रामकुमार उर्फ रामू पुत्र कृष्णकुमार निवासी बचगाँव थाना मोगर्रा मथुरा व जेसीवी ठेकेदार मुकेश पहलवान पुत्र भगवान सिंह निवासी अजमपुर थाना रिफाईनरी जनपद मथुरा के नाम प्रकाश मे आये । दिनांक 25.09.2024 को अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र वीरी सिंह निवासी कुंज कालोनी देवीपुरा थाना हाईवे जनपद मथुरा व रामकुमार उर्फ रामू पुत्र कृष्णकुमार निवासी बचगाँव थाना मोगर्रा मथुरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । दिनांक 26.09.2024 को अभियुक्तगण जेसीवी आपरेटर सोहन सिंह पुत्र कन्हैया निवासी बरारी थाना रिफाईनरी जिला मथुरा व जेसीवी आपरेटर गोपाल पुत्र मदन लाल निवासी बाद थाना रिफाईनरी जिला मथुरा के नाम प्रकाश मे आये हैं, जिन्हे दिनांक 27.09.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व मुकदमा उपरोक्त मे उप प्रभागीय वन अधिकारी श्री

सुशील कुमार जनपद मथुरा की आख्या एवं वन विभाग की टीम द्वारा घटना स्थल से बरामद मृत सर्प की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व बरामद चिड़िया के घोसले मोर पंख व बयान उप प्रभागीय वन अधिकारी के आधार पर धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 28.9.24 को अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम देहली घाट थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी हालपता छटीकरा झोपडी मे काँलौनी थाना जैत जिला मथुरा आदि 33 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व दिनांक 29.9.24 को 03 नफर अभियुक्तगण 1.मुश्ताक पुत्र सुलेमान निवासी नगला काशी थाना हाईवे जिला मथुरा 2.मौसिम पुत्र सुलेमान निवासी नगला काशी थाना हाईवे जिला मथुरा 3.शरीफ पुत्र मुन्नालाल निवासी रामनगर काँलौनी पानी का टंकी के पास थाना जमुनापार जिला मथुरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे सोहराव पुत्र सुलेमान निवासी न0 काशी थाना हाईवे मथुरा व 03 जेसीवी आपोरेटर की गिरफ्तारी शेष है।

विवेचना के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त मे नामजद आरोपी नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी 10/4 लालालाजपंत राय सरानी कलकत्ता 3.श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका निवासी 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5. मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त के सह विवेचक उ0नि0 श्री रामदेव शर्मा द्वारा नामित आरोपी नारायण प्रसाद डालमिया आदि के वकील को कलकत्ता जाकर दिनांक 28.09.2024 को नोटिस तामील कराया गया। नामित आरोपी नारायण प्रसाद डालमिया आदि उपरोक्त के वकील द्वारा उक्त जमीन के किये गये अलग-अलग एम0ओ0यू0 दिनांकित 16.10.2023, 27.03.2024, 01.07.2024, 31.07.2024, 24.06.2024, 01.07.2024, 24.06.2024, 01.07.2024 सह विवेचक उ0नि0 श्री रामदेव शर्मा को प्रदान किये गये तथा नामित आरोपी नारायण प्रसाद डालमिया आदि को दिनांक 30.09.2024 को व्यक्तिगत नोटिस तामील कराकर 07 दिवस के अंदर विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर बयान अंकित कराने हेतु कहा गया था, नामित आरोपी अभी तक अपने बयान हेतु उपस्थित नहीं हुये हैं। प्राप्त एम0ओ0यू0 के आधार पर जमीन क्रेता गिराज अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी आनन्द कृष्णवन, सुनरख रोड, मधुवन कालोनी वृन्दावन बांगर जनपद मथुरा व आशीष कौशिक पुत्र श्री रमेश चन्द्र कौशिक निवासी 16 सी बैंक कॉलोनी अर्थरा कृष्णा नगर मथुरा के विरुद्ध नोटिस दिनांक 04.10.2024 को तामील कराकर एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध मे दिनांक 05.10.2024 तक जवाब देने व बयान अंकित कराने को कहा गया है। जो अभी तक उपस्थित नहीं हुये। मुकदमा उपरोक्त में अभी तक गिरफ्तार हुये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	नाम अभियुक्त	पता	दि0 गिरफ्तारी	दि0 जमानत
1	शिव शंकर अग्रवाल पुत्र रेवती प्रसाद	म0न0 68 मयूर विहार धौली प्याऊ, थाना कोतवाली	24.09.2024	24.09.2024
2	ओम प्रकाश उर्फ ओमी पुत्र वीरी सिंह	कुंज कालोनी देवी पुरा थाना हाईवे	25.09.2024	25.09.2024
3	राम कुमार उर्फ रामू पुत्र कृष्ण कुमार	वछगांव, थाना मगोर्गा, मथुरा	25.09.2024	25.09.2025
4	सोहन सिंह पुत्र कन्हैया	बरारी, थाना रिफाइनरी, मथुरा	27.09.2024	27.09.2024
5	गोपाल पुत्र मदन लाल	वाद, थाना रिफाइनरी, मथुरा	27.09.2024	27.09.2024

6	मुकेश पहलवान पुत्र भगवान सिंह	आजमपुर, थाना रिफाइनरी, मथुरा	27.09.2024	27.09.2024
7	पुष्पेन्द्र पुत्र हरीशचन्द्र	दिहुलीघाट थाना मऊरानी, झांसी	28.09.2024	28.09.2024
8	आकाश पुत्र लालसिंह	डेहरूआ थाना जमुनापार, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
9	अयूब पुत्र रफीक	राधेश्याम कालोनी, थाना गोविन्दनगर	28.09.2024	28.09.2024
10	रवि कुमार अहरवार पुत्र फूलचन्द्र	दिहुलीघाट, थाना मऊरानी, झांसी	28.09.2024	28.09.2024
11	रामअवतार पुत्र हरीशंकर	फरीदनगर, थाना सोरों, कासगंज	28.09.2024	28.09.2024
12	सहजाद पुत्र चिम्मू	राधानिवास, गोविन्दकुंज, थाना वृन्दावन	28.09.2024	28.09.2024
13	अरविन्द पुत्र बड्डाई	तिगौडा थाना सहायगढ, जनपद सागर, म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
14	बड्डाई पुत्र घनसुआ	तिगौडा थाना सहायगढ, जनपद सागर, म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
15	मनीष पुत्र बड्डाई	तिगौडा थाना सहायगढ, जनपद सागर, म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
16	रामवीर पुत्र भरतसिंह	छोटिया बेरी, चाहर थाना कागरौल, आगरा	28.09.2024	28.09.2024
17	मुबारक पुत्र वसीर	राधेश्याम कालोनी, थाना गोविन्द नगर, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
18	बनी सिंह पुत्र कल्लन सिंह	कोटा, थाना जैत, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
19	विजेन्द्र पुत्र भूप सिंह	मौ0 झींगरपुर, थाना कोतवाली मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
20	नवल सिंह पुत्र धनीराम	जैत थाना जैत मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
21	राहुल पुत्र सोभाराम	रसोटा, थाना हटा, जनपद दामोह, म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
22	बाबूलाल पुत्र आशाराम	मंगोला, थाना मगरोन, थाना दामोह, म0प0	28.09.2024	28.09.2024
23	नीरज रामजीलाल	भिलावटी, थाना अछनेरा, आगरा	28.09.2024	28.09.2024
24	सुखराम पुत्र भूरी सिंह	सैहा, थाना मगोर्रा, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
25	हरीदास पुत्र शिवचरन	व्योहई, थाना सुरीर मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
26	नन्दलाल पुत्र रामप्रसाद	धनगौर, थाना सागरनाके, दामोह, म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
27	मुनेश पुत्र मूलचन्द्र	छटीकरा थाना जैत, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
28	विनोद पुत्र हरगोविन्द	छटीकरा, थाना जैत, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
29	सनी पुत्र गिराज	छटीकरा, थाना जैत, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
30	हरी पुत्र लच्छू	सडवां, थाना मलहेरा, छतरपुर म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
31	शिवा पुत्र राजू	अवहाना थाना नोटा, जिला दामोह म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
32	अजय पुत्र राजाराम	सिद्धार्थ नगर कालोनी, जमुनापार, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
33	सोनू पुत्र चतरा	डोंगरपुर, थाना बैनोरा, छतरपुर, म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
34	प्रवीन पुत्र विजेन्द्र	जासा, राया, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
35	गजेन्द्र पुत्र विजय सिंह	चन्द्रपुरी थाना हाईवे, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
36	अवधेश शर्मा पुत्र विनोद	मावली, जमुनापार, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024

37	सुधर सिंह पुत्र विजेन्द्र	चौमुहां, जैत, मथुरा	28.09.2024	28.09.2024
38	रामकेश पुत्र ललुआ	देवरी पुरोहित थाना अमानगंज, पन्ना म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
39	रवि पुत्र शिवराम	धनगौर गुंजी थाना सागर नाके, दमोह म0प्र0	28.09.2024	28.09.2024
40	मुस्ताक पुत्र सुलेमान	नगला कासी थाना हाईवे, मथुरा	29.09.2024	29.09.2024
41	मौसिम पुत्र सुलेमान	नगला कासी, थाना हाईवे, मथुरा	29.09.2024	29.09.2024
42	सरीफ पुत्र मुन्नालाल	रामनगर कालोनी, थाना जमुनापार मथुरा	29.09.2024	29.09.2024

तथा मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी कर शीघ्र गिरफ्तारी एवं घटना मे प्रयुक्त अन्य जेसीबी पेड काटने की कटर मशीन व अन्य उपकरण की बरामदगी में प्रयासरत हैं। विवेचना साक्ष्य संकलन के क्रम में प्रचलित है।

आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

*Ashwani Kumar*  
11.9.24  
(अश्वनी कुमार)  
प्रभारी निरीक्षक  
थाना-जैत, मथुरा

**Case Diary Details**  
**प्रकरण दैनिकी का विवरण**

**Case Diary No.**(प्रकरण दैनिकी सं.): CD24

**Case Diary Supplementary No.** (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

**FIR No.**(प्र.सू.रि. सं.):0413

**Date** (दिनांक):19/09/2024

**District/Unit** (जिला/इकाई): मथुरा

**P.S.** (थाना): जैत

**1. a) General Information** (सामान्य जानकारी)

**b) Date of Preparing the Case Diary** (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 11/11/2024

**c) Start time of Investigation** (जांच प्रारंभ समय): 08:50 बजे

**d) End time of Investigation**(जांच अंत समय): 11:50 बजे

**Places Visited** (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी

**e) Investigation Brief** (जांच संक्षिप्त):

मु0अ0सं0 413/2024 धारा 29/33/41/42/51 भारतीय वन अधिनियम.व धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 व 189(2)/324(5)/223 भारतीय न्याय संहिता दिनांक घटना 19.09.2024 समय 8.00 दिनांक सूचना 19.09.2024 समय 21.12 बजे घटनास्थल छटीकरा वृन्दावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म के गाटा सं0 107 व 242 व 243 व 244 व 246 व 243 व 248 व 249 व 253 व 254 व 255,256 थाना जैत जनपद मथुरा वादी:..... अतुल तिवारी s/o मुरली मनोहर तिवारी क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा रेंज m0b8081570309बनाम डालमिया परिसर के भूमि के मालिक, 1. मैसर्स डालमिया एण्ड संस 10/4 लालालाजपत राय सरानी कलकत्ता 2. नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी उपरोक्त 3.श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5. मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त .,6. गुरू कृपा तपोवन का मालिक शिवशंकर अग्रवाल पुत्र श्री रेवती प्रसाद अग्रवाल निवासी म0नं0 68 मयूर विहार धोली प्याऊ थाना कोतवाली जनपद मथुरा ,7.अन्य मालिक व बिल्डर निवासी अज्ञात ,8.जे.सी.बी का मालिक नाम पता अज्ञात ,9.पोकलेन का मालिक नाम पता अज्ञात ,10 श्रमिको नाम पता अज्ञात व प्रकाश में आये 11. ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र वीरी सिंह निवासी कुंज कालोनी देवीपुरा थाना हाईवे जनपद मथुरा व 12.मुकेश पहलवान पुत्र भगवान सिंह निवासी अजमपुर थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा,13. रामकुमार उर्फ रामू पुत्र कृष्णकुमार निवासी बचगाँव थाना मोगर्रा मथुरा,14. सोहन सिंह पुत्र कन्हैया निवासी बरारी थाना रिफाइनरी जिला मथुरा 15 गोपाल पुत्र मदन लाल निवासी बाद थाना रिफाइनरी जिला मथुरा आदि 52 नफर अभियुक्तगण

**2. Major Task Performed** (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया )

**S.No.(क्र.सं.) 1**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Are**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :**

**State (राज्य) :**

**Pincode (पिन संख्या) :**

**Police Station(पुलिस स्टेशन) :**

**Country(देश) :**

**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी पर्चा न0 23 दिनांक 03.11.2024 को किता कर सेवा मे प्रेषित किया जा चुका है अब मै विवेचक अन्य कार्यसरकार से फुर्सत पाकर विवेचना मसरुफ होता हूँ

**S.No.(क्र.सं.) 2**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Area**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :**

**State (राज्य) :**

**Pincode (पिन संख्या) :**

**Police Station(पुलिस स्टेशन) :**

**Country(देश) :**

**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी आज मुझ विवेचक को थाना कार्यालय से क्षेत्रीय वनअधिकारी रेंज मथुरा का पत्रांक 326/21 मथुरा दिनांक 9/11/2024 का विवेचना में सामिल करने व धारा की बढौतीर करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र व एक प्रार्थना पत्र उप प्रभागीय वनाधिरापी /जाँच अधिकारी मथुरा प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र का बारीबारी अवलोकन किया जा रहा है।

**S.No.(क्र.सं.) 3**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Area**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :****State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

अवलोकन प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मथुरा.....कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेन्ज सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा पत्राक 226 / 21 मथुरा दिनांक 9/11/2024 सेवा में, थानाध्यक्ष थाना जैत वृन्दावन, मथुरा मामलाछटीकरावृन्दावन मार्ग पर स्थित डालमिया परिसर एवं सटी हुड़ संरक्षित वन भूमि पर हुये अवैध वृक्ष पातन में दर्ज एफआईआर संख्या 0413 में सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 कि धाराओ को उक्त एफआईआर कि विवेचना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में संदर्भएफआईआर संख्या 0413, दिनांक 19.09.2024, थाना जैत, वृन्दावन, मथुरा महोदय.उक्त विषयक एफआईआर के संदर्भ में आपको अवगत कराना है, कि डालमिया परिसर से सटी मार्ग पटरी राजकीय भूमि संरक्षित वन भूमि पर काटे व गिराये गये वृक्ष संपत्ति का हिस्सा है एवं उक्त वृक्षों के पातन से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है, कि उक्त एफआईआर कि विवेचना में सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 कि सुसंगत धाराओं को सम्मिलित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त अपराध में लिप्त व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। संरक्षित वन भूमि में पातित वृक्षों के आगणन के सम्बन्ध में उपप्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के पत्र की प्रति पूनः सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।भवदीयक्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा रेंज, मथुरा।प्रतिलिपि:1 प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा।2 उप प्रभागीय वनाधिकारी (जच अधिकारी) एच2 केस संख्या 10/मथुरा/2024 11/मथुरा /20242512/मथुरा 202425,3 जांच अधिकारी एफआईआर नंबर 0413, श्री नरेश कुमार भाटी sd अंग्रेजी अपठनीय क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा। वाद अवलोकन प्रार्थना पत्र संलग्न सीडी किया जाता है।

**S.No.(क्र.सं.) 4**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Are**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :**

**State (राज्य) :**

**Pincode (पिन संख्या) :**

**Police Station(पुलिस स्टेशन) :**

**Country(देश) :**

**f) Description(विवरण) :**

अवलोकन सूची मथुरा वृन्दावन छटीकरा मार्ग पर संरक्षित वन क्षेत्र में पातित वृक्षों की सूची:..... मथुरा वृन्दावन छटीकरा मार्ग पर संरक्षित वन क्षेत्र में पातित वृक्षों की सूची क्र०सं० वृक्ष प्रजाति का नाम वृक्ष की गोलाई से०मी० में ,डायामीटर क्लास क्र०सं० 1 से क्रम० सं० 35 तक नोट राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 30.10.2024 को संरक्षित वन क्षेत्र के सीमा निर्धारण हेतु किये गए संयुक्त सर्वे (रिपोर्ट द्वारा पत्रांक 218/21 दिनांक 07.11.2024) में पूर्व में संरक्षित वन क्षेत्र में पातित वृक्षों की सूची में क्रम संख्या 17, 29 तथा 31 पर दर्ज वृक्ष निजी भूमि में पाए गए हैं। तदानुसार उनको निजी क्षेत्र में पातित वृक्षों की सूची में क्रम संख्या 420, 421 तथा 422 पर दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार संरक्षित वन क्षेत्र में पातित वृक्षों की संख्या 32 है। sd अंग्रेजी अपठनीय उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा / जच अधिकारी, रेंज केस सं०10,11 व 12/मथुरा/202425 । वाद अवलोकन प्रार्थना पत्र संलग्न सीडी किया जाता है ।

**S.No.(क्र.सं.) 5**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Area**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :****State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

अवलोकन प्रार्थना पत्र उपप्रभागीय वनाधिकारी मथुरा:..... कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा सावा प्रभाग, मथुरा। पत्रांक / मथुरा, दिनांक 7/2024 सेवा में, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा। विषय वृन्दावनछटीकरा मार्ग (मों वैष्णो देवी मन्दिर के सामने) पर हुए अवैध 454 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में। सन्दर्भ महोदय आपके कार्यालय के पत्रांक 1592/21 दिनांक 10.10.2024 उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में दर्ज वन अपराध सं010 मथुरा/50 प्रभाग/202425, वन अपराध सं11 मथुरा/51 प्रभाग/202425 व वन अपराध सं12 मथुरा/52 प्रभाग/202425 में अधोहस्ताक्षरी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त घटना स्थल पर निजी कास्तकारों की भूमि व संरक्षित वनभूमि की संयुक्त पैमाइश हेतु आपके कार्यालय के पत्रांक 1592/21 दिनांक 10.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के तुपालन में इस कार्यालय की पत्र सं0100/141 दिनांक 14.10.2024 व पत्र सं182/21 दिनांक 18.10.2024 द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड मथुरा को पत्र लिखा गया। जिनके द्वारा इस कार्यालय को जानकारी प्राप्त करायी गयी कि उनके कार्यालय में स्थल विशेष/उका मार्ग का अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा संरक्षित वनभूमि की पैमाइश हेतु राजस्व विभाग से सूचना प्राप्त करली जाए। तत्कम में इस कार्यालय की पत्र सं0193/21 दिनांक 29.10.2024 द्वारा उपरोक्त स्थल की संयुक्त पैमाइश हेतु उप जिलाधिकारी मथुरा को पत्र लिखा गया। जिसके क्रम में संयुक्त पैमाइश हेतु दिनांक 30.10.2024 निर्धारित की गयी। दिनांक 30.10.2024 को क्षेत्रीय लेखपाल छटीकरा श्री जगन्नाथ भारद्वाज व वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जनपद मथुरा में वृन्दावन छटीकरा मार्ग पर मी वैष्णो देवी मन्दिर के सामने निजी क्षेत्र डालमिया बाग तथा उसके निकट संरक्षित वन भूमि पर दिनांक 18.09.2024 की रात्रि में हुए 454 वृक्षों के अवैध कटान का स्थलीय निरीक्षण कर संरक्षित वनभूमि की सीमा निर्धारित करने हेतु संयुक्त पैमाइश की गयी। पैमाइश पूर्व घटना स्थल से सम्बन्धित भूअभिलेखों को देखा गया। नोटिफिकेशन संख्या1115/1433150, दिनांक 10 फरवरी, 1960 ई0 के अनुसार वृन्दावन छटीकरा मार्ग दूरी मील से 8 मील, 5 फर्लांग, 425 फीट तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा29 के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि घोषित है। नोटिफिकेशन में मार्ग की लम्बाई का विवरण है, परन्तु मार्ग की चौड़ाई का विवरण अंकित नहीं है। तदानुसार मौके पर स्थानीय लेखपाल

श्री जगन्नाथ भारद्वाज क्षेत्र छटीकरा ने भूराजस्व अभिलेख (खसरा/खतौनी) को देखकर स्पष्ट किया है कि ग्राम क्षेत्र छटीकरा के खसरा संख्या 249, 250, 251, 252, 253, 254 के व 254 जो घटना स्थल अथवा वृन्दावन छटीकरा मार्ग की सीमा से लगे हुए हैं, की भूमि निजी काश्तकारों के नाम दर्ज भूमि है, और राजस्व मानचित्र में वृन्दावन छटीकरा मार्ग का खसरा संख्या 236 अंकित है। उक्त अभिलेख देखने के पश्चात की गयी पैमाइश में निम्न तथ्य स्पष्ट हुये, जो निम्न प्रकार है 1 मौके पर छटीकरा वृन्दावन मार्ग के सामान्तर उक्त गाटों की निजी भूमि पर बनी दीवाल से सड़क की तरफ विद्यमान नाली (सम्पूर्ण नाली सहित) तक की भूमि उपरोक्त खसरों की ही निजी भूमि है। 2 मौके पर विद्यमान नाली की सड़क की ओर के किनारे से पक्की सड़क तक की भूमि गार्ग पटरी / राजकीय भूमि/भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत विजमिशुदा भूमि है। पूर्व में (19.09.2024) को गणना टीम द्वारा दिनांक 18.09.2024 की रात्रि में कुल अवैध पातित 454 वृक्षों में 419 वृक्ष निजी भूमि एवं 35 वृक्ष संरक्षित वनभूमि में अंकित दर्शाए गए थे, किन्तु संयुक्त सर्वे में निर्धारित निजी भूमि/राजकीय भूमि पटरी मार्ग सीमा चिन्होंकन में निजी भूमि में 422 व संरक्षित वन क्षेत्र में 32 वृक्षों का पातन इस प्रकार कुल 454 वृक्षों का पातन पाया गया है। उक्त प्रकरण में चल रही विधिक कार्यवाहियों में कुल अवैध पातित 454 वृक्षों में 419 वृक्ष निजी भूमि के स्थान पर 422 वृक्ष पढ़ा जाये एवं संरक्षित वनभूमि में 35 वृक्ष के स्थान पर 32 वृक्ष पढ़ा जाये। अतः रिपोर्ट सादर सूचनार्थ प्रेषित। संलग्नक: 1 संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट। 2 नक्शा नजरिया। 3 गजट नोफिकेशन की प्रति। 4 राजस्व खतौनी। 5 राजस्व मानचित्र। भवदीय उप प्रभागीय वनाधिकारी / जच अधिकारी, मथुरा। पत्रांक 218121 दिनांकित। प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा। पुलिस थानाध्यक्ष, जैत थाना मथुरा। 3 जच अधिकारी उप निरीक्षक श्री नरेश कुमार भाटी द्वारा पुलिस थानाध्यक्ष, जैत। उप प्रभागीय वनाधिकारी / जच अधिकारी, मथुरा। वाद अवलोकन प्रार्थना पत्र संलग्न सीडी किया जाता है।

**S.No.(क्र.सं.) 6**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Area**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :****State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान् जी क्षेत्रीय लेखपाल छटीकरा व वनविभाग के अधिकारी/कर्मगण द्वारा डालमिया फार्म की पुनः सर्वे रिपोर्ट व पैमाईश रिपोर्ट व नक्शा नजरी व खसरा खतौनी की छाया प्रति संलग्न सीडी है।

**S.No.(क्र.सं.) 7****a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अधिनियम/धारा संशोधित**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Area**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :****State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान् जी कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेज मथुरा व क्षेत्रीय लेखपाल व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल पर संरक्षित वनक्षेत्र में पातित वृक्षो का पुनः किये गये सर्वे रिपोर्ट के

अवलोकन से संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि सार्वजनिक सम्पत्ति पायी गयी है। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अपराध का होना पाया गया है। मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की वृद्धि की जाती है। मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधि० व 189(2)/324(5)/223 भारतीय न्याय संहिता व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम शिवशंकर अग्रवाल आदि अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्पादित की जायेगी। धारा बढौतरी का उल्लेख थाना हाजा के रो०आम के रपट संख्या 20 समय 11.31 तारीखी इमरोजा में किया गया है।

**S.No.(क्र.सं.) 8**

**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

**b) Witness Name(गवाह का नाम) :**

**c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

**d) Age(उम्र) :**

**e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

**Street Name**

(गली का नाम) :

**Colony/Locality/Area**

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

**Village/Town/City**

(ग्राम/नगर/शहर) :

**Tehsil/Block/Mandal**

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

**District (ज़िला) :**

**State (राज्य) :**

**Pincode (पिन संख्या) :**

**Police Station(पुलिस स्टेशन) :**

**Country(देश) :**

**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान् जी मुकदमा उपरोक्त में जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध अभियुक्तगण शिवशंकर अग्रवाल व अन्य 30 अभियुक्तगण कुल 31 अभियुक्तगण के रिमाण्ड में धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा की बढौतरी हेतु अभियुक्तगण को तलब कराने हेतु माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

## 3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

## 4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): साक्ष्य संकलन

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 11/11/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

तारीखी इमरोजा का पर्चा किता कर सादर सेवा में प्रेषित है विवेचना प्रचलित है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

## 5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 18/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): NARESH KUMAR BHATI

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972292856





राजिवाद सं० 12/मधुश/2024-2025

1369

प्रभागीय वाद सं० .....

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) बज्र भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ..... 1/वृ२  
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कि धारा 9, 39, 51

अन्य अपराध..... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०..... दिनांक 20/9/2024 अधिक्षेत्र राजि. मधुश

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
  1. अशोक डालमिया स्वरु संसि 10/4 लाला लजपत राय शराजी
  2. मोनदापर कोलकाता पश्चिम बंगाल
  3. शराजी प्रसाद डालमिया 5/0 रघुनंदन 10/4 लाला लजपत राय कोलकाता पश्चिम बंगाल
  3. श्री चन्द्र कुमार धानुका 5/0 शंकर लाल धानुका 10/4 लाला लजपत राय शराजी कोलकाता पश्चिम बंगाल
  4. श्री मती अरण धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कोलकाता
  5. मंगक धानुका 5/0 चन्द्रकमार धानुका निवासे उपरोक्त
  6. गुरुकृपा तपोवन कालाजी का मालिक
  7. अरुण मालिक व विल्डर
  8. जे.सी.बी. मालिक
  9. पोकेलीन मरानि मालिक
  10. अरुणिक

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन  
 दिनांक 19/9/24 को वृद्धक-हटीकरा मार्ग पर डालमिया नामक परिसर में खंभे से वृद्धक वन में 454 कि का काट गिरा गया था, दि 20/9/24 को मोके पर जांच में कम जीव मिले हैं।  
 LAT - 27.563939° दिनांक 19/9/24 को मोके पर जांच में कम जीव मिले हैं।  
 LONG - 77.636069° दिनांक 19/9/24 को मोके पर जांच में कम जीव मिले हैं।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय दिनांक 19/9/2024 को वृद्धक-हटीकरा मार्ग पर डालमिया नामक परिसर गांव से 107, 242, 243, 244, 246, 248, 249, 253, 254, 256, 257 में वृद्धक वन के क्षेत्र में 2 बड़े नाम, बबूल, पीपल अरु अन्य प्रजाति के वृद्धक को काट दिया गया है।  
 वृद्धक वन में पावर लाई प्रोफिलिंग मशीन व अरु अन्य मशीनों को लकड़ों काट दिया गया है।  
 उपरोक्त प्रकरण में कोलमा संख्या 1 में वृद्धक वन में व्यक्ति द्वारा अज्ञात पाये जाने पर सफा जाई, जांच संख्या 0413 दिनांक 19/9/24 एवं H2 केस संख्या 19/09/24 दिनांक वर्ज की गयी है।  
 दिनांक 20/9/2024 को उक्त प्रकरण कि जांच हेतु रेंज की टीम को साथ साथ 2 बज्र डालमिया परिसर के मोके पर पहुंचे तो कटे हुए वृद्धक के साथ साथ निम्नलिखित वन्य जीव के तब्य भी पाये गये, 1. मृत्यु संप (Indian Rat Snake) मृत्यु पाया गया है कि मोर का यहाँ प्राकृतिक आवास था।  
 2. बहुतायत संख्या में मोर पाये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि मोर का यहाँ प्राकृतिक आवास था।  
 3. वृद्धक वन में पक्षियों के अतिव्यस्त धांसले पाये गये।  
 4. वन्य जीव के प्राकृतिक धांसले नष्ट किये गये।

उपरोक्त वर्णित तब्यों से प्रबल दृष्टया ये स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अभियंता गणों द्वारा कारित अपराध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 के अन्तर्गत दणनीय अपराध है, अतः प्रबल सूचना रिपोर्ट सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अरुण निवारी  
 अतिरिक्त वन अधिकारी  
 मधुश

(अति गोपनीय)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 1228 /17-1 मथुरा, दिनांक 23/09/2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जनपद मथुरा ।

विषय :- दिनांक 18.09.2024 की रात्रि को छटीकरा के निकट डालमिया ट्रस्ट के स्थल पर हुए भारी अवैध कटान प्रकरण के सम्बन्ध में आसूचना

सन्दर्भ :- 1-थाना जैत में वन विभाग द्वारा दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 नम्बर-0413/2024  
2-इस कार्यालय का पत्रांक-1163/17-1, दिनांक 20.09.2024

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मथुरा वन प्रभाग में उप प्रभागीय वनाधिकारी, सादाबाद की अध्यक्षता में विशेष जाँच टीम का गठन किया गया था । उक्त समिति द्वारा अपनी अन्तरिम जाँच रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है जिसमें सी0सी0टी0वी0 फुटेज, मुखबिरों तथा अन्य स्रोत के आधार पर प्रकरण में सम्भावित रूप से संलिप्त व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। उक्त रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संदर्भित प्रकरण में उक्त आसूचना का सत्यापन कर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें । साथ ही अनुरोध है कि विभागीय जाँच समिति से आसूचना सङ्ग्राह करने हेतु अपने स्तर से किसी नोडल अधिकारी को भी नामित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

*R&A*  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

पत्रांक 1228 /17-1

दिनांकित ।

प्रतिलिपि - उप प्रभागीय वनाधिकारी, सादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

*R&A*  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

*OU*

अत्यन्त गोपनीय

कार्यालय उपप्रभागीय वनाधिकारी सादाबाद, मथुरा वन प्रभाग

पत्रांक 17/ 2-1 मथुरा

दिनांक: 23 सितम्बर 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा

विषय- अनंतिम जाँच रिपोर्ट

सन्दर्भ -आपका कार्यालय पत्रांक 1155/2-1 मथुरा , दिनांक 19 सितम्बर 2024

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र/आदेश द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय टीम द्वारा पत्र में उल्लेखित प्रकरण की गोपनीय ढंग से जाँच की जा रही है. अब तक 03 दिवसीय जाँच में जो तथ्य प्रकाश में आये है इस प्रकार है -

1-घटनास्थल के सम्मुख माँ वैष्णो देवी मंदिर की CCTV Footage को टीम द्वारा देखा गया जिसमे 14 JCB दिनांक 18/09/2024 की रात्रि 11 बजे के बाद घटनास्थल पर जाती हुई दिखाई दी किन्तु बिजली गुल होने से स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी।

2- छटीकरा चौराहा पर लगे ITMS CCTV footage की जाँच में सामने आया की 3 JCB Delhi to Agra Highway से छटीकरा वृन्दावन मार्ग की तरफ आयी है और 9 JCB Agra to Delhi Highway से छटीकरा वृन्दावन मार्ग की तरफ आयी है किन्तु बिजली न होने से स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी। (JCB आने का समय- दिनांक 18/09/2024 रात्रि 11 बजे से 11:30 के बीच)

3- एक CCTV footage( पहचान गोपनीय) टीम को प्राप्त हुई है जिसमे 03 गाड़ियाँ ( काले रंग की थार गाड़ी, सफ़ेद रंग की बोलेरो और नयी मारुती ब्रेज़्ज़ा (ब्लैक एंड वाइट) और 06 JCB दिखाई दी, नयी मारुती ब्रेज़्ज़ा से 04 लोग उतर कर JCB की निर्देशित कर रहे है उनमे से एक व्यक्ति की पहचान स्थानीय लोगो द्वारा किशन नाम से की गयी है जो गोविंदपुर, मथुरा का रहने वाला है। सभी JCB नयी प्रतीत हो रही है ,उन पर 3DX , Ecoexpert अंकित है, एक JCB पर PREM JCB अंकित है. काले रंग की थार बिना नंबर के थी जो मुकेश पहलवान पता आजमपुर ,टाउनशिप, मथुरा की है, ऐसा पता चला है।

4- Agra to Delhi Highway पर छटीकरा चौराहा से 02 km पूर्व स्थित CNG इंडियन आयल पेट्रोल पंप पर CCTV फुटेज में 09 JCB और 01 TATA Hitachi Poclain Machine के साथ एक काले रंग की थार और एक सफ़ेद रंग की मारुती ertiga गाड़ी करीब आधे घंटे तक रही और उनमे से एक व्यक्ति जो JCB को निर्देश देते हुआ दिखा उसे गुड्डन पहलवान पता अदुकी मथुरा के रूप में कुछ लोगो ने पहचाना है जिसका मोबाइल नंबर 9760867882 पता किया गया है।

L.K.  
उपप्रभागीय वनाधिकारी  
11/9/24 ①

## अत्यन्त गोपनीय

5- दिनांक 21/09/2024 को रेंज स्टाफ द्वारा एक आधार कार्ड मूल में टीम को सौंपा है जिसे उनके अनुसार घटनास्थल से उठया गया है, आधार कार्ड मोहन सिंह, राल, मथुरा नाम से है।

6- मुखबिर जरिये एवं उपलब्ध साक्ष्यों से पता चला है कि निम्न व्यक्ति नामजद लोगों के अतिरिक्त घटना में संलिप्त/संदिग्ध हैं-

- 1-ओमी ठाकुर पता -बाजना एवं Agra to Delhi Highway पर मथुरा स्थित होंडा एजेंसी के पास
- 2- कमल शर्मा , डालमिया फार्म मेनेजर
- 3-शंकर सेठ , मथुरा
- 4- मुकेश पहलवान पता आजमपुर , टाउनशिप , मथुरा
- 5-मोहन सिंह ,राल मथुरा
- 6-गुड्डन पहलवान , अदुकी मथुरा मोबाइल नंबर 9760867882
- 7-सुभाष तोमर
- 8-किशन गोविंदपुर, मथुरा( cctv footage से पहचान की गई)
- 9-शोराब ठेकेदार मोबाइल न 9997080928

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य अभी एकत्र किये जा रहे हैं जिसके पश्चात् अंतिम रिपोर्ट अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दी जाएगी। यह अनंतिम जाँच रिपोर्ट इस आशय के साथ सादर प्रेषित कि पुलिस विभाग द्वारा इस जांच रिपोर्ट मे नामित व्यक्तियों का सत्यापन एवं अग्रतर कार्यवाही की जाए।



मनीष कुमार शर्मा  
अध्यक्ष ,जाँच समिति  
उप प्रभागीय वनाधिकारी सादाबाद

②

अद्यतन आख्या थाना जैत जनपद मथुरा

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  
जनपद-मथुरा

विषय:-थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 413/2024 धारा 29/33/41/42/51 भा0वन0 अधिनियम बनाम 1.मैसर्स डालमिया एण्ड संस 10/4 लालालाजपत राय सरानी कलकत्ता 2.नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी उपरोक्त 3.श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5.मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त 6.गुरू कृपा तपोवन का मालिक शिवशंकर अग्रवाल पुत्र श्री रेवती प्रसाद अग्रवाल निवासी म0नं0 68 मयूर विहार धौली प्याऊ थाना कोतवाली जनपद मथुरा 7.अन्य मालिक व बिल्डर निवासी अज्ञात 8.जे.सी.बी का मालिक नाम पता अज्ञात 9.पोकलेन का मालिक नाम पता अज्ञात 10.श्रमिको के नाम पता अज्ञात के सम्बन्ध मे आख्या ।

महोदय,

सादर अनुरोध है कि थाना हाजा पर 19.09.2024 को वादी श्री अतुल तिवारी पुत्र मुरली मनोहर तिवारी,क्षेत्रीय वन अधिकारी जनपद मथुरा द्वारा दिनांक 18/19-09-2024 की रात्रि मे छटीकरा वृन्दावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म के गाटा सं0 107 व 242 व 243 व 244 व 246 व 243 व 248 व 249 व 253 व 254 व 255,256 थाना जैत जनपद मथुरा के अन्दर/बाहर लगभग 454 हरे पेड़ काटने व उखाडने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 413/2024 धारा 29/33/41/42/51 भा0 वन0 अधिनियम बनाम 1.मैसर्स डालमिया एण्ड संस 10/4 लालालाजपत राय सरानी कलकत्ता 2.नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी उपरोक्त 3.श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5.मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त 6.गुरू कृपा तपोवन का मालिक शिवशंकर अग्रवाल पुत्र श्री रेवती प्रसाद अग्रवाल निवासी म0नं0 68 मयूर विहार धौली प्याऊ थाना कोतवाली जनपद मथुरा 7.अन्य मालिक व बिल्डर निवासी अज्ञात 8.जे.सी.बी का मालिक नाम पता अज्ञात 9.पोकलेन का मालिक नाम पता अज्ञात 10.श्रमिको नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की रही है । दौराने विवेचना साक्ष्यो के आधार पर दिनांक 22.09.2024 को अभियुक्त गुरू कृपा तपोवन के मालिक शिव शंकर अग्रवाल पुत्र रेवती प्रसाद अग्रवाल निवासी मकान नं0 68 मयूर विहार धौली प्याऊ थाना कोतवाली मथुरा का नाम प्रकाश मे आया तथा वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 23.09.2024 को धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधि0 की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त शिवशंकर अग्रवाल उपरोक्त को दिनांक 24.09.2024 को गिरफ्तार किया गया ।जिसके द्वारा गहनता से पूछताछ पर बताया कि मेरे द्वारा डालमिया फार्म मे गुरू कृपा तपोवन नाम से कालौनी विकसित करनी थी उस जमीन पर पेड खडे होने की वजह से कालौनी बनाने का काम शुरु नही हो पा रहा था ,इसी वजह से आरोपी शिवशंकर द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित किया गया । अभियुक्त शिवशंकर अग्रवाल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इसके पश्चात दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 24.09.2024 को अभियुक्त जेसीवी ठेकेदार ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र वीरी सिंह निवासी कुंज कालोनी देवीपुरा थाना हाईवे जनपद मथुरा व जेसीवी आपरेटर रामकुमार उर्फ रामू पुत्र कृष्णकुमार निवासी बचगाँव थाना मोगर्रा मथुरा व जेसीवी ठेकेदार मुकेश

पहलवान पुत्र भगवान सिंह निवासी अजमपुर थाना रिफाईनरी जनपद मथुरा के नाम प्रकाश मे आये। दिनांक 25.09.2024 को अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र वीरी सिंह निवासी कुंज कालोनी देवीपुरा थाना हाईवे जनपद मथुरा को एक थार गाडी काले रंग बिना नम्बर व रामकुमार उर्फ रामू पुत्र कृष्णकुमार निवासी बचगाँव थाना मोगर मथुरा को एक जेसीबी के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। व दिनांक 26.09.2024 को साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण जेसीबी आपरेटर सोहन सिंह पुत्र कन्हैया निवासी बरारी थाना रिफाइनरी जिला मथुरा व जेसीबी आपरेटर गोपाल पुत्र मदन लाल निवासी बाद थाना रिफाइनरी जिला मथुरा के नाम प्रकाश मे आये है। दिनांक 27.09.2024 को अभियुक्तगण जेसीबी आपरेटर सोहन सिंह पुत्र कन्हैया निवासी बरारी थाना रिफाइनरी जिला मथुरा को मय जेसीबी व जेसीबी आपरेटर गोपाल पुत्र मदन लाल निवासी बाद थाना रिफाइनरी जिला मथुरा को मय एक जेसीबी के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे उप प्रभागीय वन अधिकारी श्री सुशील कुमार जनपद मथुरा की आख्या एवं वन विभाग की टीम द्वारा घटना स्थल से बरामद मृत सर्प की बरामदगी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट व बरामद चिडिया के घोंसले मोर पंख व बयान उप प्रभागीय वन अधिकारी के आधार पर धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 27.9.24 को साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम देहुली घाट थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी हालपता छटीकरा झोपडी मे काँलौनी थाना जैत जिला मथुरा 2.आकाश पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम डहरुआ थाना जमुनापार जिला मथुरा 3.अयूब पुत्र रफीक निवासी राधेश्याम काँलौनी थाना गोविन्दनगर जिला मथुरा 4. रवि कुमार अहरवार पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम देहुली घाट थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी 5.राम अवतार पुत्र हरीशंकर निवासी ग्राम फरीदनगर थाना सोरों जिला कासगंज 6.शहजाद पुत्र चिम्मू निवासी राधानिवास म0न0 374 गोविन्दकुंज टीला थाना वृन्दावन जिला मथुरा 7.अरविन्द अहिरवार पुत्र बड्डाई निवासी ग्राम तिगौडा थाना सहायगढ जिला सागर प्रान्त मध्य प्रदेश 8.बड्डाई उर्फ बडे पुत्र घन्सुआ उर्फ घन्सिया निवासी ग्राम तिगौडा थाना सहायगढ जिला सागर प्रान्त म0प्र0 9.मनीष पुत्र बड्डाई निवासी ग्राम तिगौडा थाना सहायगढ जिला सागर प्रान्त मध्य प्रदेश ,10.रामवीर सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम छोटिया वेरी चाहर अकोला थाना कागारौल जिला आगरा 11.मुबारक पुत्र वसीर निवासी राधेश्याम काँलौनी थाना गोविन्दनगर जिला मथुरा 12.बनी सिंह पुत्र कल्लन निवासी ग्राम कोटा थाना जैत जिला मथुरा 13.विजेन्द्र पुत्र भूप सिंह निवासी मोहल्ला झींगरपुरा थाना कोतवाली जिला मथुरा 14.नवल सिंह पुत्र धनीराम निवासी ग्राम जैत थाना जैत जिला मथुरा 15.राहुल विश्वकर्मा पुत्र शोभालाल निवासी ग्राम रसोटा थाना हटा जिला दमोह प्रान्त मध्य प्रदेश 16.बाबूलाल अहिरवार पुत्र आशाराम निवासी आशाराम निवासी ग्राम मंगौला थाना मंगरोन जिला दमोह प्रान्त मध्य प्रदेश 17.नीरज पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम भिलावटी थाना अछनेरा जिला आगरा 18.सुखराम सिंह पुत्र भूरी सिंह निवासी ग्राम सैहा पोस्ट कोसी खुर्द थाना मगोरा जिला मथुरा 19.हरीदास पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम ब्योहई थाना सुरीर जिला मथुरा 20.नंदलाल अहिरवार पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम धनगोर थाना सागरनाके जिला दमोह प्रान्त मध्य प्रदेश 21.मुनेष पुजारी पुत्र मूलचन्द्र निवासी गोवर्धन रोड छटीकरा रमन चक्की का सामने थाना जैत जिला मथुरा 22.विनोद वैष्णव पुत्र हरगोविन्द निवासी रमन चक्की के सामने गोवर्धन रोड छटीकरा थाना जैत जिला मथुरा 23.सनी पुत्र गिराज निवासी छटीकरा थाना जैत जिला मथुरा 24.हरी पुत्र लच्छू निवासी ग्राम सढवा थाना बढा मलहेरा जिला छतरपुर प्रान्त मध्यप्रदेश वैष्णो देवी मन्दिर के सामने छटीकरा थाना जैत जिला मथुरा 25.शिवा पुत्र राजू निवासी ग्राम अभाना थाना नोटा जिला दमौह प्रान्त मध्य प्रदेश 26.अजय पुत्र राजाराम निवासी मो0 सिद्धार्थ नगर काँलौनी थाना जमुनापार जिला मथुरा 27.सोनू अहिरवार पुत्र चतरा निवासी ग्राम डोंगरपुर थाना ब्यनौरा जिला छतरपुर प्रान्त मध्य प्रदेश 28.प्रवीन कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह

निवासी ग्राम जासा थाना राया जिला मथुरा 29. गजेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी मकान न0 13 चन्द्रपुरी थाना हाईवे जिला मथुरा 30. अवधेश शर्मा पुत्र विनोद निवासी ग्राम मावली थाना जमुनापार जिला मथुरा 31. सुघर सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कस्वा चौमुहा थोक बाजार थाना जैत जिला मथुरा 32. रामकेश पुत्र ललुआ निवासी ग्राम देवरी पुरोहित थाना अमानगंज जिला पन्ना प्रान्त मध्य प्रदेश 33. रवि अहिरवार पुत्र शिवराम निवासी ग्राम धनगोर गुंजी थाना सागरनाके जिला दमोह प्रान्त मध्य प्रदेश ,34. मुस्ताक पुत्र सुलेमान निवासी नगला काशी थाना हाईवे ,35. मोहसिम पुत्र सुलेमान निवासी उपरोक्त व 36. शोराब पुत्र सुलेमान निवासी उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये । तथा दिनांक 28.09.2024 को अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम देहुली घाट थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी हालपता छटीकरा झोपडी मे काँलौनी थाना जैत जिला मथुरा आदि 33 नफर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। व दिनांक 28.09.2024 को साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त 1. शरीफ पुत्र मुन्नालाल निवासी रामनगर काँलौनी पानी का टंकी के पास थाना जमुनापार जिला मथुरा का नाम प्रकाश मे आया । दिनांक 29.9.24 को साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 189(2)/324(5)/223बीएनएस के बढौतरी की गयी दिनांक 29.09.2024 को अभियुक्तगण 1. मुश्ताक पुत्र सुलेमान निवासी नगला काशी थाना हाईवे जिला मथुरा 2. मौसिम पुत्र सुलेमान निवासी नगला काशी थाना हाईवे जिला मथुरा 3. शरीफ पुत्र मुन्नालाल निवासी रामनगर काँलौनी पानी का टंकी के पास थाना जमुनापार जिला मथुरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे सोहराव पुत्र सुलेमान निवासी न0 काशी थाना हाईवे मथुरा की गिरफ्तारी शेष है।

विवेचना के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त मे नामजद आरोपी नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन प्रसाद डालमिया निवासी 10/4 लालालाजपत राय सरानी कलकत्ता 3. श्रीचन्द कुमार धानुका पुत्र शंकरलाल धानुका निवासी 14 लोडन स्ट्रीट कलकत्ता 4. श्रीमती अरूणा कुमार धानुका नि0 उपरोक्त 5. मृगांक धानुका नि0 उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त के सह विवेचक उ0नि0 श्री रामदेव शर्मा द्वारा दिनांक 28/09/24 को नोटिस तामील कराया गया। तथा यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे प्रश्नगत जमीन के मालिक 1. नारायण प्रसाद डालमिया 2. चन्द्रकुमार धानुका 3. प्रद्युमन डालमिया 4. वेदान्त डालमिया 5. सिद्धान्त डालमिया 6. राजेन्द्र प्रसाद पंसारी हैं। नामित आरोपी नारायण प्रसाद डालमिया आदि उपरोक्त के द्वारा उक्त जमीन के विक्रय हेतु किये गये अलग-अलग एमओयू माध्यम से यह जमीन राधामाधव डेवलपर्स फर्म को एमओयू के माध्यम से बेच दी गयी। जिसकी धनराशि करीब 278 करोड 95 लाख रुपये नारायण प्रसाद डालमिया आदि द्वारा अपने खाते मे लिये जा चुके हैं। राधामाधव डेवलपर्स फर्म के भागीदार 1. गिराज अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी आनन्द कृष्णवन सुनरख रोड मधुवन कालोनी वृन्दावन बांगर जनपद मथुरा 2. आशीष कौशिक पुत्र श्री रमेश चन्द्र कौशिक निवासी 16 सी बैंक काँलोनी अर्थरा कृष्णा नगर मथुरा 3. राहुल सिंघल निवासी मयूर बिहार भरतपुर रोड मथुरा 4. राजीव अग्रवाल पुत्र केशवदेव अग्रवाल निवासी बृजवासी मेडास मसानी लिंक रोड मथुरा 5. सतीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र केशवदेव अग्रवाल निवासी बृजवासी उत्सव निकट आकाशवाणी केन्द्र मसानी तिराहा वृन्दावन रोड मथुरा 6. सतीश बंसल पुत्र पीएम बंसल निवासी 1/10 शान्ति निकेतन साउथ वेस्ट दिल्ली के विरुद्ध नोटिस तामील कराकर एमओयू के सम्बन्ध मे जवाब देने को कहा गया है।


श्रीमानजी मुकदमा उपरोक्त मे अब तक 42 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिसमे से मुख्य आरोपी शिवशंकर अग्रवाल उपरोक्त सहित 31 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय एसीजेएम-1 मथुरा द्वारा अन्तरिम जमानत निरस्त करते हुए दिनांक 23.10.24 को जेल भेजा जा चुका है जो वर्तमान मे जिला कारागार मथुरा

मे निरूद्ध है तथा घटना मे प्रयुक्त 03 जेसीवी मशीन व एक थार गाडी व पेड काटने की कटर मशीन रस्सा आदि की वरामदगी की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 03 अन्य अभियोग क्रमशः विद्युत विभाग मथुरा से वादी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्ता 33/11 केवी विधुत उपकेन्द्र, छटीकरा, मथुरा द्वारा दिनांक 20.09.2024 को मु0अ0सं0 415/2024 धारा 136 विद्युत अधिनियम बनाम गुरूकृपा तपोवन का मालिक नाम पता अज्ञात तथा मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से अवर अभियन्ता श्री विमल कुमार कोहली द्वारा दिनांक 20.09.2024 को मु0अ0सं0 417/2024 धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम 1.डालमिया एण्ड सन्स, 2.नारायण प्रसाद डालमियां, 3.श्री चन्द्र धानुका, 4.मृगांक धानुका, 5.गुरूकृपा तपोवन कालोनी के मालिक, 6.अरूणा धानुका आदि थाना जैत पर पंजीकृत है उपरोक्त दोनो अभियोगो मे भी मे अब तक 42 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिसमे से मुख्य आरोपी शिवशंकर अग्रवाल उपरोक्त सहित 31 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय एसीजेएम-1 मथुरा द्वारा अन्तरिम जमानत निरस्त करते हुए दिनांक 23.10.24 को जेल भेजा जा चुका है जो वर्तमान मे जिला कारागार मथुरा मे निरूद्ध है तथा नगर निगम मथुरा के सहायक अभियन्ता(जल) सहप्रभारी मार्ग प्रकाश नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा दिनांक 30.09.2024 को मु0अ0सं0 428/2024 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम डालमियां फार्म के पेड काटने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत कराया है जिसमे आरोपी शिवशंकर अग्रवाल उपरोक्त जिला कारागार मथुरा मे निरूद्ध है।

मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी कर शीघ्र गिरफ्तारी व घटना मे प्रयुक्त अन्य जेसीबी पेड काटने की कटर मशीन व अन्य उपकरण की बरादगी के प्रयास किये जा रहे है। विवेचना प्रचलित है।

अद्यतन आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

  
(डा0 अरविन्द कुमार)  
पुलिस अधीक्षक नगर  
मथुरा।

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी ,मथुरा रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग ,मथुरा

पत्रांक 150 / 2-1 मथुरा , दिनांक 29/09/2024

सेवा में ,

थानाध्यक्ष  
थाना, जैत  
मथुरा


विषय :- वन अपराध में अभियुक्त गण से बरामद तीन जे0सी0वी0 मशीन एवं एक थार गाड़ी वन विभाग के कब्जे में दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- अपराध संख्या 0413 (सन 2024 ) थाना जैत राज्य बनाम मालिक मैसर्स डालमिया एण्ड संस + 9 दिनांकित 19.09.2024 ।

महोदय ,

उपरोक्त अपराध संख्या 0413/2024 में दौरान विवेचन अभियुक्त गण से (1) एक थार बिना नम्बर प्लेट जिसका चेसिस नं0 MA1UJ4YC2N2A 1866 (2) एक जे0सी0वी0 नं0 UP85LT0698 (3) एक जे0सी0वी0 मशीन नं0 UP85ET3476 (4) एक जे0सी0वी0 मशीन नं0 UP85DT1728 कुल चार वाहन का वन विभाग द्वारा कॉन्फिसकेशन किया जाना है। इन वाहनो का वन विभाग के कब्जे में आना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त चारो वाहन अधोहस्ताक्षरी के कब्जे में दिये जाने हेतु कार्यवाही करें ।

भवदीय

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मथुरा रेंज, मथुरा ।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथा संशोधित) 2000 की धारा-51(1) के अन्तर्गत सूचना  
न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा

पत्रांक 2140 / 35-3 मथुरा, दिनांक 18/11/2024.  
सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)  
मथुरा ।

विषय :- एफ0आई0आर0 संख्या-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 के सम्बन्ध में बरामद वाहनों को वन विभाग के कब्जे में लेने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1-क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा के कार्यालय का पत्रांक-233/2-1, दिनांक 16.11.2024 एवं थाना जैत सामान्य दैनिकी विवरण दिनांक 16.11.2024 (प्रति संलग्न)

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा ने अपने कार्यालय की पत्र संख्या-233/2-1, दिनांक 16.11.2024 से अवगत कराया है कि -

"छटीकरा-वृन्दावन मार्ग पर स्थित डालमिया परिसर एवं सटी हुई संरक्षित वन भूमि में दिनांक 18.09.2024 को हुए वृक्ष पातन के सम्बन्ध में थाना जैत में दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 के कम में थाना जैत द्वारा बरामद 03 जे0सी0बी0 मशीन एवं 01 महिन्द्रा थार को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-52ए की कार्यवाही (अधिहरण) करने हेतु वन विभाग के कब्जे में देने हेतु थाना जैत प्रभारी से आग्रह किया गया । जिसके कम में दिनांक 16.11.2024 सांय 8.17 बजे वन विभाग के कब्जे में ले लिए गये हैं । जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क0सं0	वाहन का विवरण	वाहन संख्या (वाहन पर लगी हुई नम्बर प्लेट के अनुसार)	आर.सी.नम्बर	चैसेज नम्बर	वाहन मालिक का नाम व पता
1	2	3	4	5	6
1	जे0सी0बी0	UP85CT0698	-	HARDXSSV02817835	अज्ञात
2	जे0सी0बी0	UP85ET3476	-	HAR3DX54K03386503	अज्ञात
3	जे0सी0बी0	UP85DT1728	-	RAJ3DX1NJ03232089	अज्ञात
4	महिन्द्रा थार (रंग काला)	-	-	MA1UJ4YC2N2A18662	अज्ञात

उपरोक्तानुसार सूची में दर्ज वाहनों का विवरण थाना जैत के द्वारा वन विभाग को सुपुर्दगी में दिए गए सामान्य दैनिकी विवरण के अनुसार दर्ज किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । सूची दर्ज में वाहनों क0सं0-04 पर दर्ज महिन्द्रा थार जिसके वाहन संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी है जिसका चैसेज नम्बर सूची में दर्ज कर दिया गया है ।"

उक्त संदर्भित पत्र में किये गये अनुरोध के कम में उपरोक्त वाहनों का भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-52ए के अन्तर्गत अधिहरित करने की कार्यवाही की जानी है । जिस हेतु सूची में दर्ज कॉलम संख्या-03 से 06 तक की पूर्ण एवं सुस्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर उपरोक्त वाहनों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-52ए के अन्तर्गत अधिहरित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके ।

(रजनीकान्त मित्तल)  
प्राधिकृत अधिकारी,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 2140 / 35-3 दिनांकित ।

1- प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मथुरा के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर उक्त वाहनों की सूचना प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(रजनीकान्त मित्तल)  
प्राधिकृत अधिकारी,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज ।  
पत्रांक 233/2-1 मथुरा, दिनांक 16.11.2024.

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी/  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

विषय :- एफ0आई0आर0 संख्या-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 के सम्बन्ध में बरामद वाहनों को वन विभाग के कब्जे में लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि छटीकरा-वृन्दावन मार्ग पर स्थित डालमिया परिसर एवं सटी हुई संरक्षित वन भूमि में दिनांक 18.09.2024 को हुए वृक्ष पातन के सम्बन्ध में थाना जैत में दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 के क्रम में थाना जैत द्वारा बरामद 03 जे0सी0बी0 मशीन एवं 01 महिन्द्रा थार को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-52ए की कार्यवाही (अधिहरण) करने हेतु वन विभाग के कब्जे में देने हेतु थाना जैत प्रभारी से आग्रह किया गया । जिसके क्रम में दिनांक 16.11.2024 सांय 8.17 बजे वन विभाग के कब्जे में ले लिए गए । उक्त वाहन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर अभिरक्षा में खड़े हुए हैं । जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	वाहन का विवरण	वाहन संख्या (वाहन पर लगी हुई नम्बर प्लेट के अनुसार)	आर.सी.नम्बर	चैसेज नम्बर	वाहन मालिक का नाम व पता
1	2	3	4	6	7
1	जे0सी0बी0	UP85CT0698	-	HARDXSSV02817835	अज्ञात
2	जे0सी0बी0	UP85ET3476	-	HAR3DX54K03386503	अज्ञात
3	जे0सी0बी0	UP85DT1728	-	RAJ3DX1NJ03232089	अज्ञात
4	महिन्द्रा थार (रंग काला)	-	-	MA1UJ4YC2N2A18662	अज्ञात

उपरोक्तानुसार सूची में दर्ज वाहनों का विवरण थाना जैत के द्वारा वन विभाग को सुपुर्दगी में दिए गए सामान्य दैनिकी विवरण के अनुसार दर्ज किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । सूची दर्ज में वाहनों क्र0सं0-04 पर दर्ज महिन्द्रा थार जिसके वाहन संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी है जिसका चैसेज नम्बर सूची में दर्ज कर दिया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अनुरोध है कि उक्त वाहनों का भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-52ए के अन्तर्गत अधिहरित करने की कृपा करें ।

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मथुरा रेंज ।  
मथुरा

पत्रांक /

दिनांकित ।

1- प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मथुरा रेंज ।  
मथुरा

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी  
(प्रशासन) मथुरा।

पत्रांक 5185 / टीआर / आख्या / 2024

दिनांक:-18.11.2024

सेवा में,  
प्राधिकृत अधिकारी,  
सामाजिक वानिकी, प्रभाग, मथुरा।


विषय:- एफ0आई0आर0 संख्या-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 के सम्बन्ध में बरामद  
वाहनों को वन विभाग के कब्जे में लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2140/35-3, दिनांक 18.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 03 वाहनों की पंजीयन संख्या एवं 01 वाहन का चेसिस संख्या उल्लेख करते हुए इनके सम्बन्ध में आख्या/जानकारी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः इस पत्र के साथ वाहन संख्या यूपी85सीटी-0698, यूपी85ईटी-3476, यूपी85डीटी-1728 एवं यूपी85सीए-6868 आदि वाहनों की कार्यालय कम्प्यूटर द्वारा जारी एक्सट्रेक्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

  
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी  
(प्रशासन) मथुरा।

**FORM 24 (100% VEHICLE REGISTER)**  
**UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT AUTHORITY - MATHURA**

148

Registration No. : UP85CT0698 Date of Registration. : 20-Feb-2020  
 Dealer's Name & Address : PREM VEHICLES PVT LTD, 1336, BAINPUR, SIKANDARA, AGRA  
 Owner Name : M/S KANHAIYA EARTH Son/wife/daughter of : NA  
 MOHVERS

Full Address: (Permanent) : JAI SINGH PURAMATHURA,, Mathura, 281001  
 Full Address: (Temporary) : JAI SINGH PURAMATHURA,, Mathura, 281001

Nominee Name : Relationship with the nominee :  
 Mobile No. : 9837048400 Old Registration No. :

**RC Cancel Details:**

a) Date : b) Cancel Reason :

**Hypothecation Details:**

a) Financer Name : MANAPPURAM FINANCE LTD b) Financer Type : HIRE-PURCHASE

c) Financer Address : KAMLA, NAGAR, "", AGRA, 282004, "UTTAR PRADESH"

The Motor Vehicle is. : NEW (NON TRANSPORT) Sale Amount : 2525000

Class of Vehicle : Construction Equipment Month and Year of Manufacture : 1/ 2020

No. Of Cylinders : 4 Norms : Bharat Stage III (CEV)

Chassis No : HAR3DXSSV02817835 Colour : YELLOW

Engine No. : H00251593 Type Of body : SIDE SHIFT BACKHOE

Loader

Model Name : JCB 3DX

Fuel Used in Engine : DIESEL Horse Power(B.H.P) : 75.04

Cubic Capacity : 4765.00 Wheel Base : 2171

Seating Capacity : 1 Standing Capacity : 0

Sleeper Capacity : 0 Length : 0

Width : 0 Height : 0

laden Wt : 0 Kg Unladen Wt : 7510 Kg

Gross Vehicle Wt : 0 Kg Owner Sr. : 1

**Number & Description of size of tyres :**

a) Front: b) Rear: c) Other: d) Tandem:

**Registered Axle Weight (In respect of each axle):**

a) Front: b) Rear: c) Other: d) Tandem:

**Insurance Details :**

Purchase Date : 27-Jan-2020 Policy No. : 3008/332712039/00/B00

INSURANCE TYPE : THIRD PARTY Insurance Validity : Fr 03-Mar-2024 To 02-Mar-2025

INSURANCE COMPANY : ICICI LOMBARD

**Fee Details:**

Appl No. : UP20021478610588 Fee/Tax Receipt No. : UP241115C7372535

Particular	Amount	Penalty	Total
Fitness Inspection/Certificate	800	0	800
MV Tax(Tax Upto 31-Jan-2025)	4200	0	4200

Registration valid upto 27-Jul-2025 Fitness valid upto 27-Jul-2025

GRAND TOTAL (in Rs): 5000 /- (FIVE THOUSAND ONLY)

Name and Designation of the Inspecting Officer who certifies the vehicle as fit for registration:

Inspector Name :

Owner Signature :

  
**कर पंजीयन अधिकारी**  
 Registering Authority  
**मोटर वाहन विभाग**  
 मथुरा

UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT AUTHORITY - MATHURA



Registration No. : UP85ET3476 Date of Registration. : 13-Apr-2024  
 Owner's Name & Address : PREM VEHICLES PVT LTD,1336, BAINPUR, SIKANDARA,AGRA  
 Owner Name : MR DHIRENDRA Son/wife/daughter of : BANKE LAL  
 Full Address: (Permanent) : BAAD, BAAD, RIFAINARIADUKI, ADOOKI,,Mathura,281006  
 Full Address: (Temporary) : BAAD, BAAD, RIFAINARIADUKI, ADOOKI,,Mathura,281006  
 Nominee Name : Relationship with the nominee :  
 Old Registration No :  
 Mobile No. : 9917311609  
**RC Cancel Details:**  
 a) Date : b) Cancel Reason :  
**Hypothecation Details:**  
 a) Financer Name : HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED b) Financer Type : HYPOTHECATION  
 c) Financer Address : "3RD FLOOR SANJAY PLAZA BLOCK NO 115","SANJAY PLACE",,"AGRA,282002,"UTTAR PRADESH"  
 The Motor Vehicle Is. : NEW (TRANSPORT) Sale Amount : 3337917  
 Class of Vehicle : Construction Equipment Vehicle (Commercial)(OTH) Month and Year of Manufacture : 3/ 2024  
 No. Of Cylinders : 4 Norms : CEV STAGE IV  
 Chassis No : HAR3DXS4K03386503 Colour : YELLOW  
 Engine No. : H00418705 Type Of body : BACKHOE LOADER  
 Maker's Name : JCB INDIA LIMITED Model Name : 3DX PLUS-2WD  
 Fuel Used in Engine : DIESEL Horse Power(B.H.P) : 73.70  
 Cubic Capacity : 4399.00 Wheel Base : 2170  
 Seating Capacity : 1 Standing Capacity : 0  
 Sleeper Capacity : 0 Length : 0  
 Width : 0 Height : 0  
 Laden Wt : 0 Kg Unladen Wt : 7510 Kg  
 Gross Vehicle Wt : 0 Kg Owner Sr. : 1  
**Number & Description of size of tyres :**  
 a) Front: 9.00\*16 b) Rear: 14.00\*25-12PR c) Other: d) Tandem:  
**Registered Axle Weight (In respect of each axle):**  
 a) Front: 1630 kgs b) Rear: 5880 kgs c) Other: 0 kgs d) Tandem: 0 kgs  
**Insurance Details :**  
 Purchase Date : 10-Apr-2024 Policy No. : 2316206317767000000  
 INSURANCE TYPE : THIRD PARTY Insurance Validity : Fr 10-Apr-2024 To 09-Apr-2025  
 INSURANCE COMPANY : HDFC ERGO General Insurance Company Ltd

**Fee Details:**

Appl No. : UP24041126471242 Fee/Tax Receipt No. : UP85D24040002263

Particular	Amount	Penalty	Total
Hypothecation Addition	3000	0	3000
New Registration	3000	0	3000
MV Tax(Tax Upto 31-Mar-2025)	15120	0	15120

Registration valid upto 12-Apr-2039 Fitness valid upto 12-Apr-2026  
 GRAND TOTAL (In Rs): 21120 /- (TWENTY ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY ONLY)

Name and Designation of the Inspecting Officer who certifies the vehicle as fit for registration:

Inspector Name :  
 Owner Signature :  
  
 मन्दीप कर्माधिकारी  
 मोटर वाहन विभाग  
 मथुरा

**FORM 24 (M.P. 150) VEHICLE REGISTER)**  
**UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT AUTHORITY - MATHURA**

Registration No. : UP85DT1728  
 Date of Registration. : 19-Jan-2023  
 Dealer's Name & Address : PREM VEHICLES PVT LTD, 1336, BAINPUR, SIKANDARA, AGRA  
 Owner Name : SOHAN SINGH  
 Son/wife/daughter of : KANHAIYA LAL  
 Full Address: (Permanent) : 20 BARARI,,Mathura,281005  
 Full Address: (Temporary) : 20 BARARI,,Mathura,281005  
 Nominee Name :  
 Relationship with the nominee :  
 Mobile No. : 9917930089  
 Old Registration No :  
**RC Cancel Details:**  
 a) Date :  
 b) Cancel Reason :  
**Hypothecation Details:**  
 a) Financer Name : YES BANK LTD  
 b) Financer Type : HYPOTHECATION  
 c) Financer Address : "SANJAY PLACE", "", "", AGRA, 282002, "UTTAR PRADESH"  
 The Motor Vehicle is. : NEW (TRANSPORT)  
 Sale Amount : 3018816  
 Class of Vehicle : Construction Equipment Vehicle  
 Month and Year of : 1/ 2023  
 (Commercial)(OTH)  
 Manufacture :  
 No. Of Cylinders : 4  
 Norms : Bharat Stage III (CEV)  
 Chassis No : RAJ3DXINJ03232089  
 Colour : YELLOW  
 Engine No. : H00362283  
 Type Of body : BACKHOE LOADER  
 Maker's Name : JCB INDIA LIMITED  
 Model Name : 3DX  
 Fuel Used in Engine : DIESEL  
 Horse Power(B.H.P) : 48.24  
 Cubic Capacity : 4765.00  
 Wheel Base : 2170  
 Seating Capacity : 1  
 Standing Capacity : 0  
 Sleeper Capacity : 0  
 Length : 0  
 Width : 0  
 Height : 0  
 laden Wt : 0 Kg  
 Unladen Wt : 7520 Kg  
 Gross Vehicle Wt : 0 Kg  
 Owner Sr. : 1  
**Number & Description of size of tyres :**  
 a) Front: 9.00\*16  
 b) Rear: 14.00\*25-12 PR  
 c) Other:  
 d) Tandem:  
**Registered Axle Weight (In respect of each axle):**  
 a) Front: 2150 kgs  
 b) Rear: 5370 kgs  
 c) Other: 0 kgs  
 d) Tandem: 0 kgs  
**Insurance Details :**  
 Purchase Date : 13-Jan-2023  
 Policy No. : 2316205174525601000  
 INSURANCE TYPE : THIRD PARTY  
 Insurance Validity : Fr 13-Jan-2024 To 12-Jan-2025  
 INSURANCE COMPANY : HDFC ERGO General Insurance Company Ltd

**Fee Details:**

Appl No. : UP23011344028080  
 Fee/Tax Receipt No. : UP240618C5105498

Particular	Amount	Penalty	Total
Hypothecation Addition	3000	0	3000
New Registration	3000	0	3000
MV Tax(Tax Upto 31-Dec-2024)	15120	4536	19656

Registration valid upto 18-Jan-2038      Fitness valid upto 18-Jan-2025  
**GRAND TOTAL (in Rs): 25656 /- (TWENTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FIFTY SIX ONLY)**

Name and Designation of the Inspecting Officer who certifies the vehicle as fit for registration:

Inspector Name :

Owner Signature :

*(Signature)*  
**पंजीयन अधिकारी**  
 Registering Authority  
 मथुरा

**151**  
**UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT AUTHORITY - MATHURA**

Registration No.  
 Dealer's Name & Address  
 Owner Name  
 Full Address: (Permanent)

: UP85CA6868  
 Date of Registration : 06-Mar-2022  
 : ATMA RAM AUTO ENTERPRISES, DELHI MATHURA ROAD, MATHURA, U.P.  
 : OMI  
 Son/wife/daughter of : VEERI SINGH  
 : SHRI JI KUNJ COLONY DEVIPURA POST KRISHNA NAGAR, MATHURA  
 BANGAR, Mathura, 281004  
 : SHRI JI KUNJ COLONY DEVIPURA POST-KRISHNA NAGAR, MATHURA  
 BANGAR, Mathura, 281004

Full Address: (Temporary)

Nominee Name

Relationship with the nominee

Mobile No. : 8476877771

Old Registration No

**RC Cancel Details:**

a) Date

b) Cancel Reason

**Hypothecation Details:**

a) Financer Name

b) Financer Type

c) Financer Address

The Motor Vehicle is.

Class of Vehicle

: MMFSL  
 : MATHURA, "", "", MATHURA, 281001, "UTTAR PRADESH"  
 : NEW (NON TRANSPORT)  
 : Motor Car(LMV)  
 : HYPOTHECATION  
 Sale Amount : 1410077  
 Month and Year of : 1/2022

No. Of Cylinders

Chassis No

Engine No.

Maker's Name

: 4  
 : MA1UJ4YC2N2A18662  
 : YCN4A52201  
 : MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  
 Manufacture Norms : BHARAT STAGE VI  
 Colour : NEPOLI BLACK  
 Type Of body : HARD TOP  
 Model Name : THAR LX D MT 4WD 4S HT

Fuel Used in Engine

Cubic Capacity

Seating Capacity

Sleeper Capacity

Width

laden Wt

Gross Vehicle Wt

: DIESEL  
 : 2184.00  
 : 4  
 : 0  
 : 1855  
 : 2214 Kg  
 : 0 Kg  
 Horse Power(B.H.P) : 129.98  
 Wheel Base : 2450  
 Standing Capacity : 0  
 Length : 3985  
 Height : 1844  
 Unladen Wt : 1774 Kg  
 Owner Sr. : 1

**Number & Description of size of tyres :**

a) Front:

b) Rear:

c) Other:

d) Tandem:

**Registered Axle Weight (In respect of each axle):**

a) Front:

b) Rear:

c) Other:

d) Tandem:

**Insurance Details :**

Purchase Date

INSURANCE TYPE

INSURANCE COMPANY

: 28-Feb-2022  
 : THIRD PARTY  
 : SBI GENERAL INS CO LTD  
 Policy No. : MIB/1048335  
 Insurance Validity : Fr 28-Feb-2022 To 27-Feb-2025

**Fee Details:**

Appl No.

: UP22030232509724

Fee/Tax Receipt No.

: UP85D22030000641

Particular	Amount	Penalty	Total
Hypothecation Addition	1500	0	1500
New Registration	600	0	600
MV Tax (LIFE TIME)	141008	0	141008

Registration valid upto 05-Mar-2037 Fitness valid upto 05-Mar-2037

GRAND TOTAL (in Rs): 143108 /- (ONE LAKH FORTY THREE THOUSAND ONE HUNDRED AND EIGHT ONLY)

Name and Designation of the Inspecting Officer who certifies the vehicle as fit for registration:

Inspector Name

Owner Signature

  
**कर पंजीयन अधिकारी**  
 Registering Authority  
**मोटर वाहन विभाग**  
 मथुरा

भारतीय वन अधिनियम (यथा संशोधित) 2000 की धारा-52(1) के अन्तर्गत सूचना  
कार्यालय प्रभागीय निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।  
पत्रांक 2157 / 35-3 मथुरा, दिनांक 15/11/2024.

जब्ली वाद सं0-01/मथुरा/2024-25(मथुरा रेंज)  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा

बनाम

मै0 कन्हैया अर्थ मूवर्स व 3 अन्य

(वन अपराध में वरामद सामिग्री-03 जे0सी0बी0 मीशन व 01 थार जीप)

अपराध सं0-0413/2024 थाना जैत दिनांक 19.09.2024

रेंज केस सं0-11/मथुरा/51 प्रभाग/2024-25

रेंज केस सं0-11/मथुरा/52/प्रभाग/2024-25

भातीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा-29,33,41,42 व 51

एवं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-9,39 व 51

तथा मा0उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन सं0-13381/1984

की आई0ए0सं0-527 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का

उल्लंघन

### नोटिस

वादी क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा की रिपोर्ट के अनुसार वृन्दावन-छटीकरा मार्ग स्थित डालमिया वाग परिसर एवं उसके समीप संरक्षित वनभूमि में दिनांक 18.09.2024 की रात्रि को हुये अवैध वृक्ष पातन एवं वन्यजीवों के प्राकृतिक वासों को उजाड़ने के अपराध में थाना जैत में दर्ज एफ0आई0आर0 सं0-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 (सह दर्ज विभागीय अपराध सं0-11 मथुरा/51 प्रभाग/2024-25 व 12 मथुरा/52 प्रभाग/2024-25) के क्रम में थाना जैत द्वारा वरामद 03 जे0सी0बी0 मशीन व 01 महेन्द्रा थार जीप को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52ए की कार्यवाही अन्तर्गत अधिहरण करने हेतु किये गये आग्रह पर थाना जैत के द्वारा दिनांक 16.11.2024 को क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कब्जे में दिया गया है। उक्त वाहन क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कार्यालय की अभिरक्षा में हैं।

वन अपराध में संलिप्त उक्त वाहनों के सम्बन्ध में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा के पत्र सं0-2140/35-3 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा से प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की वॉछना के क्रम में कार्यालय सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा की पत्र सं0-4181/टी0आर0/आख्या/2024 दिनांक 18.11.2024 से उक्त प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा की प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में उक्त प्रश्नगत वाहनों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-52ए के अन्तर्गत राज्य के पक्ष में अधिहरित करने वावत कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.12.2024 को समय 11:00 पूर्वान्ह स्वर्ग मार्ग मथुरा स्थित कार्यालय सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त वाहनों को वन अपराध में लिप्त पाये जाने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 2000 की धारा-52ए की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके प्रश्नगत वाहनों को अधिहरित कर क्यों न राजकीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाये।


नोटिस आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

पत्रांक 2157 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित  
प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आशय के कार्यवाही हेतु प्रेषित  
प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा को इस आदेश के साथ उपरोक्त वाद में नियत तिथि को प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री सतीश चन्द्र वाष्ण्य, अधिकृत अधिवक्ता वन विभाग मथुरा को इस आशय से कि वाद में नियत तिथि को उपस्थित होकर आवश्यक विधिक पक्ष रखना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री धीरेन्द्र पुत्र श्री बांकेलाल नि0-बाद, रिफाइनरी अडूकी, मथुरा-281006, मो0नं0-9917311609 को सूचनार्थ कि उक्त नियत तिथि को उपस्थित होकर सगस्त अगिलेखों एवं साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।



भारतीय वन अधिनियम (यथा संशोधित) 2000 की धारा-52(1) के अन्तर्गत सूचना  
कार्यालय प्रभागीय निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।  
पत्रांक 2160 / 35-3 मथुरा, दिनांक 19/11/2024.

जब्त वाद सं0-01/मथुरा/2024-25(मथुरा रेंज)  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा  
बनाम

मै0 कन्हैया अर्थ मूवर्स व 3 अन्य  
(वन अपराध में वरामद साभिग्री-03 जे0सी0बी0 मशीन व 01 थार जीप)

अपराध सं0-0413/2024 थाना जैत दिनांक 19.09.2024  
रेंज केस सं0-11/मथुरा/51 प्रभाग/2024-25  
रेंज केस सं0-11/मथुरा/52/प्रभाग/2024-25  
भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा-29,33,41,42 व 51  
एवं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-9,39 व 51  
तथा मा0उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन सं0-13381/1984  
की आई0ए0सं0-527 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का  
उल्लंघन

### नोटिस

वादी क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा की रिपोर्ट के अनुसार वृन्दावन-छटीकरा मार्ग स्थित डालमिया वाग परिसर एवं उसके समीप संरक्षित वनभूमि में दिनांक 18.09.2024 की रात्रि को हुये अवैध वृक्ष पातन एवं वन्यजीवों के प्राकृतिक वासों को उजाड़ने के अपराध में थाना जैत में दर्ज एफ0आई0आर0 सं0-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 (सह दर्ज विभागीय अपराध सं0-11 मथुरा/51 प्रभाग/2024-25 व 12 मथुरा/52 प्रभाग/2024-25) के क्रम में थाना जैत द्वारा वरामद 03 जे0सी0बी0 मशीन व 01 महेन्द्रा थार जीप को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52ए की कार्यवाही अन्तर्गत अधिहरण करने हेतु किये गये आग्रह पर थाना जैत के द्वारा दिनांक 16.11.2024 को क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कब्जे में दिया गया है। उक्त वाहन क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कार्यालय की अभिरक्षा में हैं।

वन अपराध में संलिप्त उक्त वाहनों के सम्बन्ध में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा के पत्र सं0-2140/35-3 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा से प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की वॉछना के क्रम में कार्यालय सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा की पत्र सं0-4181/टी0आर0/आख्या/2024 दिनांक 18.11.2024 से उक्त प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा की प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में उक्त प्रश्नगत वाहनों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-52ए के अन्तर्गत राज्य के पक्ष में अधिहरित करने वावत कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.12.2024 को समय 11:00 पूर्वाह्न स्वर्ग मार्ग मथुरा स्थित कार्यालय सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त वाहनों को वन अपराध में लिप्त पाये जाने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 2000 की धारा-52ए की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके प्रश्नगत वाहनों को अधिहरित कर क्यों न राजकीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाये।

नोटिस आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

पत्रांक 2160 / 35-3 दिनांकित।


प्रतिलिपि-श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा को इस आदेश के साथ कि उक्त वाहन में नियत तिथि को प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री सतीश चन्द्र वाष्ण्य, अधिकृत अधिवक्ता वन विभाग मथुरा को इस आशय से कि वाद में नियत तिथि को उपस्थित होकर आवश्यक विधिक पक्ष रखना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-मै0 कन्हैया अर्थ मूवर्स नि0-जयरिंहपुरा, मथुरा-281001, मो0नं0-9837048400 को सूचनार्थ कि उक्त नियत तिथि को उपस्थित होकर समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।



(पंजीकृत डाक द्वारा)

भारतीय वन अधिनियम (यथा संशोधित) 2000 की धारा-52(1) के अन्तर्गत सूचना  
कार्यालय प्रभागीय निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।  
पत्रांक 2161 / 35-3 मथुरा, दिनांक 19/11/2024.

जबली वाद सं०-01/मथुरा/2024-25(मथुरा रेंज)  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा  
बनाम

मै० कन्हैया अर्थ मूवर्स व 3 अन्य  
(वन अपराध में वरामद सामग्री-03 जे०सी०बी० गीशन व 01 थार जीप)

अपराध सं०-0413/2024 थाना जैत दिनांक 19.09.2024  
रेंज केस सं०-11/मथुरा/51 प्रभाग/2024-25  
रेंज केस सं०-11/मथुरा/52/प्रभाग/2024-25  
भातीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा-29,33,41,42 व 51  
एवं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-9,39 व 51  
तथा मा०उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन सं०-13381/1984  
की आई०ए०सं०-527 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का  
उल्लंघन

नोटिस

वादी क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा की रिपोर्ट के अनुसार वृन्दावन-छटीकरा मार्ग स्थित डालमिया वाग परिसर एवं उसके समीप संरक्षित वनभूमि में दिनांक 18.09.2024 की रात्रि को हुये अवैध वृक्ष पातन एवं वन्यजीवों के प्राकृतिक वासों को उजाड़ने के अपराध में थाना जैत में दर्ज एफ०आई०आर० सं०-0413/2024 दिनांक 19.09.2024 (सह दर्ज विभागीय अपराध सं०-11 मथुरा/51 प्रभाग/2024-25 व 12 मथुरा/52 प्रभाग/2024-25) के क्रम में थाना जैत द्वारा वरामद 03 जे०सी०बी० मशीन व 01 महेन्द्रा थार जीप को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52ए की कार्यवाही अन्तर्गत अधिहरण करने हेतु किये गये आग्रह पर थाना जैत के द्वारा दिनांक 16.11.2024 को क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कब्जे में दिया गया है। उक्त वाहन क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कार्यालय की अभिरक्षा में हैं।

वन अपराध में संलिप्त उक्त वाहनों के सम्बन्ध में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा के पत्र सं०-2140/35-3 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा से प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की वॉछना के क्रम में कार्यालय सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा की पत्र सं०-4181/टी०आर०/आख्या/2024 दिनांक 18.11.2024 से उक्त प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा की प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में उक्त प्रश्नगत वाहनों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-52ए के अन्तर्गत राज्य के पक्ष में अधिहरित करने वास्तव कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.12.2024 को समय 11:00 पूर्वान्ह स्वर्ग मार्ग मथुरा स्थित कार्यालय सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त वाहनों को वन अपराध में लिप्त पाये जाने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 2000 की धारा-52ए की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके प्रश्नगत वाहनों को अधिहरित कर क्यों न राजकीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाये।


नोटिस आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

पत्रांक 2161 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा को इस आदेश के साथ कि उक्त वाद में नियत तिथि को प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री सतीश चन्द्र वाण्ये, अधिकृत अधिवक्ता वन विभाग मथुरा को इस आशय से कि वाद में नियत तिथि को उपस्थित होकर आवश्यक विधिक पक्ष रखना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री ओगी पुत्र श्री वीरी सिंह नि०-श्रीजी कुन्ज कालोनी, देवीपुरा पो०-कृष्णानगर, मथुरा वॉंगर, मथुरा-281004, मो०नं०-8476877771 को सूचनार्थ कि उक्त नियत तिथि को उपस्थित होकर समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।



भारतीय वन अधिनियम (यथा संशोधित) 2000 की धारा-52(1) के अन्तर्गत सूचना  
कार्यालय प्रभागीय निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।  
पत्रांक २१५७ / ३९-३ मथुरा, दिनांक १७/११/२०२४.

जबदी वाद सं०-०१/मथुरा/२०२४-२५(मथुरा रेंज)  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा  
बनाम

गै० कन्हैया अर्थ मूवर्स व ३ अन्य  
(वन अपराध में वरामद सा।गि०-०३ जे०सी०बी० गीशन व ०१ थार जीप)

अपराध सं०-०४१३/२०२४ थाना जैत दिनांक १९.०९.२०२४  
रेंज केस सं०-११/मथुरा/५१ प्रभाग/२०२४-२५  
रेंज केस सं०-११/मथुरा/५२/प्रभाग/२०२४-२५  
भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत धारा-२९,३३,४१,४२ व ५१  
एवं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-१९७२ की धारा-९,३९ व ५१  
तथा मा०उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन सं०-१३३८१/१९८४  
की आई०ए०सं०-५२७ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का  
उल्लंघन

### नोटिस

वादी क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा की रिपोर्ट के अनुसार वृन्दावन-छटीकरा मार्ग स्थित डालमिया वाग परिसर एवं उसके समीप संरक्षित वनभूमि में दिनांक १८.०९.२०२४ की रात्रि को हुये अवैध वृक्ष पातन एवं वन्यजीवों के प्राकृतिक वासों को उजाड़ने के अपराध में थाना जैत में दर्ज एफ०आई०आर० सं०-०४१३/२०२४ दिनांक १९.०९.२०२४ (सह दर्ज विभागीय अपराध सं०-११ मथुरा/५१ प्रभाग/२०२४-२५ व १२ मथुरा/५२ प्रभाग/२०२४-२५) के क्रम में थाना जैत द्वारा वरामद ०३ जे०सी०बी० गीशन व ०१ महेन्द्रा थार जीप को भारतीय वन अधिनियम-१९२७ की धारा-५२ए की कार्यवाही अन्तर्गत अधिहरण करने हेतु किये गये आग्रह पर थाना जैत के द्वारा दिनांक १६.११.२०२४ को क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कब्जे में दिया गया है। उक्त वाहन क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा के कार्यालय की अभिरक्षा में हैं।

वन अपराध में संलिप्त उक्त वाहनों के सम्बन्ध में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा के पत्र सं०-२१४०/३५-३ दिनांक १८.११.२०२४ के द्वारा सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा से प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की वॉछना के क्रम में कार्यालय सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) मथुरा की पत्र सं०-४१८१/टी०आर०/आख्या/२०२४ दिनांक १८.११.२०२४ से उक्त प्रश्नगत वाहनों के स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा की प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में उक्त प्रश्नगत वाहनों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा-५२ए के अन्तर्गत राज्य के पक्ष में अधिहरित करने वास्तु कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक ०९.१२.२०२४ को समय ११:०० पूर्वाह्न स्वर्ग मार्ग मथुरा स्थित कार्यालय सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त वाहनों को वन अपराध में लिप्त पाये जाने के कारण भारतीय वन अधिनियम १९२७ यथा संशोधित २००० की धारा-५२ए की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके प्रश्नगत वाहनों को अधिहरित कर क्यों न राजकीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाये।

नोटिस आज दिनांक १८.११.२०२४ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

पत्रांक २१५७ / ३९-३ दिनांकित।

प्रतिलिपि-श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी मथुरा को इस आदेश के साथ कि उक्त वाद में नियत तिथि को प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री सतीश चन्द्र वार्धाय, अधिकृत अधिवक्ता वन विभाग मथुरा को इस आशय से कि वाद में नियत तिथि को उपस्थित होकर आवश्यक विधिक पक्ष रखना निश्चित करें।

प्रतिलिपि-श्री सोहन सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल नि०-२० बरारी, मथुरा-२८१००५, मो०नं०-९९१७९३००८९ को सूचनार्थ कि उक्त नियत तिथि को उपस्थित होकर समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।  
पत्रांक 1211 / 14-1 मथुरा, दिनांक 23/09/2024


सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,  
मथुरा ।

विषय :- मानचित्र स्वीकृत न करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को मथुरा-वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर वैष्णो देवी मन्दिर के सामने डालमिया ट्रस्ट तथा राजकीय संरक्षित वनभूमि में से विभिन्न खसराओं में नीम, पाकड़, जामुन, पीपल, सिरस, कंजी, यूकेलिप्टस, देशी बबूल प्रजातियों के वृक्षों का कटान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सि0) संख्या-13381/1984 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015, 11.12.2019 एवं दिनांक 08.12.2021 का उल्लंघन करते हुए किया गया है । उक्त घटित कृत्य की गहन जाँच के लिए जाँच उप प्रभागीय वनाधिकारी, सादाबाद की अध्यक्षता में एक विभागीय टीम का गठन भी किया गया है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927, उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं में विभागीय केस पंजीकृत किया गया है तथा थाना जैत में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है। चूँकि प्रथम दृष्टया उक्त आपराधिक कृत्य भूमाफियाओं/बिल्डरों द्वारा उक्त भूमि से वृक्षों का पातन कर व्यासायिक निर्माण/कॉलौनी बनाकर लाभ के उद्देश्य से किया हुआ प्रतीत होता है। अतः अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र को हरित क्षेत्र ही रहने देने हेतु हरित क्षेत्र घोषित करते हुए नियमानुसार भूनिर्माण मानचित्र स्वीकृत न करने तथा नियमानुसार परिसर सील करने अथवा अन्य कठोरतम कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि भूमाफियाओं के कुत्सित मंसूबे सफल न होने पाएँ ।


भवदीय,

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

पत्रांक 1211 / 14-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- आयुक्त महोदय/ अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा मण्डल, आगरा ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, मथुरा ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा ।
- 4- नगर आयुक्त, मथुरा-वृन्दावन नगर निगम, मथुरा को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

कार्यालय टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।

संख्या : 509 / TTZ(PMU) / MISC. / 2024

दिनांक : 17/10/2024  
D.F.O. MTR.

✓ 1-जिलाधिकारी, मथुरा (उ0प्र0)।

2-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा(उ0प्र0)।

277

विषय : मथुरा जनपद के अन्तर्गत वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर वैष्णो देवी मन्दिर के सामने प्राईवेट परिसर तथा उसके निकट संरक्षित वन भूमि में हुए वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में।

रिट याचिका (सिविल) सं0-13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2015 को पारित आदेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो निम्नवत् उद्धृत है।

"...VI) the Chairman, TTZ Authority (Divisional Commissioner, Agra is the ex-official Chairman) will taken effective steps to ensure that no felling of trees within the areas falling in TTZ takes place without first obtaining permission of this Hon'ble Court."

मा0सर्वोच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का अक्षरशः अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रांक-331 दिनांक 08.06.2015 द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त सरकारी विभागों/संस्थाओं, आदि को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित कोई भी वृक्ष मा0सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं काटा जा सकता है लेकिन जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर वैष्णो देवी मन्दिर के सामने प्राईवेट परिसर तथा उसके निकट संरक्षित वन भूमि में वृहद स्तर पर वृक्षों के अवैध पातन, जिसमें नीम, बबूल, पीपल व अन्य प्रजाति के महत्वपूर्ण वृक्ष शामिल हैं, की घटना प्रकाश में आयी है, जिसके सम्बन्ध में वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित पत्रांक-983/35-3 दिनांक 20.09.2024 द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.09.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अवगत कराया गया है।

वन संरक्षक, आ0वृ0, आगरा के संदर्भित पत्र दिनांक 20.09.2024 के क्रम में विषयगत प्रकरण पर गहन परीक्षण कराते हुये, प्रकरण में लिप्त समस्त सम्बन्धित व्यक्ति/अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको पत्रांक-496 / TTZ(PMU) / MISC. / 2024 दिनांक 05.10.2024 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक-1687/33-1(वन) दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

जनपद मथुरा के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर वैष्णो देवी मन्दिर के सामने प्राईवेट परिसर तथा उसके निकट संरक्षित वन भूमि में वृहद स्तर पर किया गया वृक्षों का अवैध पातन अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में पारित उक्त आदेश दिनांक 08.05.2015 का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। मा0सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के उक्त पत्र दिनांक 08.06.2015 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि मा0न्यायालय के उक्त आदेशों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित विभाग/संस्थान के वरिष्ठतम स्थानीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः प्रश्नगत स्थल पर अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सापेक्ष निर्धारित 10 गुना मात्रा में आवश्यक वृक्षारोपण यथासम्भव उसी क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में नियमानुसार कराये, जिसकी प्रतिपूर्ति प्रकरण में लिप्त जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों से की जाये तथा जिलाधिकारी, मथुरा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.10.2024 में उल्लिखित विषयगत प्रकरण में प्रचलित अन्य वैधानिक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित कराते हुये 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये। साथ ही यह अक्षरशः सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत आपके जनपद में किसी भी दशा में वृक्षों का अवैध पातन न होने पाये।

(रितु माहेश्वरी)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष

प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत स्थल पर कोई निर्माण कार्य न होने दिया जाये।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष

## दिनांक 09.10.2024 को जिला अधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिला अधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार, मथुरा में दिनांक 09.10.2024 को आहूत की गयी। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। बैठक में एजेन्डा के अनुरूप चर्चा की गयी।

### (1) वृक्षारोपण जन आन्दोलन-2024 :-

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में वर्षाकाल 2024 में वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को कुल 4.90 लाख पौध रोपण एवं अन्य विभागों को लगभग 32.07 लाख सहित कुल 36.97 लाख का पौधारोपण का लक्ष्य आवंटित था, जिसके सापेक्ष समस्त विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वन विभाग द्वारा 4.90 लाख एवं अन्य विभागों द्वारा 33.08 लाख सहित कुल 37.98 लाख पौधों का रोपण किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वृक्षारोपण अभियान से जुड़े समस्त विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों जिन्हें वृक्षारोपण हेतु नोडल नामित किया गया है उन्हें निर्देश दिए कि वे कराये गये वृक्षारोपण का आगामी दो वर्षों तक अनुरक्षण कार्य (सुरक्षा, सिंचाई, निराई-गुड़ाई तथा समुचित रख-रखाव) करना सुनिश्चित करें, जिससे की पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जा सके। हरितमा अमृत वन पर उपलब्ध डाटा के अनुसार समस्त विभागों द्वारा रियल टाइम जियोटैगिंग पूर्ण (99.34%) कर दी गई है।

• महोदय द्वारा बैठक में समस्त विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वृक्षारोपण की जियो टैगिंग का कार्य समस्त विभाग यथाशीघ्र पूर्ण कर ले अन्यथा कि स्थिति में उक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा जनपद में वर्षाकाल 2024 में वृक्षारोपण हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं:-

1. पौधारोपण के पश्चात उसकी सफलता करने हेतु सुरक्षा, सिंचाई तथा समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये। पौधों की जीवितता हेतु निम्न कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाये :-

- पौधों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- पौधों की नियमित सिंचाई हेतु प्रथम/वृक्षारोपण वर्ष तथा अगले दो वर्षों तक करायी जाये।
- पौधों की पर्याप्त निराई-गुड़ाई : प्रथम/वृक्षारोपण वर्ष में निराई-गुड़ाई करायी जाये।
- मरे/सूखे पौधों को उचित ऊँचाई के स्वस्थ एवं सुदृढ़ पौधों से बदल दिया जाये। (उक्त कार्यों में वॉछित तकनीकी सहयोग हेतु वन विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।)

2. पौधों की सुरक्षा, सिंचाई व अनुरक्षण कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु समस्त विभागों द्वारा वृक्षारोपण स्थलवार नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

3. प्रत्येक विभाग के वृक्षारोपण स्थलवार नामित नोडल अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण स्थलवार वृक्षारोपण गणना पंजिका संधारित की जाये, जिसमें रोपित पौधों के प्रजातिवार विवरण के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष 30 जून एवं 31 दिसम्बर को रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की गणना का विवरण अंकित किया जाये।

(वृक्षारोपण गणना पंजिका संधारण किये जाने हेतु वॉछित सहयोग के लिए वन विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।)

(कार्यवाही-वृक्षारोपण लक्ष्यों से आच्छादित सदस्य विभाग, जिला पर्यावरणीय समिति )

### बैठक में पर्यावरण प्रबन्धन से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी -

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन वेस्ट प्रबन्धन - उक्त बैठक में जिला अधिकारी महोदय द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन को निर्देशित किया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन वेस्ट प्रबन्धन हेतु समस्त कार्यप्रणाली से बैठक को अवगत कराएंगे एवं उक्त का प्रचार-प्रसार भी कराना अनिवार्य है। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन को निर्देशित किया गया कि कितना कन्स्ट्रक्शन एण्ड

डिमोलिशन वेस्ट अभी तक एकत्र किया गया है व उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है इसकी उल्लेखित आख्या कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग मथुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट एकत्र करने हेतु स्थानों को चिन्हित करने के लिए समस्त वार्डों के मा0 निगम पार्श्व एवं सुपरवाइजर की भी सहायता ली जाए।

(कार्यवाही—जिला पंचायतराज अधिकारी, मथुरा, नगर निगम मथुरा—वृन्दावन)

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट—पूर्व बैठक में जैव चिकित्सा अपशिष्टों के सुगम एवं सफल निस्तारण तथा उससे होने वाले प्रदूषण को सर्व सम्भव प्रयासों से नियन्त्रित करने तथा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 में निहित निर्देशों के अनुपालन करने के निर्देश दिए गए एवं वर्तमान में अपनायी जा रही प्रबन्धन रणनीति के विषय में जानकारी ली गयी। पूर्व बैठक में उपस्थित चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंपनी द्वारा उक्त Vehicles के Movement monitoring हेतु आई0डी0, पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है एवं उक्त लिंक का उपयोग कर नियमित रूप से ऐसे वाहनों की movement track कर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा Tracking की Random Checking की रिपोर्ट प्रति माह समिति को उपलब्ध करायी जाय। विगत बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि movement track की जा रही है।

उक्त बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा को निर्देशित किया गया कि वे जैव चिकित्सा अपशिष्ट की रिपोर्ट निम्न प्रारूप का पूर्ण विवरण के साथ प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0, वन प्रभाग मथुरा के कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	जैव चिकित्सा अपशिष्ट परिवहन हेतु अपेक्षित कार्य	क्या संतोषजनक रूप से कार्य किया गया है।	यदि नहीं तो कृत कार्यवाही का विवरण

(कार्यवाही—मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा)

- ई-वेस्ट प्रबन्धन—जिलाधिकारी मथुरा द्वारा उक्त बिन्दु की समीक्षा करते हुए नगर निगम मथुरा—वृन्दावन एवं समस्त नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों को निर्देशित किया कि ई-वेस्ट प्रबन्धन हेतु कूड़े की गाडियों पर ही एक पुराने टी0वी0(टेलीविजन) की भांति बॉक्स लगाया जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ई-वेस्ट का कलेक्शन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भी अपनी ग्राम पंचायतों में एकत्रीकरण की शुरुआत की जाए साथ ही नगर निगम मथुरा वृन्दावन को निर्देशित किया गया कि ई-वेस्ट कलेक्शन हेतु जन-जागरूकता कर्मचारियों के सहयोग सहित कराई जाए। जिससे ई-वेस्ट नगर निगम एवं समस्त नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों को सरलता से पृथक रूप से प्राप्त की जा सके। नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा इस हेतु Helpline नम्बर सृजित किया गया है एवं शिकायतों को एप्प के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मोबाइल से भी प्राप्त शिकायतों को एप्प पर दर्ज किया जाए एवं प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराकर फीडबैक भी प्राप्त किया जाए।

(कार्यवाही—अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, मथुरा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा एवं नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा)

- वायुप्रदूषण—प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा द्वारा वायु प्रदूषण का विषय प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यदि हम अभी से ही वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया चलाएं तो संभवत आगामी दिनों में जनपद मथुरा वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित नहीं होगा। उक्त विषय पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित करते हुए कहा गया था कि वायु प्रदूषण के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा को निर्देशित किया कि जनपद में दो नए AQI मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया कि AQI मीटर हेतु प्रस्ताव नगर निगम मथुरा—वृन्दावन को भेजा जाए जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही को अमल में लाया जा सके।

(कार्यवाही— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा )

ऑनलाइन यू0पी0ई0सी0पी0 पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग:-बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मथुरा से आनलाइन यू0पी0ई0सी0पी0 पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग कराये जाने की समीक्षा की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर प्रत्येक माह का डाटा सम्बन्धित विभागों के माध्यम से अपलोड कर दिया जाता है।

(कार्यवाही-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मथुरा)

आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरणीय समिति की आहूत मण्डलीय समीक्षा बैठक के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जिन स्थानीय निकायों एवं नगर निगम की सूचना अपूर्ण है वे शीघ्र ही पूर्ण करते हुए सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा कार्यालय में उपलब्ध कराएँ तथा समस्त सम्बन्धित विभाग आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मण्डल स्तरीय पर्यावरण समिति की आहूत मण्डलीय समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराएँ गए प्रारूप में ससमय सूचना मासिक रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी नगर पंचायतों को कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट साइट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वेस्ट को नगर निगम, मथुरा को हस्तान्तरण कर निस्तारण कराये। नगर निगम, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

(कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, मथुरा, समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा)

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रपत्र-37 की सूचना सी0एम0 डैशबोर्ड से इन्टीग्रेट कर हरितिमा वेब एप्लीकेशन पोर्टल पर सामाजिक वनीकरण हेतु हर माह की 27 तारीख तक प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मथुरा के कार्यालय में उपलब्ध करायेँगे। अगर किसी विभाग द्वारा सूचना वांछित रहती है तो पिछले माह की जीवितता मान कर भर दी जाये, जिसके लिए कार्यालय अध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। बैठक में निर्देश दिये गये कि वर्ष-2024 में किए गए वृक्षारोपण में मरे/सूखे पौधों को उचित ऊंचाई के स्वस्थ एवं सुदृढ़ पौधों से बदलकर जीवितता बढ़ाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2023 में कराये गये वृक्षारोपण की जीवितता वर्ष में 02 बार यथा माह दिसम्बर 2024 एव जून 2025 में उपलब्ध करायी जाए। प्रपत्र-37 जिसमें सूचना वांछित है-

#### सामाजिक वनीकरण प्रपत्र संख्या-37

क्र0सं	जनपद	विभाग का नाम	वृक्षारोपण स्थलों की सं0	पौधारोपण का लक्ष्य	रोपण प्रगति	माह तक जीवित पौधों की सं0	जीवित पौधों का %	वृक्षारोपण समिति द्वारा सत्यापित किये गये स्थलों की सं0	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-360/2018 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2023 के अनुपालन में तैयार कराये गये "डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट मेनेजमेन्ट प्लान" की मॉनिटरिंग समस्त विभागों द्वारा की जानी है। संबंधित विभाग द्वारा माह-जून एवं जुलाई की प्रगति आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह सम्बन्धित विभागों द्वारा यह रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये अन्यथा की दशा में कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। समस्त विभागों से सूचना अपेक्षित है, तत्क्रम में महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त विभाग हर माह सूचना ससमय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त, नगर-निगम, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता, अपर आगरा कैंनाल, अधिशासी

अभियंता, लोक निर्माण खंड, जल निगम,(नगरीय), परियोजना प्रबंधक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण,जिला खनन अधिकारी, मथुरा)

- मथुरा-वृंदावन के छटीकरा में हुए अवैध कटान के सम्बन्ध में कार्यवाही:- उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को दिनांक 27.9.2024 को सांय मे दूरभाष के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि एवं निजी भूमि पर भारी संख्या में वृक्षों का अवैध कटान एवं पर्यावरणीय क्षति के लिए आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा पत्रांक संख्या-1377/2-1 के माध्यम से आपसे अपेक्षा की गयी है कि कृत कार्रवाई से कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग मथुरा को भी अवगत कराया जाये। उक्त विषयक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रकरण बेहद गंभीर विषय है जिस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति पहुंचाये जाने पर नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करे। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित विभागों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा पर्यावरण की अपरिहार्य क्षति से हुयी हानि के प्रत्युत्तर में कृत कार्यवाही से अवगत कराते हुए अद्यतन आख्या की पृच्छा एवं विभिन्न न्यायालयों मे दाखिल हुए वादों में आख्या ससमय प्रस्तुत किए जाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा एवं अन्य सम्बन्धित विभाग)

- नगर पालिका परिषद कोसीकलां क्षेत्रान्तर्गत पार्क व ओपन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाये जाने हेतु उपवन योजनान्तर्गत तैयार करायी गयी कार्ययोजना पर कृत कार्यवाही:-उक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी वि०/रा० के कार्यालय पत्रांक-194/तेईस-बी/एल०बी०सी०/2024-254 दिनांक- 27.09.2024 को विशयंतर्गत कार्ययोजना/डी०पी०आर० प्राप्त हुआ है तत्क्रम में कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा० वा० वन प्रभाग मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त डी०पी०आर० में वृक्षों एवं ट्री-गार्ड के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नही दी गयी है। संशोधित डीपीआर में सिविल, उद्यान तथा वृक्षारोपण के पृथक-पृथक प्राक्कलन तैयार कर डीपीआर में बनाया जाए ताकि उनको संबंधित संस्थाओं से दरों को सत्यापित करने के उपरांत उसकी स्वीकृति पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी वि०/रा० को निर्देशित किया कि संशोधित डीपीआर में सिविल, उद्यान तथा वृक्षारोपण के पृथक-पृथक प्राक्कलन तैयार कर डीपीआर जल्द से जल्द कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, मथुरा प्रभाग को स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी वि०/रा०, मथुरा )

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति,  
अध्यक्ष/जिलाधिकारी  
जिला मंगा समिति, मथुरा।

# कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक 1678/29-5 (पर्या0 समिति) मथुरा, दिनांक 15/10/2024  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-मथुरा।
7. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, मथुरा।
9. उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा।
13. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।
15. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।
17. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मथुरा।
19. जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा।
21. जिला खान अधिकारी, मथुरा।
23. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, मथुरा।
25. जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी, मथुरा।
27. अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा कैनल, मथुरा।
29. उपायुक्त, श्रम एवं रोजगार (मनरेगा) मथुरा।
31. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/पंचायत, मथुरा।
33. श्री सत्येन्द्र चाहर (असि0प्रो0) पं0 लोकमणि शर्मा राजकीय महाविद्यालय, मांट (उच्च शिक्षा विभाग) मथुरा।
35. श्री अनन्त शर्मा, सचिव, उज्ज्वल बृज, मथुरा।
37. उप कृषि निदेशक, मथुरा।
39. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(शहरी), मथुरा।
41. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा।
4. अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, मथुरा।
6. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, मथुरा।
8. प्रधानाचार्य, औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राविधिक शिक्षा) कोटवन, कोसीकलॉ, मथुरा।
10. सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
12. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।
14. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मथुरा।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
18. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-मथुरा।
20. कमाण्डेंट, स्टेशन हैड क्वार्टर, मथुरा कैम्प, मथुरा।
22. जिला उद्यान अधिकारी, मथुरा।
24. पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), मथुरा।
26. सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग, मथुरा।
28. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मथुरा।
30. सहायक श्रमायुक्त, मथुरा।
32. जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा।
34. श्री सुनील सिंह, सचिव, श्रीमाता जी गौशाला, बरसाना।
36. जिला भूमि संरक्षण विभाग, मथुरा।
38. जिला रेशम अधिकारी, मथुरा।
40. प्रान्तीय रक्षा दल अधिकारी, मथुरा।

जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति,  
अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति,  
जिला गंगा समिति, मथुरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा।  
पत्रांक 1377/2-1 मथुरा, दिनांक 30/09/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मथुरा।

विषय :-

संरक्षित वनभूमि एवं निजी भूमि पर भारी संख्या में वृक्षों का अवैध कटान एवं पर्यावरणीय क्षति के लिए कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-  
महोदय,


इस कार्यालय का पत्रांक 1163/17-1 दिनांक 20.09.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर स्थित एक निजी परिषर तथा उसके आस-पास संरक्षित वनभूमि में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों का अवैध पातन किया गया, जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची तथा वन्यजीवों के प्राकृतवास नष्ट हुये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को संदर्भित पत्र पृष्ठांकित कर अनुरोध किया गया था कि उक्त प्रकरण में व्यापक पर्यावरणीय क्षति के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 27.09.2024 को सांय आपको दूरभाष के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

तत्क्रम में यह पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपरोक्त प्रकरण पर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


भवदीय,

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा।

पत्रांक 1377/2-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक आगरा, वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 1403 / 2-1

मथुरा, दिनांक 01/10/2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
मथुरा।

विषय :-

भारतीय वन अधिनियम 1927, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 तथा अन्य मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों को निर्देश देने हेतु अनुरोध।  
इस कार्यालय का पत्रांक 1163/17-1 दिनांक 20.09.2024

सन्दर्भ:-  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर स्थित एक निजी परिषर तथा उसके आस-पास संरक्षित वनभूमि में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों का अवैध पातन किया गया, जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची तथा वन्यजीवों के प्राकृतवास नष्ट हुये। इस सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा आपसे कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

जैसा कि आप अवगत है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (66), 66ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा (50), वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा अन्य समान अधिनियमों में पुलिस कार्मिकों को भी प्रवर्तन एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त है तथा अधिनियमों के पालन हेतु वे कर्तव्यबद्ध है। इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा टी0टी0जेड0 क्षेत्र हेतु रिट पिटीशन सं0-13381/1984 में दिनांक 08.05.2015 को आदेश पारित किए है कि "The Chairman, TTZ Authority (Divisional Commissioner, Agra is the ex-official chairman) will taken effective steps to ensure that no felling of trees within the areas falling in TTZ takes place without first obtaining permission of this Hon'ble Court." जिनके अनुपालन करने हेतु भी समस्त-राजकीय कार्मिक कर्तव्यबद्ध है।

चूँकि वन विभाग में कार्मिकों एवं संसाधनों की कमी के कारण टी0टी0जेड0 में अवस्थित समस्त वृक्षों की सुरक्षा अत्यंत दुष्कर कार्य है।

अतः सादर अनुरोध है कि भारतीय वन अधिनियम 1927, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अन्य समान अधिनियमों तथा मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन हेतु आपके अधीनस्थों को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि पी0आर0वी0 112, दूरस्थ एवं प्रत्येक क्षेत्र में थाने/चौकियों/पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति, एल0आई0यू0 आदि बेहतर आसूचना तंत्र के उपयोग से अधिनियमों एवं मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा।

पत्रांक 1403 / दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक आगरा, वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा/सादाबाद एवं समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समकक्ष पुलिस अधिकारियों से लगातार समन्वय कर उक्तानुसार अधिनियमों एवं मा0 न्यायालय के आदेशों को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 1163/17-1

मथुरा, दिनांक

20.09.2024.

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जनपद-मथुरा ।

विषय :- संरक्षित वनभूमि एवं निजी भूमि पर भारी संख्या में वृक्षों का अवैध कटान एवं पर्यावरणीय क्षति के लिए कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को मथुरा-वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर स्थित एक निजी परिसर तथा उसके आस-पास संरक्षित वनभूमि में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों (मुख्यतयः वन संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित प्रजातियाँ) का अवैध पातन किया गया, जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची तथा वन्यजीवों के प्राकृतवास नष्ट हो गए हैं । प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज, मथुरा द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29, 33, 41, 42, 51 एवं उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही हेतु थाना जैत में प्राथमिकी (एफ०आई०आर० सं०-0413/2024) दर्ज कराई गयी है। घटना स्थल के ताज ट्रेपेजियम जोन में स्थित होने के कारण उक्त कृत्य (अवैध पातन) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन रिट पिटीशन (सि०) संख्या-13381/1984 में आई०ए० सं०-577 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का घोर उल्लंघन है । संरक्षित वनभूमि में स्थित वृक्षों के राजकीय सम्पत्ति होने से उक्त कृत्य द्वारा राजकीय सम्पत्ति को भारी मात्रा में क्षति पहुँचाने का कार्य किया गया है। दिनांक 18.09.2024 की मध्य रात्रि में घटना स्थल से गुजरती हुई विद्युत की हाईटेंशन लाईन को गिराकर लगभग 15 जे०सी०बी० मशीन एवं 100 से अधिक अभियुक्तों द्वारा उक्त अवैध कृत्य को सुनियोजित ढंग से अन्जाम दिया गया । उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन एवं शासकीय अधिनियम एवं आदेशों की अवहेलना का अपराध किया है ।

उक्त प्रकरण से जनता में भी अति आक्रोश व्याप्त है । प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण की जाँच में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है । इस क्रम में आपसे अनुरोध है कि -

1- विभाग द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराई गयी भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1976 की धाराओं के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 में भी उचित धाराओं को (यथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति अधिनियम, 1984 एवं आई०पी०सी० की धारा-120ए अपराधिक साजिश के तहत अवैध कृत्य) विवेचना अधिकारी को अपनी विवेचना में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

2- क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज द्वारा घटना स्थल के सामने स्थित माँ वैष्णो देवी मन्दिर के सड़क मार्ग एवं मुख्य द्वार पर लगे हुए सी०सी०टी०वी० कैमरे की फुटेज की जाँच की जिसमें से मुख्य द्वार पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे बन्द पाए गए अन्य कैमरे की फुटेज प्राप्त हुई जिसमें 14 जे०सी०बी० मशीन दिनांक 18.09.2024 रात्रि 11.00 बजे के पश्चात् दिखाई दी किन्तु स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी । चूँकि अभियुक्त रात्रि में ही घटना को अन्जाम देकर मौके से फरार हो गये जिससे मौके पर किसी भी अभियुक्त एवं जे०सी०बी०

मशीनों को बरामदगी नहीं हो सकी । इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि घटना स्थल से लगे सड़क मार्गों, चौराहों पर व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सम्मुख लगे हुए सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज की जाँच करायी जाए तो अन्य तथ्य भी प्रकाश में आ सकते हैं जिनसे दोषियों की पहचान में सहायता प्राप्त हो सकती है । तत्कम में आपसे अनुरोध है कि इस दृष्टिकोण से भी सम्बन्धित को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

AKW-1

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

पत्रांक 1163/17-1 दिनांकित ।

- 1- प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में व्यापक पर्यावरणीय क्षति के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

AKW

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

## कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा ।

पत्रांक 1914 / 35-3 (वन) मथुरा, दिनांक 30/10/2024.  
सेवा में,

- 1-श्री नारायण प्रसाद डालमिया पुत्र रघुनन्दन, पता-2/3, शरद बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।  
2-श्रीचन्द्र कुमार धानुका पुत्र शंकर लाल धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग पश्चिम बंगाल।  
3-श्रीमती अरुणा धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग पश्चिम बंगाल।  
4-श्री मृगाक धानुका पुत्र चन्द्र कुमार धानुका 14 लोडन स्ट्रीट कोलकाता दक्षिण पूर्वी प्रभाग पश्चिम बंगाल।

विषय :- मथुरा जनपद के अन्तर्गत वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर बैष्णों देवी मन्दिर के सामने प्राइवेट परिसर तथा उसके निकट संरक्षित वन भूमि में हुए वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में ।  
सन्दर्भ :- मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय का पत्रांक-509/TTZ(PMU) /MISC./2024 दिनांक 17.10.2024

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 की रात्रि में मथुरा जनपद के वृन्दावन नगर में छटीकरा के निकट डालमिया बाग एवं समीपस्थ मार्ग पटरी/संरक्षित वन क्षेत्र में 454 वृक्षों का पातन एवं अन्य अपराध किये गये हैं । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त/अध्यक्षा महोदया, टी0टी0जेड0प्राधिकरण, आगरा द्वारा अपने कार्यालय की पत्र संख्या-509/टी.टी.जेड.(पीएमयू)/एम.आई.एस.सी./2024 दिनांक 17.10.2024 द्वारा निम्न निर्देश दिए गए हैं -

“प्रश्नगत स्थल पर अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सापेक्ष 10 गुना मात्रा में आवश्यक वृक्षारोपण यथासम्भव उसी क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में नियमानुसार कराएँ, जिसकी प्रतिपूर्ति प्रकरण में लिप्त जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों से की जाये ।”

उपलब्ध राजकीय अभिलेख/खतौनी के अनुसार प्रश्नगत भूमि के भू-स्वामी आप हैं, अतः यथासम्भव प्रश्नगत स्थल एवं उसके आस-पास अवैध रूप से काटे गये वृक्षों (454 वृक्षों) के सापेक्ष 10 गुना मात्रा में नियमानुसार आवश्यक वृक्षारोपण कर जी.पी.एस. फोटोयुक्त अनुपालन शीघ्रतम इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मण्डलायुक्त/अध्यक्षा महोदया, टी0टी0जेड0प्राधिकरण, आगरा द्वारा संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या शीघ्रतम प्रेषित की जा सके । उक्तानुसार रोपित पौधों की सुरक्षा व 10 वर्ष तक अनुरक्षण की व्यवस्था करते हुए पौधों की जीवितता भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।

भवदीय,

जिलाधिकारी,  
मथुरा ।

पत्रांक 1914 / 35-3 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मण्डलायुक्त/अध्यक्षा महोदया, टी0टी0जेड0प्राधिकरण, आगरा ।
- 2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

जिलाधिकारी,  
मथुरा ।

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): जैत Year (वर्ष): 2024  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0428 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/09/2024 21:30 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
3	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	5

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): बुधवार Date from (दिनांक से): 18/09/2024 Date To (दिनांक तक): 18/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 8 Time From (समय से): 23:45 बजे Time To (समय तक): 23:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/09/2024 Time (समय): 21:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 048 Date and Time (दिनांक और समय): 30/09/2024 21:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

## 5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 2 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): डालमिया फार्म हाउस छटीकरा ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

## 6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री हेमेन्द्र गौतम

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सह प्रभारी मार्ग प्रकाश नगर , निगम मथुरा , जैत, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सह प्रभारी मार्ग प्रकाश नगर , निगम मथुरा , जैत, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-63965XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

**12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर टाइपशुदा हिन्दीवादी // कार्यालय - महाप्रबन्धक (जल)  
जलकल विभाग, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, भूतेश्वर,  
मथुरा - 281001 Email: mathurajalkal@gmail.com / पत्रांक  
958/GEN/GM/MTR/2024-25 दिनांक 30.09.2024 सेवा में, थाना प्रभारी थाना-जैत,  
मथुरा महोदय, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 की रात्री 11:45 बजे  
लगभग अज्ञात लोगों द्वारा डालमीयों फार्म हाऊस में पेड़ काटने के दौरान हमार दो  
पोल सहित लाईटें तोड़ दी है तथा 02 नग लाईटें 70 वाट की चोरी हो गई है। अतः  
आपसे आग्रह है कि कृपया उक्त प्रकरण की जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराये  
जाने की कृपा करें। संलग्नक: विभागीय आख्या। एसडी अपठित ।  
30/09/2024(हैमेन्द्र गौतम) सहायक अभियन्ता (जल) सह प्रभारी मार्ग प्रकाश नगर  
निगम मथुरा-वृन्दावन 63965XXXXX ।नोट मैं हे0का0 1560 आदेश कुमार प्रमाणित  
करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित की गयी है ।

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s)  
u/s as mentioned at Item No. 2.**


(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने  
का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया  
और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/  
नाम): NARESH KUMAR BHATI अवर निरीक्षक  
No. (सं.): 972292856 to take up the Investigation (को जांच  
अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण  
इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS JAIT

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403955

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): जैत Year (वर्ष): 2024  
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0415 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/09/2024 14:14 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	विधुत अधिनियम, 2003	136

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): बुधवार	Date from (दिनांक से): 18/09/2024	Date To (दिनांक तक): 18/09/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 8	Time From (समय से): 23:50 बजे	Time To (समय तक): 23:50 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/09/2024 Time (समय): 14:14 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 032 Date and Time (दिनांक और समय): 20/09/2024 14:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 2 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

- (b) Address (पता): डालमिया फार्म हाउस छटीकरा ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): शैलेन्द्र कुमार सिंह

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अवर अभियन्ता 33/11 के0वी , विद्युत उपकेन्द्र छटीकरा , जैत, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	अवर अभियन्ता 33/11 के0वी , विद्युत उपकेन्द्र छटीकरा , जैत, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-70603XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

**12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, थाना अध्यक्ष महोदय थाना जैत. मथुरा महोदय, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 की रात्रि समय 11:45 बाजे 33/11 कंवी विद्युत उपकेन्द्र छटीकरा से पोषित 11 केवी छटीकरा पोषक पर ट्रिपिंग आई जिस पर उपकेन्द्र पर तैनात उपकेन्द्र परिचालक श्री कोमल वर्मा द्वारा समय 1150 बजे उक्त पोषक की ट्राई ली परन्तु लाईन होल्ड नहीं हुई पुन 00.00 बजे ट्राई ली हैवी फल्ट आया जिस पर उपकेन्द्र परिचालक द्वारा उक्त पोषक को ब्रेकडाउन में खोल दिया तथा जिसकी सूचना श्री कोमल सिंह संविदाकर्मी को दे दी गई दिनांक 19.09.2024 की सुबह कोमल सिंह गोविन्द व प्रकाश संविदाकर्मी द्वारा लाईन की पेट्रोलिंग की गई समय 06.30 बजे गोविन्द प्रकाश द्वारा कोटा, छरीरा साईड खोलकर ट्राई ली लाईन होल्ड नही हुई तब उक्त साईड को जोडकर 07.45 बजे प्रकाश व गोविन्द द्वारा गोपालगढ साईड खोलकर छटीकरा फीडर चालू कराया आगे की पेट्रोलिंग के दौरान ज्ञात हुआ की वैष्णोदेवी मन्दिर के सामने की तरफ डालमिया फार्म हाउस में तमाम पेड़ कटे पड़े है जिनमें से कुछ पेड़ उक्त पोषक की लाईन पर गिरे पड़े है तथा तार टूटे पड़े है। जिसकी सूचना कोमल सिंह संविदाकर्मी द्वारा मुझे दी गई मौके पर जाकर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ उक्त फार्म हाउस किसी शंकरसेठ पुत्र नामालूम द्वारा खरीदा गया है तथा उनके द्वारा ही जेसीबी इत्यादि द्वारा ये पेड़ काटे गये है तत्पश्चात् लाईन को दुरुस्त कराकर समय 18:10 बजे लाईन चालू कराई। उपरोक्त के उक्त कृत्य से विभागीय हानि के साथ-साथ आम जनता को तमाम दिक्कतो का सामना करना पड़ा तथा अंधेरे में रहना पड़ा अत आपसे आग्रह है कि शंकरसेठ पुत्र नामालूम व अन्य सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी शैलेन्द्र 20/09/2024 शैलेन्द्र कुमार सिंह अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र छटीकरा मथुरा मो 70603XXXXX नोट मै हे0का0 1560 आदेश कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित की गयी है ।

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/  
नाम): NARESH KUMAR BHATI अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972292856 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS JAIT

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403955

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): जैत Year (वर्ष): 2024  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0417 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/09/2024 22:09 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
2	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	5

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 19/09/2024 Date To (दिनांक तक): 19/09/2024  
Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 10:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/09/2024 Time (समय): 21:57 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 060 Date and Time (दिनांक और समय): 20/09/2024 21:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1.

(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 03 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): छटीकरा से रुकमणी बिहार जाने,वाले मार्ग बायी ओर थाना जैत

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): विमल कोहली

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1994 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अवर अभियंता मथुरा वृन्दावन , विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, भारत

2	स्थायी पता	अवर अभियंता मथुरा वृन्दावन , विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	---

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-99270XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

**12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय जैत मथुरा बिषय छटीकरा से वृन्दावन जाने वाले मार्ग पर बायीं ओर उप्र बृज तीर्थ विकास परिषद् मथुरा द्वारा वृक्षों को सुरक्षित रखने हेतु स्थापित लोहे कि ग्रिल को क्षति ग्रस्त करने के सम्बन्ध में महोदय, उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत करना है कि दिनांक 19-09 2024 को प्रातः 10:30 बजे स्थल निरीक्षण के समय देखा गया कि छटीकरा से रुक्मणि विहार जाने वाले मार्ग पर बायीं ओर उप्र वृज तीर्थ विकास परिषद् के द्वारा कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा से ग्रीन बेल्ट कि सुरक्षा हेतु स्थापित लोहे कि ग्रिल को 14 स्थानों पर लगभग 100 मी लम्बाई में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटने के कारण क्षतिग्रस्त कर दी गयी है इस सम्बन्ध में हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना में वन विभाग द्वारा फार्म हउस के मालिक डालमिया एंड संस, कोलकाता निवासी नारायण प्रसाद डालमिया, श्रीचंद कुमार धानुका, अरुणा धानुका, मगांक धानुका, वृन्दावन निवासी गुरुकृपा तपोवन कालोनी के मालिक आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कृपया उक्त प्रकरण में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सरकारी सम्पत्ति के अंतर्गत पेड़ों को काटते हुए ग्रिल को उक्त वर्णित व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। कृपया लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त एवं नष्ट करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करे भवदीयsd अग्रेजी अपठित विमल कोहली अवर अभियंता मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण 99270XXXXX दिनांक: 20/09/2024संलग्नक: 1. स्थल के फोटोग्राफ 2. दिनांक 19/09/2024 को हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार कि छायाप्रति नोट मै का0 1187 वकील अहमद प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर अंकित की गयी है

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): NARESH KUMAR BHATI Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972292856 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS JAIT

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403955

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

राजकीय कार्य हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वार्ष्णेय एडवोकेट

चैम्बर नं० 200, कलकट्रेट, मथुरा

मोबा०- 7983008514, 9411967295

आचार्य श्री मन्मथ प्रसाद शर्मा आर्य समाज मथुरा  
C.A. No. 10/2024

राज्य

बनाय डालिया फंडस कांड

U/s. 33, 42 I. F. Act.  
9, 39, 51 W. P. A.

P.S. जैत

Order No. 23/10/2024

डो. जी डी डो. प्रकाश

64 cm 24/10/24	24 OCT 2024	24 OCT 2024	24 OCT 2024

24/10/2024

(R.D.F.O. Mathura)  
Through Counsel  
S. Vasani



सतीश चन्द वार्ष्णेय  
अधिवक्ता  
वन विभाग जिला-मथुरा

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-०१, मथुरा

मु०अ०सं०-४१३/२०२४

राज्य बनाम ओमी उर्फ ओमप्रकाश

23.10.2024

मु०अ०सं०-४१३/२०२४ धारा-२९/३३/४१/४२/५१ भारतीय वन अधिनियम व धारा-४/१० वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-९/३९/५१ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-१८९(२),३२४(५),२२३ भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्त ओमी उर्फ ओमप्रकाश द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त जे०सी०बी० का मालिक है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने की नियत से उसे झूठा फंसाया गया है। दिनांक १९.०९.२०२४ के समय ०८.०० बजे सुबह की होने कही जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १९.०९.२०२४ को २१.१२ बजे दर्ज करायी गयी है जबकि घटनास्थल से थाने की दूर मात्र २ किलोमीटर है। देरी से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई कारण रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान केस में नामजद नहीं हैं उसका नाम इलाका पुलिस द्वारा अपने केस का खुलासा करने व उच्च अधिकारियों को गुडवर्क दिखाने की नियत से घर से उठाकर झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई हरा पेड़ किसी भी प्रजाति का न तो काटा गया है और न ही उसे पेड़ काटने की कोई जानकारी है। उसके विरुद्ध आरोपित धाराओं का कोई आपराध नहीं बनता है। प्रार्थी पूर्व में सजायफता नहीं है और न ही उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है। अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इसी प्रकरण से संबंधित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व व ३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या ४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्त की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज की आख्या के अनुसार अभियुक्त जे०सी०बी० मशीन का मालिक है और प्रश्नगत कारित अपराध में जे०सी०बी० मशीन का उपयोग हुआ है। अभियुक्त व अभियुक्त की जे०सी०बी० मशीन कारित प्रश्नगत अपराध में संलिप्त है। अभियुक्त द्वारा दिनांक १८/१९.०९.२०२४ की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से डालमिया फार्म के मालिकगणों, सहयोगी अज्ञात बिल्डर एवं अन्य मालिकों के द्वारा जे०सी०बी० मशीनों, पोकलीन मशीनों, पावर शा मशीनों का उपयोग कराते हुए इन मशीनों के अज्ञात चालकों तथा अन्य सैकड़ों मजदूरों को लगाकर वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खडे ३५ वृक्ष तथा डालुमिया फार्म परिसर एरिया लगभग ३६ एकड़ की भूमि से कुल ४१९ हरे पेड़ों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर १२८ मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शेडयूल १ का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या १३३८१/१९९४ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।



केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से 419 हरे पेड़ बिना अनुमति के तथा वन विभाग द्वारा संरक्षित सरकारी भूमि से 35 पेड़ चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल 1 के वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से 128 मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अमी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैत पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

अभियुक्त ओमी उर्फ ओमप्रकाश का जमानत आवेदन मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/ 33/ 41/ 42/ 51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-189(2),324(5),223 भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त

रजिस्ट्रार

मिथुन  
22.10.24

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मथुरा  
22/10/2024

Sonia Verma  
23/10/24  
(सोनिका वर्मा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

अपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा

24 OCT 2024



राजकीय कार्य हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वार्ष्णेय एडवोकेट

चैम्बर नं० 200, कलक्ट्रेट, मथुरा

मोबा०- 7983008514, 9411967295

न्यायालय श्रीमती अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी प्रकाश मथुरा  
Comme No 04/3/2024

राज्य वनाय डालोमिया एंड सेंस मथुरा

U/S- 33, 42, I. P. Act -  
9, 39, 51 W. P. A.P.S. जीत  
Order dt. 24-10-2024

रामकुमार उर्फ रामू

64/24 24/10/24	24 OCT 2024	24 OCT 2024	24 OCT 2024

24/10/2024

for D.P.O. Mathura  
through counsel  
Aashirसतीश चन्द वार्ष्णेय  
अधिवक्ता  
वन विभाग जिला-मथुरा

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-०१, मथुरा

मु०अ०सं०-४१३/२०२४

राज्य बनाम रामकुमार उर्फ रामू

23.10.2024

मु०अ०सं०-४१३/२०२४ धारा-२९/३३/४१/४२/५१ भारतीय वन अधिनियम व धारा-४/१० वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-९/३९/५१ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-१८९(२),३२४(५),२२३ भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्त रामकुमार उर्फ रामू द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त जे०सी०बी० के ओपरेटर का कार्यकता है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने की नियत से उसे झूठा फंसाया गया है। दिनांक १९.०९.२०२४ के समय ०८.०० बजे सुबह की होने कही जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १९.०९.२०२४ को २१.१२ बजे दर्ज करायी गयी है जबकि घटनास्थल से थाने की दूर मात्र २ किलोमीटर है। देखी से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई कारण रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान केस में नामजद नहीं हैं उसका नाम इलाका पुलिस द्वारा अपने केस का खुलासा करने व उच्च अधिकारियों को गुडवर्क दिखाने की नियत से घर से उठाकर झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई हरा पेड़ किसी भी प्रजाति का न तो काटा गया है और न ही उसे पेड़ काटने की कोई जानकारी है। उसके विरुद्ध आरोपित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी पूर्व में सजायफता नहीं है और न ही उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है। अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इसी प्रकरण से संबंधित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व व ३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या ४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्त की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज की आख्या के अनुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक १८/१९.०९.२०२४ की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से डालमिया फार्म के मालिकगणों, सहयोगी अज्ञात बिल्डर एवं अन्य मालिकों के द्वारा जे०सी०बी० मशीनों, पोकलीन मशीनों, पावर शा मशीनों का उपयोग कराते हुए इन मशीनों के अज्ञात चालकों तथा अन्य सैकड़ों मजदूरों को लगाकर वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खड़े ३५ वृक्ष तथा डालमिया फार्म परिसर एरिया लगभग ३६ एकड़ की भूमि से कुल ४१९ हरे पेड़ों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर १२८ मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शेडयूल १ का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या १३३८१/१९९४ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से ४१९ हरे पेड़ बिना अनुमति के तथा वन विभाग द्वारा संरक्षित सरकारी भूमि से ३५



पेड चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल 1 के वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से 128 मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैत पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

अभियुक्त रामकुमार उर्फ रामू का जमानत आवेदन मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/33/41/42/51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-189(2),324(5),223 भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

रामकुमार  
रामकुमार उर्फ रामू  
22.10.24  
R. B. S. S.  
21/10/2024

Sonia Verma  
23/10/24  
(सोनिका वर्मा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक  
न्यायालय मथुरा

24 OCT 2024



राजकीय कार्य हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वाष्णीय एडवोकेट

चैम्बर नं0 200, कलक्ट्रेट, मथुरा

मोबा0- 7983008514, 9411967295

~~न्यायालय मुंबई क्र. 23/10/2024~~  
Crime No 0413/2024

राज्य बनाम डालमिया हंसलकादे

U/S-33,42 I. P. Act  
9,39,51 W.P.A.

P.S. अंत

23/10/2024

सतीश चन्द वाष्णीय

64 cm 24/10/24	24 OCT 2024	24 OCT 2024	24 OCT 2024

DF 24/10/2024

(for D.F.O. Mathura)  
through Counsel  
C. Vasava  
अंत

सतीश चन्द वाष्णीय  
अधिवक्ता  
वन विभाग जिला-मथुरा



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-०१, मथुरा  
मु०अ०सं०-४१३/२०२४  
राज्य बनाम शिवशंकर अग्रवाल

23.10.2024

मु०अ०सं०-४१३/२०२४ धारा-२९/३३/४१/४२/५१ भारतीय वन अधिनियम व धारा-४/१० वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-९/३९/५१ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-१८९(२),३२४(५),२२३ भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्त शिवशंकर अग्रवाल द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनेल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्त का कथन है कि वर्तमान केस की घटना दिनांक १९.०९.२०२४ के समय ०८.०० बजे सुबह की होने कही जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १९.०९.२०२४ को २१.१२ बजे दर्ज करायी गयी है जबकि घटनास्थल से थाने की दूर मात्र २ किलोमीटर है। देरी से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई कारण रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। प्रार्थी वर्तमान केस में नामजद नहीं है। उसका नाम व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस व वन विभाग के लोगों से सांठ गांठ कर वर्तमान केस में सम्मिलित कराया गया था और प्रार्थी को गिरफ्तार कराकर उसका व्यावसायिक कैरियर बर्बाद करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। प्रार्थी का वर्तमान केस के घटनाक्रम से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अभियोजन के स्वीकार्य कथन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के स्वामी मैसर्स डालमिया एंड सन्स हैं। प्रार्थी द्वारा वादी द्वारा कथित किसी प्रकार का कोई हरा पेड किसी भी प्रजाति का न तो काटा गया है और न ही प्रार्थी को ऐसे पेडों को काटने के बारे में कोई जानकारी है। प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी न तो पूर्व सजायफता है और न ही उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इसी प्रकरण से संबन्धित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व व ३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या ४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्त की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज की आख्या के अनुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक १८/१९.०९.२०२४ की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से डालमिया फार्म के मालिकगणों, सहयोगी अज्ञात बिल्डर एवं अन्य मालिकों के द्वारा जे०सी०बी० मशीनों, पोकलीन मशीनों, पावर शा मशीनों का उपयोग करते हुए इन मशीनों के अज्ञात चालकों तथा अन्य सैकड़ों मजदूरों को लगाकर वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खड़े ३५ वृक्ष तथा डालमिया फार्म परिसर एरिया लगभग ३६ एकड़ की भूमि से कुल ४१९ हरे पेडों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर १२८ मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल १ का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या १३३८१/१९९४ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।



अभियुक्त की ओर से गाटा संख्या 255, 256 स्थित ग्राम छटीकरा, (वृन्दावन) जनपद मथुरा की खतौनी दाखिल की है किन्तु जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये जाते समय प्रपत्रों को संज्ञान में लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। चूंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये जाते समय गुणदोष पर विचार नहीं किया जा सकता।

केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से 419 हरे पेड़ बिना अनुमति के तथा वन विभाग द्वारा सुरक्षित सरकारी भूमि से 35 पेड़ चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल 1 के वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से 128 मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैत पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

अभियुक्त शिवशंकर अग्रवाल का जमानत आवेदन मु0अ0सं0- 413/2024 धारा-29/ 33/ 41/ 42/ 51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-189(2),324(5),223 भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

शिवशंकर

शिवशंकर अग्रवाल  
23/10/24

अभियुक्त का अधिवक्ता  
24/10/2024

23/10/24

(सोनिका वर्मा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

जनपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा

24 OCT 2024



राजकीय कार्य हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वार्ष्णेय एडवोकेट

चैम्बर नं० 200, कलक्ट्रेट, मथुरा

मोबा०- 7983008514, 9411967295

न्यायालय अन्तर्गत डी.डी.बुखार्या न्यायिक अजिमेत मथुरा  
Crime NO 0413/2024

राज्य बनाम डालीप्रभा एंड सस डी.डी.

U/s. 33, 421. P. Act  
9, 39, 51 W.P.A.  
P.S. अंत

Order dt 23/10/2024  
शेजा 4 + 4

63 copy 24/10/24	24 OCT 2024	24 OCT 2024	24 OCT 2024

dt. 24/10/2024

(For D.F.O. Mathura)  
Through Counsel  
C. Vasundhara



सतीश चन्द वार्ष्णेय  
अधिवक्ता  
वन विभाग जिला-मथुरा

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-०१, मथुरा

मु०अ०सं०-४१३/२०२४

राज्य बनाम शहजाद आदि

23.10.2024

मु०अ०सं०-४१३/२०२४ धारा-२९/३३/४१/४२/५१ भारतीय वन अधिनियम व धारा-४/१० वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-९/३९/५१ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्तगण शहजाद, अयूब, आकाश, सुखराम व रामअवतार द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तगण आज तक अन्तरिम जमानत पर हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायफता हैं। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध इस प्रकरण में धारा-१८९(२), ३२४(५), २२३ भारतीय न्याय संहिता की वृद्धि की गयी है तथा इसी प्रकरण संबंधित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व व ३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या ४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक १८/१९.०९.२०२४ की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खड़े ३५ वृक्ष तथा डालमिया फार्म परिसर एरिया लगभग ३६ एकड़ की भूमि से कुल ४१९ हरे पेड़ों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर १२८ मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल १ का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या १३३८१/१९९४ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से ४१९ हरे पेड़ बिना अनुमति के तथा वन विभाग द्वारा संरक्षित सरकारी भूमि से ३५ पेड़ चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल १ के वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से १२८ मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैत पर मु०अ०सं०-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण



पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण शहजाद, अयूब, आकाश, सुखराम व रामअवतार का जमानत आवेदन मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/33/41/42/51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

शहजाद

अयूब

आकाश

सुखराम

रामअवतार

पाय कारोड घाल किये  
Jumma Hesa  
23.10.24

*Soniya Verma*  
23/10/24  
(सोनिका वर्मा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक  
कनिष्ठ एवं सत्र न्यायालय मथुरा

24 OCT 2024



राजकीय कार्रवाई हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वाष्णीय एडवोकेट

चैम्बर नं० 200, कलक्ट्रेट, मथुरा

मोबा०- 7983008514, 9411967295

~~साधारण न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त मथुरा~~  
Crime No 12024

राज्य वनांग्र डालीकरण एंड सन्स ड्राई

U/s. 33, 42 I.F. Act  
9,39,

dated 24/10/2024

जो फल, बुकेशाहि, सोहन

63 cal 24/10/24	24 OCT 2024	24 OCT 2024	24 OCT 2024

24/10/2024

(S. S. Chandra) Through Counsel



सतीश चन्द वाष्णीय  
अतिरिक्त  
वन विभाग जिला-मथुरा

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-०१, मथुरा  
मु०अ०सं०-४१३/२०२४  
राज्य बनाम मुकेश सिंह आदि

23.10.2024

मु०अ०सं०-४१३/२०२४ धारा-२९/३३/४१/४२/५१ भारतीय वन अधिनियम व धारा-४/१० वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-९/३९/५१ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-१८९(२).३२४(५).२२३ भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्तगण गोपाल, मुकेश सिंह व सोहन सिंह द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तगण आज तक अन्तरिम जमानत पर हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मजदूर व गरीब व्यक्ति हैं जो कि किसी अन्य साइड पर मजदूरी का कार्य कर रहे थे। दिनांक १९.०९.२०२४ के समय ०८.०० बजे सुबह की होने कही जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १९.०९.२०२४ को २१.१२ बजे दर्ज करायी गयी है जबकि घटनास्थल से थाने की दूर मात्र २ किलोमीटर है। देरी से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई कारण रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान केस में नामजद नहीं हैं उसका नाम इलाका पुलिस द्वारा अपने केस का खुलासा करने व उच्च अधिकारियों को गुडवर्क दिखाने की नियत से घर से उटाकर झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई हरा पेड किसी भी प्रजाति का न तो काटा गया है और न ही उसे पेड काटने की कोई जानकारी है। उसके विरुद्ध आरोपित धाराओं का कोई आपराध नहीं बनता है। प्रार्थी पूर्व में सजायफता नहीं है और न ही उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है। अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इसी प्रकरण से संबंधित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व व ३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या ४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज की आख्या के अनुसार अभियुक्त जे०सी०बी० मशीन का मालिक है और प्रश्नगत कारित अपराध में जे०सी०बी० मशीन का उपयोग हुआ है। अभियुक्त व अभियुक्त की जे०सी०बी० मशीन कारित प्रश्नगत अपराध में संलिप्त है। अभियुक्त द्वारा दिनांक १८/१९.०९.२०२४ की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से डालमिया फार्म के मालिकगणों, सहयोगी अज्ञात बिल्डर एवं अन्य मालिकों के द्वारा जे०सी०बी० मशीनों, पोकलीन मशीनों, पावर शा मशीनों का उपयोग कराते हुए इन मशीनों के अज्ञात चालकों तथा अन्य सैकड़ों मजदूरों को लगाकर वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खड़े ३५ वृक्ष तथा डालुमिया फार्म परिसर एरिया लगभग ३६ एकड़ की भूमि से कुल ४१९ हरे पेडों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर १२८ मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शेडयूल १ का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या १३३८१/१९९४ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।



केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से 419 हरे पेड़ बिना अनुमति के तथा वन विभाग द्वारा संरक्षित सरकारी भूमि से 35 पेड़ चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शेडयूल 1 के वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से 128 मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैत पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण गोपाल, मुकेश सिंह व सोहन सिंह का जमानत आवेदन मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/ 33/ 41/ 42/ 51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-189(2),324(5),223 भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

सोहन सिंह

CA/PAC

सिंह

वीनवार/02/24/2024

23/10/24

अंतर का सार्वजनिक  
24/10/2024

23/10/24

(सोनिका वर्मा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

वनपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा

24 OCT 2024



राजकीय कार्य हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वाष्णीय एडवोकेट

चैम्बर नं० 200, कलक्ट्रेट, मथुरा


मोबा०- 7983008514, 9411967295

न्यायालय के समक्ष आदि मुद्दा न्यायिक मजिस्ट्रेट इयत मथुरा  
Comme no 0413/2024

राज्य वनायक डालीमेगा हेड सस कोड

U/S. 33, 42 I.F.A.  
U/S. 39, 51 W.P.A.  
P.D. जल

Order dt: 23/10/2024  
सुशमल, प्रो.सि.ग, शशी क

<p>63 cal 24/10/24</p>	<p>24 OCT 2024</p>	<p>24 OCT 2024</p>	<p> 24 OCT 2024</p>

dt. 24/10/2024

*Satish Chandra Mathura*  
*Hoagse Courts of*  
*C. Vasanth*  
As

सतीश चन्द वाष्णीय  
अधिवक्ता  
वन विभाग जिला-मथुरा



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0-01, मथुरा

मु0अ0सं0-413/2024

राज्य बनाम शरीफ आदि

23.10.2024

मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/33/41/42/51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-189(2),324(5),223 भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्तगण मुश्ताक, मौसिम व शरीफ द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनेल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उन पर कोई अपराध बनता है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही प्रार्थीगण की मौके पर गिरफ्तारी है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इसी प्रकरण से संबंधित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या 417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा रेंज की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 18/19.09.2024 की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खडे 35 वृक्ष तथा डालमिया फार्म परिसर एरिया लगभग 36 एकड़ की भूमि से कुल 419 हरे पेड़ों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर 128 मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल 1 का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या 13381/1994 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से 419 हरे पेड़ बिना अनुमति के तथा वन विभाग द्वारा संरक्षित सरकारी भूमि से 35 पेड़ चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल 1 के वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से 128 मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैत पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण



पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण मुस्ताक, मौसिम व शरीफ का अजमानत आवेदन मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/ 33/ 41/ 42/ 51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-189(2),324(5),223 भारतीय न्याय संहिता थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

मुस्ताक  
मौसिम  
शरीफ

*Sonia Verma*  
23/10/24

(सोनिका वर्मा)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

तीनका कोर्टाफत  
रिपोर्ट

22/10/24

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मथुरा न्यायालय संख्या-01  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिके  
वनपट एवं सत्र न्यायालय मथुरा  
24 OCT 2024



राजकीय कार्य हेतु

कार्यालय- सतीश चन्द वार्ष्णेय एडवोकेट

चैम्बर नं० 200, कलक्ट्रेट, मथुरा

मोबा०- 7983008514, 9411967295

न्यायालय अधीनस्थ अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी मथुरा  
Comme No 04/3/2024

राज्य वनाय अलगगाँउडसस कार्य

P.D. Jais

Order dt. 23/10/2024

अजेंडानं० 16

6322 24/10/24	24 OCT 2024	24 OCT 2024	24 OCT 2024

24/10/2024

(S. D. F. O. Mathura)  
Through Counsel  
C. Vasanth

सतीश चन्द वार्ष्णेय  
अधिवक्ता  
वन विभाग जिला-मथुरा



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-०१, मथुरा  
मु०अ०सं०-४१३/२०२४  
राज्य बनाम गजेन्द्र सिंह आदि

23.10.2024

मु०अ०सं०-४१३/२०२४ धारा-२९/३३/४१/४२/५१ भारतीय वन अधिनियम व धारा-४/१० वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-९/३९/५१ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना जैत जिला मथुरा में अन्तरिम जमानत पर अभियुक्तगण गजेन्द्र सिंह, विनोद वैष्णव, मुनेष पुजारी, सनी, नन्दलाल, बाबूलाल, सुधर सिंह, रवि अहिरवार, विजेन्द्र, अवधेश शर्मा, हरिदास, मुबारिक, बनी सिंह, नवल सिंह, प्रवीन कुमार, अजय व रामवीर द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तगण आज तक अन्तरिम जमानत पर हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा वन विभाग के पैनल अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थनागण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायफता हैं। अभियुक्तगण ज्यादातर मजदूर हैं उनके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। मुकदमा वादी को कई घण्टे पूर्व घटना के विषय में पूर्व जानकारी होना बताया जाता है, लेकिन फिर भी एफ०आई०आर० १३ घण्टे देरी से दर्ज करायी गयी है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध इस प्रकरण में धारा-१८९(२),३२४(५),२२३ भारतीय न्याय संहिता की वृद्धि की गयी है तथा इसी प्रकरण संबंधित अन्य मुकदमें मुकदमा अपराध संख्या-४१५/२०२४ धारा-१३६ विद्युत अधिनियम व व ३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या ४१७/२०२४ धारा-३/५ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैत पर पंजीकृत है। अतः अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा के यहां से आख्या आहूत की गयी, किन्तु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है, परन्तु वन विभाग के पैनल अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक १८/१९.०९.२०२४ की रात्रि के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से वन विभाग की सरकारी संरक्षित भूमि पर से हरे खड़े ३५ वृक्ष तथा डालमिया फार्म परिसर एरिया लगभग ३६ एकड़ की भूमि से कुल ४१९ हरे पेड़ों को काटने व गिराने के साक्ष्य पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर निरीक्षण किये जाने पर १२८ मोर पंख तथा विभिन्न पक्षियों के घोंसले तथा दबा कुचला हुआ मृतक इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल १ का वन्य जीव का शव बरामद होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या १३३८१/१९९४ में पारित आदेश दिनांक ०८.०५.२०१५ का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत का विरोध किया गया है।

सुना गया। प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात है कि विवेचक द्वारा यह साक्ष्य संकलित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डालमिया एंड सन्स के नाम पर पंजीकृत भूमि से ४१९ हरे पेड़ बिना अनुमति के तथ्य वन विभाग द्वारा संरक्षित सरकारी भूमि से ३५ पेड़ चोरी से काटे गये हैं, अन्य जीव जन्तुओं के घोंसले ध्वस्त किये गये हैं तथा इण्डियन रेड स्नेक शोडयूल १ के

वन्य जीव की मृत्यु कारित की गयी है एवं घटनास्थल से 128 मोर पंख भी बरामद हुए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। केस डायरी तथा विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैत पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा-136 विद्युत अधिनियम व धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या-417/2024 धारा-3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्तगण गजेन्द्र सिंह, विनोद वैष्णव, मुनेष पुजारी, सनी, नन्दलाल, बाबूलाल, सुघर सिंह, रवि अहिरवार, विजेन्द्र, अवधेश शर्मा, हरिदास, मुबारिक, बनी सिंह, नवल सिंह, प्रवीन कुमार, अजय व रामवीर का जमानत आवेदन मु0अ0सं0-413/2024 धारा-29/33/41/42/51 भारतीय वन अधिनियम व धारा-4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम व धारा-9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना जैत जिला मथुरा के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

गजेन्द्र सिंह  
विनोद  
मुनेश  
शंखी  
नन्दलाल  
बाबूलाल  
सुघर सिंह  
रवि  
अजय  
रामवीर  
हरीपारस  
मुबारिक  
बनी सिंह  
नवल सिंह  
प्रवीन कुमार  
अजय  
रामवीर

17) वक्रोत्पन्न  
किये / फिलिप हेड  
23-10-24  
अतिरिक्त अधिकारी द्वारा निरस्त  
24/10/2024

*Sonika Verma*  
23/10/24  
(सोनिका वर्मा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-01, मथुरा  
आई0डी0कमांक-यू0पी0-2139

प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रधान प्रतिलिपिक  
अपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा  
24 OCT 2024



**Court No. - 42**

**Case :-** CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 19146 of 2024

**Petitioner :-** Narain Prasad Dalmia And 7 Others

**Respondent :-** State Of Up And 3 Others

**Counsel for Petitioner :-** Taniya Pandey

**Counsel for Respondent :-** G.A.

**Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.**

**Hon'ble Prashant Kumar,J.**

1. Heard Sri Manish Tiwary, learned Senior Advocate assisted by Ms. Taniya Pandey, learned counsel for the petitioners and learned A.G.A. for the State.

2. The instant writ petition is preferred for quashing impugned FIR No.0413 of 2024 dated 19.09.2024 under sections 29, 33, 41, 42 and 51 of Indian Forst Act, 1927, Sections 4/10 of U.P. Protection of Trees Act, 1976, Sections 9/39/51 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and Sections 324(5)/189(2) and 223 of B.N.S., 2023. Further prayer has been made for staying further investigation of the aforesaid case.

3. Learned counsel for the petitioner submits that the instant FIR has been challenged on the ground that the petitioners are not the owners of the land in question and an agreement to sale was executed on 31.07.2024. He further submits that in two other FIRs relating to the same matter, Co-ordinate Bench of this Court vide orders dated 23.10.2024 passed in Crl. Misc. Writ Petition Nos.19143 of 2024 and 19144 of 2024, notices have been issued and arrest of the petitioners have been stayed. He prays for similar indulgence in the matter otherwise the petitioners would suffer irreparable loss.

4. The matter requires consideration.

5. Issue notice to respondent no.4 returnable at an early date. Steps be taken within a week.

6. Let the instant writ petition be connected and listed with Crl. Misc. Writ Petition Nos.19143 of 2024 and 19144 of 2024.

7. Till the next date of listing or till submission of police report under Section 173(2) Cr.P.C.(now Section 193(3) of Bhartiya

Nagrika Suraksha Sanhita, 2023), whichever is earlier, the respondents are restrained from arresting the petitioners pursuant to the impugned FIR subject to cooperation in ongoing investigation.

**Order Date :-** 24.10.2024  
Manish Himwan

**Factual status report**  
with reference to  
**the Hon'ble National Green Tribunal**  
**Principal Bench, New Delhi's**  
**Order dated 30 September 2024**  
**in OA No. 1191/2024**  
**submitted by the Forest Survey of India**  
**to the nodal agency**

**Table of contents**

Background	2
Site and situation of the area	2
Analysis of recent changes using high-resolution satellite imagery	3
Observations during the site visit	6
Conclusion	7

---

**Background**

1. In their order dated 30 September 2024, in O.A. No. 1191 / 2024, the Hon'ble National Green Tribunal constituted a Joint Committee with the District Magistrate, Mathura as the nodal agency, and including the Director (General) of the Forest Survey of India, Dehradun.
2. Paragraph 1 of the Hon'ble National Green Tribunal's Order mentions that "In this original application, applicant has made allegation in respect of illegal felling of 454 trees at Dalmia Farms located on Chhatikara-Vrindavan Road, Mathura, Uttar Pradesh, within the Taj Trapezium Zone".
3. Paragraph 2 of the Hon'ble National Green Tribunal's Order mentions that "Applicant has alleged that illegal felling of trees has taken place on 18th and 19th September, 2024."
4. The joint committee was directed to "carry out the spot inspection, ascertain the number of trees that have been illegally cut in the area concerned and also the persons responsible for the same." In this exercise, the Director (General), Forest Survey of India is also required to provide satellite images to ascertain the extent of the illegal felling of trees.
5. The site visit of the joint committee was made on 8th November 2024 further to the nodal agency's letter number 1852/33-1 dated 28 October 2024.
6. Hence this report.

---

**Site and situation of the area**

1. To reach the correct site, and to ascertain the facts, location details were received from DFO Mathura in the form of kml files, and the same were cross-checked during the site inspection using GPS coordinates. A screenshot of the same is placed under

for records:




Location map of the area. Red area indicates private land, and yellow area indicates protected forest.

### **Analysis of recent changes using high-resolution satellite imagery**

1. High-resolution historical satellite imageries as available from Google Earth were utilized to find recent changes. We can observe felled trees, and the track marks of heavy equipment.

L42



Pre-event satellite imagery dated 26 June 2022 showing erect trees.



Post-event satellite imagery dated 28 October 24 showing toppled trees and track marks of heavy equipment.



Close-up of a location in the pre-event satellite imagery.



Close-up of the same location in the post-event satellite imagery showing toppled trees and track marks of heavy equipment.

**Observations during the site visit**

1. The site visit corroborated the satellite imageries, and several uprooted trees were observed, indicating the use of heavy machinery in the process. Biodiversity-supporting species including peepal, jamun, ber, neem, and amrood have been uprooted in large numbers. Eucalyptus trees in the surrounding land have not been uprooted.



Photograph of site visit.



Uprooted trees.



Uprooted trees.



Some trees have been processed using axe / saw.

2. Tree enumeration data compiled by the team of the Forest Survey of India is annexed in Annexure-1.
3. Wild birds like babblers were observed at the site. Since the trees have already been uprooted, it is difficult to estimate the actual numbers of birds and wildlife affected by the uprooting.

Details of persons responsible for uprooting, as investigated by the forest, police, and revenue officials, were discussed during the site visit. The Forest Survey of India concurs with the investigation.

---

### **Conclusion**

1. Pre-event satellite imagery dated 26 June 2022 shows erect trees. Post-event satellite imagery dated 28 October 2024 shows toppled trees. Thus, felling of trees originally standing on the site is established.
2. Track marks of heavy equipment are observed in post-event satellite imagery dated 28 October 2024 near the felled trees.
3. During the site visit, it was found that 454 trees have been felled, including biodiversity-supporting species such as peepal, jamun, ber, neem, and amrood. Enumeration list of felled trees is presented in Annexure-1.
4. Felling of trees was found both on private land, and in protected forest land.

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
1	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	094	089	11.20	PL	
2	Kadam	<i>Anthocephalus cadamba</i>	099	076	09.40	PL	
3	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	071	041	04.55	PL	
4	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	125	111	09.50	PL	
5	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	059	047	02.50	PL	Top Broken
6	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	056	041	06.60	PL	
7	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	111	12.50	PL	
8	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	125	11.10	PL	
9	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	165	112	06.40	PL	
10	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	089	072	12.60	PL	
11	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	035	-	03.45	PL	Top Broken
12	Bagan Bailya	<i>Bougainvillea sp.</i>	026	017	05.10	PL	
13	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	072	078	03.40	PL	Top Broken
14	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	115	096	10.20	PL	
15	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	076	061	04.40	PL	
16	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	061	046	04.40	PL	
17	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	065	056	08.50	PL	
18	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	067	059	07.00	PL	
19	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	045	031	03.45	PL	
20	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	051	043	07.00	PL	
21	Kadam	<i>Anthocephalus cadamba</i>	071	063	06.40	PL	
22	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	215	145	18.75	PL	Stump
23(A)	Safed Siris	<i>Albizia procera</i>	078	080	04.30	PL	
23(B)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	051	036	05.90	PL	
24	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	048	035	06.90	PL	
25	Subabul	<i>Acacia nilotica</i>	076	-	07.15	PL	Stump
26	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	076	-	07.15	PL	Top Broken
27	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	082	072	03.10	PL	
28	Ashoka	<i>Polyalthia longilfolia</i>	205	140	19.20	PL	
29	Safed Siris	<i>Albizia procera</i>	075	067	04.30	PL	
30	Chatiwan	<i>Alstonia sp.</i>	076	064	10.60	PL	
31	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	068	050	08.50	PL	
32	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	151	131	14.30	PL	
33	Safed Siris	<i>Albizia procera</i>	090	052	03.95	PL	
34	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	058	054	05.40	PL	
35	Ashoka	<i>Polyalthia longilfolia</i>	058	040	05.30	PL	
36	Chatiwan	<i>Alstonia sp.</i>	127	103	10.95	PL	
37	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	137	141	05.70	PL	Top Broken
38	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	090	05.40	PL	
39	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	170	153	13.75	PL	
40	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	171	155	13.73	PL	
41	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	066	045	07.70	PL	
42	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	088	062	06.90	PL	
43	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	070	054	08.40	PL	
44	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	115	049	08.10	PL	
45	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	052	07.20	PL	
46	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	110	093	07.40	PL	
47	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	114	085	08.90	PL	
48	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	120	116	04.80	PL	

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
46	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	120	12.30	PL	
47	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	090	085	03.50	PL	Top Broken
48	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	080	080	12.10	PL	
49	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	140	141	11.10	PL	
50	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	096	090	10.30	PL	
51(A)	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	165	085	10.30	PL	
51(B)	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	-	115	09.30	PL	
52	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	085	070	08.80	PL	
53	Subabul	<i>Acacia nilotica</i>	073	050	09.95	PL	
54	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	115	105	10.20	PL	
55(A)	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	045	030	04.20	PL	Top Broken
55(B)	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	-	030	04.10	PL	
56	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	152	148	09.10	PL	
57	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	070	065	06.20	PL	Top Broken
58	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	165	150	03.20	PL	Top Broken
59	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	120	04.30	PL	Top Broken
60(A)	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	120	060	03.10	PL	Top Broken
60(B)	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	-	070	03.40	PL	
61	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	156	140	10.80	PL	
62(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	150	130	11.30	PL	Top Broken
62(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	080	02.30	PL	Top Broken
63	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	125	09.50	PL	
64	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	100	089	06.70	PL	
65	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	090	080	10.30	PL	
66	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	145	130	03.10	PL	Top Broken
67	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	125	110	08.10	PL	
68	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	089	065	01.85	PL	Top Broken
69	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	085	01.70	PL	Top Broken
70(A)	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	105	065	04.30	PL	
70(B)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	155	070	03.90	PL	
70(C)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	-	060	04.20	PL	
71	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	105	090	02.90	PL	Top Broken
72	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	180	150	08.80	PL	
73	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	160	151	10.60	PL	
74	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	095	047	04.90	PL	
75	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	175	171	11.95	PL	
76	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	105	090	05.80	PL	
77	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	095	085	06.20	PL	
78	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	110	105	08.50	PL	
79	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	145	095	10.40	PL	
80(A)	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	180	120	05.80	PL	Top Broken
80(B)	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	-	110	05.70	PL	Top Broken
81	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	140	125	07.30	PL	Top Broken
82	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	145	06.50	PL	Top Broken
83	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	095	076	09.50	PL	
84	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	093	087	02.80	PL	
85(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	250	140	12.65	PL	
85(B)	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	-	120	11.90	PL	

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
86	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	140	090	06.20	PL	
87	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	140	110	11.20	PL	Top Broken
88	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	080	075	06.95	PL	
89	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	104	10.35	PL	
90	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	158	155	09.90	PL	
91	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	050	045	08.80	PL	
92	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	680	450	16.70	PL	
93	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	090	075	08.40	PL	
94(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	115	7.30	PL	
94(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	085	07.20	PL	
95	Aam	<i>Mangifera indica</i>	270	265	11.10	PL	
96	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	145	11.15	PL	
97	Kikar Babol	<i>Acacia nilotica</i>	105	090	06.70	PL	
98	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	170	165	11.90	PL	
99	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	173	164	12.10	PL	
100	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	155	150	09.50	PL	
101	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	075	035	04.70	PL	
102(A)	Aam	<i>Mangifera indica</i>	240	140	08.50	PL	
102(B)	Aam	<i>Mangifera indica</i>	-	155	08.20	PL	
103	Kadam	<i>Anthocephalus cadamba</i>	095	089	08.80	PL	
104	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	175	160	10.20	PL	
105	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	160	145	11.20	PL	
106	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	185	148	10.50	PL	
107	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	080	072	05.80	PL	
108	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	078	070	06.10	PL	
109	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	085	076	06.90	PL	
110	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	090	072	07.10	PL	
111	Gular	<i>Ficus glomerata</i>	075	067	05.10	PL	
112	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	067	063	06.10	PL	
113	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	060	056	04.50	PL	
114	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	086	079	03.50	PL	
115	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	087	080	04.10	PL	
116	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	125	110	08.80	PL	
117	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	053	045	02.80	PL	
118(A)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	150	055	11.20	PL	
118(B)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	051	11.70	PL	
118(C)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	75	11.00	PL	
119	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	110	095	06.90	PL	
120(A)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	135	090	10.50	PL	
120(B)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	060	10.30	PL	
121	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	245	235	12.90	PL	
122	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	105	083	07.80	PL	
123	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	135	125	08.30	PL	
124	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	096	079	10.50	PL	
125	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	035	022	03.10	PL	
126	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	110	095	08.10	PL	
127	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	110	08.40	PL	
128	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	142	133	09.70	PL	

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
129	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	190	160	11.50	PL	
130	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	155	140	09.75	PL	
131	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	155	142	10.30	PL	Top Broken
132	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	110	071	05.10	PL	
133	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	190	185	10.30	PL	
134	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	069	060	06.90	PL	Top Broken
135	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	060	053	04.10	PL	
136	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	115	102	08.70	PL	
137	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	115	095	07.90	PL	
138	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	099	095	05.70	PL	
139	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	050	050	07.80	PL	
140	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	065	053	04.10	PL	Top Broken
141	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	075	063	02.10	PL	
142	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	076	068	07.50	PL	
143	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	085	078	09.10	PL	
144	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	150	135	11.30	PL	
145	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	073	070	08.20	PL	
146	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	59	050	06.10	PL	
147	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	080	06.30	PL	Top Broken
148	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	092	075	07.10	PL	
149	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	150	130	09.10	PL	
150	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	125	110	06.10	PL	
151	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	125	09.80	PL	
152	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	140	130	07.10	PL	
153	Chatiwan	<i>Alstonia sp.</i>	085	080	06.20	PL	
154	Chatiwan	<i>Alstonia sp.</i>	117	088	07.10	PL	
154(A)	Amala	<i>Embelica officinalis</i>	-	054	06.90	PL	
154(B)	Amala	<i>Embelica officinalis</i>	-	035	07.20	PL	
154(C)	Amala	<i>Embelica officinalis</i>	084	080	06.90	PL	Top Broken
155	Amala	<i>Embelica officinalis</i>	048	040	02.00	PL	
156	Karonda	<i>Carissa carrandus</i>	035	025	04.10	PL	
157	Karonda	<i>Carissa carrandus</i>	035	028	03.15	PL	
158	Nimbu	<i>Citrus medica</i>	124	120	11.60	PL	
159	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	070	060	07.00	PL	
160	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	120	048	12.75	PL	
161(A)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	-	035	11.90	PL	
161(B)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	105	080	09.20	PL	
162	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	150	140	09.80	PL	
163	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	175	145	08.10	PL	
164	Jamun	<i>Azadirachta indica</i>	175	145	08.10	PL	Top Broken
165(A)	Neem	<i>Syzygium cumini</i>	160	107	02.10	PL	Top Broken
165(B)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	080	03.10	PL	
166(A)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	160	108	9.10	PL	
166(B)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	080	8.30	PL	
167(A)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	136	027	05.70	PL	
167(B)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	080	06.00	PL	
167(C)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	070	05.90	PL	
168(A)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	165	107	10.10	PL	
168(B)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	070	09.80	PL	

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
168(C)	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	-	085	10.20	PL	
169	Aam	<i>Mangifera indica</i>	200	188	09.90	PL	
170	Amla	<i>Embelica officinalis</i>	080	070	07.75	PL	
171	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	071	050	01.90	PL	Top Broken
172	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	055	050	02.80	PL	
173	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	045	038	05.85	PL	
174(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	068	048	04.90	PL	Top Broken
174(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	050	03.83	PL	Top Broken
175	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	050	042	04.20	PL	
176(A)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	057	030	04.70	PL	
176(B)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	-	030	04.70	PL	
177(A)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	065	055	03.50	PL	
177(B)	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	-	036	03.90	PL	
178	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	115	095	06.10	PL	
179	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	115	105	10.10	PL	
180	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	165	140	11.90	PL	
181	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	125	115	11.70	PL	
182	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	163	106	10.40	PL	
183	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	163	093	10.30	PL	
184	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	185	170	11.90	PL	
185	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	095	076	10.15	PL	
186	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	163	080	10.10	PL	
187	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	095	087	08.10	PL	
188	Beri	<i>Ziziphus mauritiana</i>	085	072	09.80	PL	
189(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	121	085	11.90	PL	
189(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	052	11.80	PL	
190	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	085	12.10	PL	
191	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	128	095	11.70	PL	
192	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	092	07.60	PL	
193	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	092	07.60	PL	
194	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	096	076	06.50	PL	
195	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	150	115	09.20	PL	
196	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	150	115	09.20	PL	
197	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	055	042	07.10	PL	
198	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	070	060	06.80	PL	
199	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	145	09.40	PL	
200	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	095	066	04.90	PL	Top Broken
201(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	073	065	06.70	PL	
201(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	073	065	06.70	PL	
202	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	085	072	02.30	PL	Top Broken
203	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	085	072	02.30	PL	
204	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	220	167	12.20	PL	
205	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	143	8.50	PL	
206	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	182	192	13.10	PL	
207(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	054	020	3.50	PL	
207(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	130	116	12.90	PL	
207(C)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	110	092	11.20	PL	
208	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	074	053	9.55	PL	
			040	020	3.80	PL	
			045	021	4.35	PL	
			-	020	4.00	PL	
			115	100	12.45	PL	

20/56

Sayed  
a b z o

A

15  
shah  
Sayed

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

**Enumeration list of trees present in Private Land**

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
209	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	150	150	12.90	PL	
210	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	200	190	13.40	PL	
211(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	096	035	3.75	PL	
211(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	028	3.10	PL	
212(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	070	041	6.60	PL	
212(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	042	5.10	PL	
213(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	118	046	6.10	PL	
213(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	040	5.95	PL	
213(C)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	035	4.80	PL	
214(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	102	043	6.60	PL	
214(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	034	3.10	PL	
214(C)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	030	5.00	PL	
214(D)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	021	4.10	PL	
215(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	055	032	7.00	PL	
215(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	021	3.80	PL	
216(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	080	028	4.50	PL	
216(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	019	3.80	PL	
217(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	105	042	6.40	PL	
217(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	030	5.20	PL	
218(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	080	035	5.50	PL	
218(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	022	4.90	PL	
219(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	090	038	7.20	PL	
219(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	032	7.15	PL	
219(C)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	023	5.10	PL	
220(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	120	046	6.5	PL	
220(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	037	5.10	PL	
221(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	051	034	5.10	PL	
221(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	024	4.80	PL	
222	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	310	309	17.90	PL	
223	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	060	036	5.70	PL	
224	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	115	057	6.50	PL	
225	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	050	035	4.90	PL	
226(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	140	053	6.90	PL	
226(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	040	6.50	PL	
226(C)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	060	7.10	PL	
227(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	110	035	5.90	PL	
227(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	030	5.30	PL	
227(C)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	038	6.20	PL	
227(D)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	028	4.20	PL	
227(E)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	022	3.90	PL	
228	Kathal	<i>Artocarpur heterophyllus</i>	086	062	5.40	PL	
229(A)	Kathal	<i>Artocarpur heterophyllus</i>	142	108	6.70	PL	
229(B)	Kathal	<i>Artocarpur heterophyllus</i>	-	076	4.80	PL	
230(A)	Nimbu	<i>Citrus medica</i>	055	035	4.10	PL	
230(B)	Nimbu	<i>Citrus medica</i>	-	033	3.70	PL	
231	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	074	053	3.40	PL	
232	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	068	039	4.15	PL	
233(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	102	039	5.66	PL	

*Ray*  
9020

*Sayed*  
9020

A

*Ray*

*ES*

219  
FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
233(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	037	5.10	PL	
234	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	096	030	5.22	PL	
235(A)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	080	046	6.85	PL	
235(B)	Amrood	<i>Psidium guajava</i>	-	042	5.80	PL	
236(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	110	094	12.10	PL	
236(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	042	9.20	PL	
237	Beri	<i>Zayphus mauritiana</i>	50	045	9.40	PL	
238	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	93	10.40	PL	
239	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	128	77	9.10	PL	
240	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	122	102	11.20	PL	
241	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	122	102	11.20	PL	
242	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	272	245	12.90	PL	
243	Sahjan	<i>Moringa oleifera</i>	140	136	11.10	PL	
244	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	148	116	10.40	PL	
245	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	148	116	10.40	PL	
246	Neem	<i>Moringa oleifera</i>	127	95	12.70	PL	
247	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	127	95	12.70	PL	
248	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	147	82	10.20	PL	
249(A)	Sahjan	<i>Moringa oleifera</i>	147	87	10.00	PL	
249(B)	Sahjan	<i>Moringa oleifera</i>	149	85	8.90	PL	
250	Neem	<i>Ficus religiosa</i>	112	85	8.90	PL	
251	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	148	118	11.50	PL	
252	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	148	118	11.50	PL	
253	Neem	<i>Moringa oleifera</i>	134	102	13.00	PL	
254	Sahjan	<i>Moringa oleifera</i>	-	30	6.30	PL	
255	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	225	148	10.00	PL	
256	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	88	9.80	PL	
257	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	165	198	13.30	PL	
258	Beri	<i>Zayphus mauritiana</i>	145	168	12.22	PL	
259	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	145	168	12.22	PL	
260	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	274	265	16.50	PL	
261	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	58	47	7.20	PL	
262	Beri	<i>Zayphus mauritiana</i>	52	46	7.50	PL	
263	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	80	66	9.20	PL	
264	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	80	66	9.20	PL	
265	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	87	10.20	PL	
266	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	87	10.20	PL	
267	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	76	180	11.00	PL	
268	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	76	180	11.00	PL	
269	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	92	7.20	PL	
270	Beri	<i>Zayphus mauritiana</i>	98	92	7.20	PL	
271	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	110	12.70	PL	
272	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	110	12.70	PL	
273	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	94	12.60	PL	
274	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	94	12.60	PL	
275	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	161	140	11.30	PL	
276	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	116	9.60	PL	
277	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	118	11.20	PL	
278	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	122	118	11.20	PL	
279	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	76	50	8.70	PL	
280	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	76	50	8.70	PL	
281	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	152	118	16.10	PL	
282	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	152	118	16.10	PL	
283	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	104	80	11.80	PL	
284	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	104	80	11.80	PL	
285	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	108	80	10.30	PL	
286	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	108	80	10.30	PL	
287	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	146	120	15.70	PL	
288	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	146	120	15.70	PL	
289	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	210	180	12.30	PL	
290	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	210	180	12.30	PL	
291	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	112	88	8.20	PL	
292	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	112	88	8.20	PL	
293	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	125	122	11.70	PL	
294	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	125	122	11.70	PL	
295	Kikar Babol	<i>Acacia nilotica</i>	92	75	9.80	PL	
296	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	92	75	9.80	PL	
297	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	68	12.60	PL	
298	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	68	12.60	PL	
299	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	85	11.50	PL	
300	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	85	11.50	PL	
301	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	95	12.30	PL	
302	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	95	12.30	PL	

Handwritten signatures and dates: *Sajid 4/20*, *4/20*, *16/11*

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
278	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	89	72	9.10	PL	
279	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	132	82	12.80	PL	
280	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	152	88	13.30	PL	
281	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	138	102	13.40	PL	
282	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	60	54	4.10	PL	
283	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	92	80	9.00	PL	
284	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	103	110	8.90	PL	
285	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	210	180	12.30	PL	
286	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	90	9.40	PL	
287	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	65	48	3.10	PL	
288	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	198	174	13.80	PL	
289	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	66	50	5.80	PL	
290	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	116	110	12.10	PL	
291	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	116	110	12.10	PL	
292	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	210	150	13.10	PL	
293	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	210	150	13.10	PL	
294	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	154	122	11.50	PL	
295	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	90	80	10.10	PL	
296	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	74	67	5.70	PL	
297	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	92	84	11.30	PL	
298	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	116	99	11.80	PL	
299	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	60	52	8.90	PL	
300	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	60	52	8.90	PL	
301	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	46	38	8.10	PL	
302	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	46	38	8.10	PL	
303	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	129	98	13.50	PL	
304	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	129	98	13.50	PL	
305	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	66	55	8.50	PL	
306	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	66	55	8.50	PL	
307	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	192	150	11.50	PL	
308	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	192	150	11.50	PL	
309	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	130	11.10	PL	
310	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	130	11.10	PL	
311	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	180	160	11.30	PL	
312(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	180	160	11.30	PL	
312(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	90	70	9.10	PL	
313	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	90	70	9.10	PL	
314	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	160	140	10.90	PL	
315	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	160	140	10.90	PL	
316	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	240	180	13.10	PL	
317	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	98	11.10	PL	
318	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	98	11.10	PL	
319	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	210	180	14.40	PL	
320	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	210	180	14.40	PL	
321	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	230	180	13.30	PL	
322	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	230	180	13.30	PL	
323	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	136	100	11.60	PL	
324	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	136	100	11.60	PL	
325	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	175	150	12.50	PL	
326	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	175	150	12.50	PL	
327	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	170	120	11.40	PL	
328	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	170	120	11.40	PL	
329	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	110	10.20	PL	
330	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	110	10.20	PL	
331	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	125	11.40	PL	
332	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	125	11.40	PL	
333	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	246	300	15.60	PL	
334	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	246	300	15.60	PL	
335	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	216	146	13.10	PL	
336	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	216	146	13.10	PL	
337	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	168	150	14.80	PL	
338	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	168	150	14.80	PL	
339	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	100	11.00	PL	
340	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	100	11.00	PL	
341	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	180	153	12.40	PL	
342	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	180	153	12.40	PL	
343	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	95	10.20	PL	
344	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	95	10.20	PL	
345	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	120	12.10	PL	
346	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	130	120	12.10	PL	
347	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	89	75	11.30	PL	
348	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	89	75	11.30	PL	
349	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	135	14.20	PL	
350	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	135	14.20	PL	
351	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	58	8.90	PL	
352	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	—	58	8.90	PL	
353	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	112	13.30	PL	
354	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	112	13.30	PL	

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
322	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	120	102	13.70	PL	
323	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	98	78	13.40	PL	
324(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	200	95	11.90	PL	
324(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	89	13.65	PL	
324(C)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	90	12.00	PL	
325	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	118	100	14.90	PL	
326(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	92	10.70	PL	
326(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	62	10.00	PL	
327	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	110	80	11.10	PL	
328(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	65	8.90	PL	
328(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	66	10.30	PL	
328(C)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	58	9.20	PL	
329(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	196	130	13.90	PL	
329(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	120	12.10	PL	
329(C)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	245	122	14.10	PL	
330(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	96	13.30	PL	
330(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	110	12.20	PL	
330(C)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	93	13.10	PL	
331	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	124	115	10.80	PL	
332	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	142	106	12.10	PL	
333	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	174	136	11.10	PL	
334	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	117	103	10.10	PL	
335	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	190	120	10.50	PL	
336	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	70	60	6.70	PL	
337	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	104	90	10.10	PL	
338	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	168	112	14.20	PL	
339(A)	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	-	92	10.10	PL	
339(B)	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	165	132	13.10	PL	
340	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	220	117	11.10	PL	
341	Kikar Babol	<i>Acacia nilotica</i>	240	180	13.30	PL	
342	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	118	46	11.20	PL	
343	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	108	68	11.10	PL	
344	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	152	138	12.50	PL	
345	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	126	9.10	PL	
346	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	110	108	11.90	PL	
347	Sahjan	<i>Moringa oleifera</i>	192	113	11.70	PL	
348	Sahjan	<i>Moringa oleifera</i>	118	98	12.20	PL	
349	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	85	61	5.50	PL	
350	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	123	12.35	PL	
351	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	120	097	11.30	PL	
352	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	090	075	07.45	PL	
353	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	080	070	09.00	PL	
354(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	074	058	04.10	PL	
354(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	098	090	10.00	PL	
355	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	139	091	13.10	PL	
356(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	061	08.55	PL	
356(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	047	04.62	PL	
356(C)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	118	110	11.88	PL	
357	Neem	<i>Azadirachta indica</i>					

*[Signature]*  
102

*[Signature]*  
102

A

*[Signature]*  
Shishu

**FOREST SURVEY OF INDIA**  
**KAULAGARH ROAD, DEHRADUN**

**Enumeration list of trees present in Private Land**

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
				096	13.05	PL	
			102	160	14.00	PL	
358	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	183	128	11.35	PL	
359	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	205	124	08.30	PL	
360(A)	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	-	100	11.44	PL	
360(B)	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	150	100	10.95	PL	
361(A)	Haldu	<i>Adina Cordifolia</i>	-	080	12.55	PL	
361(B)	Haldu	<i>Adina Cordifolia</i>	180	160	11.46	PL	
362	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	152	130	11.18	PL	
363	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	150	118	10.82	PL	
364(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	122	13.30	PL	
364(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	184	151	13.22	PL	
365	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	105	091	09.30	PL	
366	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	175	141	07.15	PL	
367	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	108	098	10.31	PL	
368	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	124	106	07.16	PL	
369	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	090	062	9.00	PL	
370	Lassora	<i>Cordia dichotoma</i>	098	078	04.74	PL	
371	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	084	077	08.10	PL	
372	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	100	072	11.05	PL	
373	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	100	090	12.14	PL	
374	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	138	133	07.50	PL	
375	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	053	038	10.50	PL	
376	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	080	060	09.25	PL	
377	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	088	063	07.32	PL	
378	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	075	062	07.14	PL	
379	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	055	047	0.62	PL	Stump
380	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	038	-	12.80	PL	
381	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	110	090	12.40	PL	
382	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	115	095	12.20	PL	
383	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	160	140	08.15	PL	
384	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	072	07.62	PL	
385	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	168	110	07.56	PL	
386(A)	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	-	076	09.32	PL	
386(B)	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	088	083	10.62	PL	
387	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	116	112	11.05	PL	
388	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	114	070	10.85	PL	
389(A)	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	-	075	12.20	PL	
389(B)	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	136	130	12.64	PL	
390	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	162	122	07:60	PL	
391(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	054	10.24	PL	
391(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	205	132	10.55	PL	
392	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	155	07.40	PL	
393	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	065	052	07.10	PL	
394	Beri	<i>Zayphus mauritiana</i>	050	022	06.85	PL	
395	Beri	<i>Zayphus mauritiana</i>	088	080	06.32	PL	
396	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	064	060	06.35	PL	
397	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	060	051	10.12	PL	
398	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	105	098		PL	
399	Shahtoot	<i>Morus alba</i>					

FOREST SURVEY OF INDIA  
KAULAGARH ROAD, DEHRADUN

Enumeration list of trees present in Private Land

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Tree Length (Mts.)	PF/PL	Remarks
400	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	068	052	10.10	PL	
401	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	108	100	10.30	PL	
402	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	145	123	11.05	PL	
403	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	140	120	10.15	PL	
404	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	145	138	12.48	PL	
405	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	172	115	12.92	PL	
406	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	122	11.45	PL	
407	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	175	169	12.08	PL	
408	Jamun	<i>Syzygium cumini</i>	110	096	12.00	PL	
409	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	170	163	13.14	PL	
410	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	152	141	12.35	PL	
411	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	185	189	12.76	PL	
412	Pipal	<i>Ficus religiosa</i>	58	046	05.32	PL	
413(A)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	178	161	11.25	PL	
413(B)	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	-	092	04.72	PL	
414	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	227	212	14.10	PL	
415	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	110	106	09.65	PL	
416	Semal	<i>Bombax Malabaricum</i>	210	185	15.80	PL	
417	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	135	131	11.40	PL	
418	Shisham	<i>Dalbergia sissoo</i>	092	080	06.00	PL	
419	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	215	210	13.10	PL	
420	Safed Siris	<i>Albizza procera</i>	0057	092	1.00	PL	Stump
421	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	130	1.30	PL	Stump
422	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	145	2.50	PL	Stump

Note:1)The Collar Girth at 30 CMS and Girth at Breast Height(GBH) of trees were measured.

2) length of fallen trees/stumps measured using tape.

3) PF- Protected Forest, PL- Private Land

*Day*  
9/6/20

*Parjod*  
9/6/20

A

*[Signature]*

*[Signature]*

**FOREST SURVEY OF INDIA**  
**KAULAGARH ROAD, DEHRADUN**

**enumeration list of trees present in Protected Forest**

Sl. N	Local Name of the Species	Botanical Name	Collar Girth (CMs)	GBH (CMs)	Stump Length (Cms.)	Protected Forest	Remarks
1	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	048	010	PF	Stumps
2	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	072	023	PF	Stumps
3	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	050	006	PF	Stumps
4	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	060	013	PF	Stumps
5	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	036	015	PF	Stumps
6	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	065	020	PF	Stumps
7	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	0949	043	012	PF	Stumps
8	Subabul	<i>Acacia nilotica</i>	0701	062	022	PF	Stumps
9	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	095	015	PF	Stumps
10	Amaltas	<i>Cassia fistula</i>	0226	045	010	PF	Stumps
11	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	094	030	PF	Stumps
12	Safed Siris	<i>Albizia procera</i>	0057	110	100	PF	Stumps
13	Imli	<i>Tamarindus indica</i>	1160	060	085	PF	Stumps
14	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	0949	045	048	PF	Stumps
15	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	065	068	PF	Stumps
16	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	0949	067	030	PF	Stumps
17	Arjun	<i>Terminalia arjuna</i>	1167	040	054	PF	Stumps
18	Cassia Siamea	<i>Cassia Siamea</i>	0229	060	110	PF	Stumps
19	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	0949	050	040	PF	Stumps
20	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	105	040	PF	Stumps
21	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	095	092	PF	Stumps
22	Beri	<i>Zizyphus mauritiana</i>	1287	085	015	PF	Stumps
23	Kikar	<i>Acacia Nilotica</i>	0005	105	045	PF	Stumps
24	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	076	010	PF	Stumps
25	Papdi	<i>Pongamia pinnata</i>	0949	085	045	PF	Stumps
26	Chilbil	<i>Holoptelea integrifolia</i>	0594	075	070	PF	Stumps
27	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	070	040	PF	Stumps
28	Beri	<i>Zizyphus mauritiana</i>	1287	075	020	PF	Stumps
29	Shahtoot	<i>Morus alba</i>	0822	096	035	PF	Stumps
30	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	107	027	PF	Stumps
31	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	150	092	PF	Stumps
32	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0114	088	022	PF	Stumps

**Note:**1)The Collar Grith of stumps measured.

2) length of stumps measured using tape. The poles of felled trees have been shifted to the depot

Jay  
9020

Fajed  
9020

A

B

WSP



DFO MATHURA &lt;mathuraforest@gmail.com&gt;

**O.A. No. 1191 of 2024, titled as Narendra Kumar Goswami vs State of U.P. & Ors before Hon'ble NGT, New Delhi – reg.**

3 messages

Joint Director FGD &lt;jdnfdmc@fsi.nic.in&gt;

Tue, Dec 3, 2024 at 11:59 AM

To: dmmat &lt;dmmat@nic.in&gt;

Cc: mathuraforest@gmail.com, DG FSI &lt;dgfsi@fsi.nic.in&gt;

Sir,

Please find herewith the enclosed factual status report and field report with reference to O.A. No. 1191 of 2024, titled as Narendra Kumar Goswami vs State of U.P. & Ors before Hon'ble NGT, New Delhi for information and necessary action at your end.

**Thanks & Regards**

संयुक्त निदेशक (एफ.जी.डी.)

Joint Director (FGD)

भारतीय वन सर्वेक्षण

Forest Survey of India

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest &amp; Climate Change

(भारत सरकार)


(Government of India)

कौलागढ़ रोड़

Kaulagarh Road

देहरादून 248195

Dehradun 248195

**2 attachments****Factual status report.pdf**

6218K

**Annexure-I..pdf**

16546K

Inspection of the spot by the committee Members on 08.11.2024





Inspection of the spot by Mr. Pranay Mishra, AIGF(Central) on date 18.11.2024

